सोमवार, 20 अप्रैल 2026

मौसम

तापमान	27 – 36
आर्द्रता	80%
सूर्योदय: 05:12	सूर्यास्त: 17:58

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आ सुव।।

Epaper.samagya.in

समाज्ञा

कोलकाता, वैशाख शुक्लपक्ष तृतीया, वि.स. 2082, पृष्ठ 12, मूल्य 3.00 रुपये

स्थानीय खबरें पृष्ठ तीन, चार और पांच पर

सुविचार : सबसे बेहतरीन नजर वो है, जो अपनी कमियों को देख सके।

नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीत का खाता खोला पृष्ठ 12

ईडी ने पीएमएलए मामले में आई–पैक के ऋषि राज सिंह को आज किया तलब

नयी दिल्ली/कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हवाला लेनदेन से जुड़े धन शोधन मामले में राजनीतिक परामर्श फर्म आई–पैक के निदेशक ऋषि राज सिंह को 20 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सिंह को राजनीतिक दलों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त धन के कथित हवाला लेनदेन से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए 20 अप्रैल को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि सिंह के बयान दर्ज किए जाने के बाद धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान लिया जाएगा।

निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई, 11 हजार गैरकानूनी सोशल मीडिया पोस्ट हटाए

नयी दिल्ली : आयोग ने रविवार को कहा कि उसने पांच विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रक्रिया से संबंधित करीब 11,000 'गैरकानूनी' सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की है। असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा के लिए पहले ही मतदान हो चुका है जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव इस महीने के अंत में चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि सोशल मीडिया पर कृत्रिम मेधा (एआई) द्वारा सृजित या हेरफेर की गई किसी भी भ्रामक या गैरकानूनी सामग्री की जानकारी मिलते ही तीन घंटे के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।

महिला आरक्षण बिल रोकने में टीएमसी-कांग्रेस की साजिश, मां-बहनों के साथ धोखा : मोदी

महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने पर पीएम का विपक्ष पर हमला

कोलकाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न हो पाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इस विधेयक को रोकने की साजिश रची। बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी प्रचार के दौरान मोदी ने चार जनसभाओं को संबोधित करते हुए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

बोले–टीएमसी नहीं चाहती कि बंगाल की अधिक महिलाएं सांसद–विधायक बनें

प्रधानमंत्री ने बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर, पुरुलिया, झाड़ग्राम और मेदिनीपुर में चार चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में राज्य की महिलाएं इस 'धोखे' का जवाब देंगी। मोदी ने कहा कि भाजपा की पहचान महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है और पार्टी चाहती है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। उन्होंने कहा कि 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की इच्छा के बावजूद विपक्ष ने इसे रोक दिया।

हम चाहते थे कि इसे 2029 चुनाव से ही लागू किया जाए, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए और एमपी बनें क्योंकि यहां की महिलाएं इनके महा जंगलराज को चुनौती दे रही हैं। टीएमसी को महिला विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि इसीलिए उसने कांग्रेस के साथ मिलकर संसद में इस विधेयक का विरोध किया।

घुसपैठियों को लाभ देने के लिए नियम तोड़ती है टीएमसी

मोदी ने तृणमूल पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और घुसपैठियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानूनों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान की भावना को कमजोर कर रही है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अपमान और आदिवासी समुदाय की अनदेखी का भी मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि भाजपा ने पहली आदिवासी राष्ट्रपति देश को दिए, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस दोनों आदिवासी विरोधी हैं और इस समुदाय से नफरत करती है। यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मु के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था।

जनता को डर दिखाने वाली टीएमसी अब बंगाल टाइगर की आवाज से कांप उठी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के चुनाव इस बार ऐतिहासिक होंगे, क्योंकि जनता टीएमसी के डर के माहौल को खत्म करने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि हर सभा में बढ़ती भीड़ जनता के गुस्से को दर्शा रही है। जो टीएमसी अब तक लोगों को डराती थी, अब वही जनता की 'दहाड़' से घबराई हुई है। बंगाल टाइगर– बंगाल की जनता है। जनता दहाड़ रही है कि अब नहीं सहेंगे टीएमसी का अत्याचार। निर्मम सरकार को हटाकर रहेंगे।

गुंडों और भ्रष्टाचारियों को आत्मसमर्पण की चेतावनी

मोदी ने टीएमसी से जुड़े गुंडों, सिंडिकेट माफिया और भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे मतदान से पहले अपने–अपने थानों में जाकर आत्मसमर्पण कर दें। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। झाड़ग्राम की सभा में उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों की बदहाल स्थिति का भी जिक्र किया। झाडग्राम की रैली में कहा कि 15 साल में निर्मम सरकार ने आपको क्या दिया? आदिवासी क्षेत्रों को क्या मिला? न पढ़ाई, न कमाई, न दवाई और न सिंचाई। यहां सब कुछ बेहाल है। ये लोग अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं।

कई जिलों में नहीं खुलेगा टीएमसी का खाता

मेदिनीपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा और जनता बदलाव के लिए तैयार है।

पीएम मोदी राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं : ममता

प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी बताते हुए बंगाल में आकर चुनाव लड़ने की खुली चुनौती

हुगली, समाज्ञा : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी तंत्र का 'दुरुपयोग' करने का आरोप लगाया। हुगली जिले के तारकेश्वर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्र को संबोधित करते हुए भाजपा के लिए 'अवैध तरीके से प्रचार' किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर आदर्श चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने (भाजपा ने) कल सरकारी तंत्र का दुरुपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए किया। हम इसकी निंदा करते हैं और निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। ममता ने कहा कि आपको (प्रधानमंत्री) भारत की जनता को जवाब देना होगा कि आप अपनी पार्टी के लिए अवैध प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक सितंबर 2023 में पारित हुआ था, और सवाल किया कि केंद्र सरकार ने इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया है। तृणमूल प्रमुख ने सवाल किया कि एक ही विधेयक को कितनी बार पारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने परिसीमन विधेयक को लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण कानून से जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त संख्या न होने के बावजूद उन्होंने (केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने) लोकसभा में विधेयक लाने की धृष्टता दिखाई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का 'पतन' शुरू हो गया है।

पीएम मोदी को बताया बाहरी

ममता बनर्जी ने मोदी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि वह मेरी बात को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप (प्रधानमंत्री) बंगाल के मतदाता नहीं हैं, आप बाहरी हैं। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और फिर राज्य के विधानसभा चुनावों में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने की चुनौती दी।

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तृणमूल कार्यकर्ताओं को डराने का लगाया आरोप

ममता ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया–धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें भाजपा की ओर से भय दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की बढ़ती सक्रियता पर सवाल उठाए। ममता ने कहा कि आखिर रोज–रोज ईडी की छापेमारी क्यों हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बंगाल की जनता किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगी और इसका जवाब हिंसा से नहीं, बल्कि मतदान के जरिए देगी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में हो सकते हैं भारत के नए उच्चायुक्त

नई दिल्ली : भारत सरकार बांग्लादेश में अपने नए उच्चायुक्त के तौर पर वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त कर सकती है। सूत्रों के अनुसार मौजूदा उच्चायुक्त प्रणय वर्मा का तबादला ब्रसेल्स किया जा सकता है और उनकी जगह त्रिवेदी को ढाका भेजने की तैयारी है। यह नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत जारी है और दोनों देश रिश्तों को संतुलित बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस नियुक्ति की घोषणा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हो सकती है। दिनेश त्रिवेदी का पश्चिम बंगाल से गहरा राजनीतिक जुड़ाव रहा है, ऐसे में इस फैसले को कूटनीतिक के साथ–साथ राजनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है।

तमिलनाडु : विरुधुनगर में पटाखा फैक्टरी में भीषण धमाका

18 से अधिक लोगों की मौत

विरुधुनगर : तमिलनाडु के विरुधुनगर के निकट स्थित एक पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में 18 से अधिक श्रमिकों की मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। यह विस्फोट वाचकारपत्ती पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कट्टनरपत्ती में मुथुमानिकम के स्वामित्व वाली 'वनजा' पटाखा फैक्टरी में हुआ। पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, घायल हुए छह लोगों में से चार की हालत नाजुक है और उनका विरुध–नगर सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इस पटाखा निर्माण इकाई को नागपुर स्थित पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस मिला हुआ है। परिसर में कथित तौर पर 100 से अधिक श्रमिक काम कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि विस्फोट बरामदे वाले क्षेत्र में हुआ, जहां कथित तौर पर श्रमिक कच्चे माल से पटाखों को अंतिम रूप दे रहे थे। विस्फोट का प्रभाव इतना भीषण था कि कम से कम तीन कमरे मलबे में तब्दील हो गए और आसपास की कई इमारतें को भारी नुकसान पहुंचा। एक पुलिस अधिकारी ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया, ''हमने अब तक 18 शव बरामद किए हैं, जिनमें से कई बुरी तरह जल चुके थे और उनकी पहचान करना मुश्किल था।'' अधिकारी ने बताया कि घायल छह लोगों में से तीन महिलाएं हैं और वे 60 प्रतिशत तक जल गई हैं। सूत्रों के अनुसार, अग्निशमन और बचाव कर्मियों ने कई घंटों तक आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआती विस्फोट के काफी देर बाद भी पटाखे फटते रहने के कारण बचाव अभियान में काफी बाधा आई।

मतदान से पहले एक्शन मोड में ईडी, कोलकाता पुलिस उपायुक्त के परिसर पर छापा मारा

पांच घंटे की पूछताछ के बाद व्यवसायी को किया गिरफ्तार

कोलकाता, समाज्ञा : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले की जांच के तहत रविवार को कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास और एक स्थानीय व्यवसायी के परिसरों पर छापेमारी के बाद व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी की यह कार्रवाई राज्य में एक कथित अपराधी और उससे संबंधित गिरोह के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत की गई। सन एंटरप्राइज के प्रबंध निदेशक **जॉय कामदार** को संक्षिप्त पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। छापेमारी के दौरान उन्हें उनके आवास से हिरासत में लिया गया और ईडी कार्यालय लाया गया, जहां उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एजेंसी विस्तृत पूछताछ के लिए उनकी हिरासत का अनुरोध करेगी। इससे पहले, ईडी ने बालीगंज क्षेत्र स्थित बिस्वास के आवास और कामदार के परिसरों पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि राज्य और कोलकाता पुलिस कल्याण समिति के मुख्य समन्वयक और नोडल अधिकारी बिस्वास अपने परिसर में मौजूद नहीं थे। यह कार्रवाई बिस्वजीत पोद्दार उर्फ 'सोना पप्पू' नामक एक कथित स्थानीय अपराधी के खिलाफ धन शोधन के मामले से जुड़ी है। उस पर हत्या के प्रयास और वसूली के आरोपों में कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि यह जांच दंगा करने, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश रचने और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में पोद्दार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी है। पृष्ठ 5

श्रीनगर हवाई अड्डे पर दो अमेरिकी नागरिक हिरासत में

श्रीनगर : जम्मू–कश्मीर में श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियमित जांच के दौरान सामान से सैटेलाइट फोन बरामद होने के बाद दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है।

पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच मार्च में एलपीजी की खपत 13 प्रतिशत घटकर 23.79 लाख टन पर

नयी दिल्ली : पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी आपूर्ति दिक्कतों की वजह से भारत में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की खपत में मार्च में 13 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे घरों की रसोई और वाणिज्यिक ग्राहकों दोनों के लिए उपलब्धता पर असर पड़ा है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। मार्च में एलपीजी की खपत 23.79 लाख टन रही है, जो पिछले साल की इसी अवधि के आंकड़े 27.29 लाख टन से 12.8 प्रतिशत कम है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 60 प्रतिशत आयात से पूरा करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से आता है। ईरान पर अमेरिका और इजराइली हमलों और जवाबी ईरानी कार्रवाई के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो गया।

भारतीय टैंकर ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार किया

नयी दिल्ली : भारत के ध्वज वाले एक तेल के टैंकर ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार कर लिया। भारतीय टैंकर ने इस तनाव ग्रस्त जलमार्ग को ऐसे समय पार किया है, जब दो अन्य भारतीय जहाजों को गोलीबारी के बाद वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था और भारत ने वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता को ईरान के साथ साझा किया था। पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर सरकार द्वारा दी गई अद्यतन जानकारी के मुताबिक, कच्चे तेल से भरा टैंकर देश गरिमा 18 अप्रैल को रणनीतिक जलमार्ग को पार कर गया और 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। इस जहाज पर 31 भारतीय नाविक सवार थे। भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) का टैंकर मार्च की शुरुआत से जलडमरूमध्य को पार करने वाला 10वां भारतीय ध्वज वाला जहाज है।

ईरान के साथ वार्ता के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पाकिस्तान पहुंचेगा : ट्रंप

वाशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिकी वार्ताकार सोमवार को ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान अमेरिका द्वारा प्रस्तावित समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो वह ईरान में नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देंगे। ट्रंप की यह घोषणा अमेरिका और ईरान के बीच 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई प्रत्यक्ष वार्ता के एक सप्ताह बाद आई है, जिसका उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करना था, लेकिन इस वार्ता में कोई समझौता नहीं हो सका। ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा, मेरे प्रतिनिधि कल शाम को वार्ता के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं।

होर्मुज जलडमरुमध्य को बंद रखने पर अड़ा ईरान, चंद दिनों में खत्म हो जाएगी युद्धविराम की अवधि

काहिरा : ईरान ने अपने बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहने तक होर्मुज जलडमरुमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर रोक लगाने के फैसले पर और कड़ा रुख अपना लिया है। अमेरिकी नाकाबंदी और ईरान के कड़े रुख के बीच मध्यस्थ युद्धविराम की अवधि बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुधवार को खत्म हो जाएगी। नाकेबंदी के कारण पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही कोशिशें जटिल हो गई हैं और अब सवाल खड़ा हो गया है कि दो हफ्ते का संघर्षविराम आगे बढ़ पाएगा या नहीं। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने शनिवार देर रात सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा, जब हमारे खुद के जहाज होर्मुज जलडमरुमध्य से नहीं गुजर सकते तो दूसरों को भी इस रास्ते से गुजरने देना असंभव है।

महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक सिरे न चढ़े

जैसे कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे, शुक्रवार को लोकसभा में संविधान में प्रस्तावित 131वां संशोधन बिल मतदान के बाद गिर गया। दरअसल, यह बिल देश में महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। राजनीतिक पंडित पहले ही कह रहे थे कि संविधान संशोधन के लिये जरूरी दो तिहाई बहुमत सरकार के पास नहीं है, जिससे बिल के पारित होने पर संशय था। वैसा ही हुआ और राजग सरकार दो तिहाई वोट हासिल करने में विफल रही। बिल के समर्थन में 298 और इसके विरोध में 230 वोट पड़े। आखिरकार सरकार की ओर से कहा गया कि अब दोनों बाकी प्रस्तावित संशोधन बिलों को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को 33 आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमागरम बहस जारी थी। विपक्ष इस संशोधन में शामिल परिसीमन को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा था। दरअसल, दक्षिण भारत के उन राज्यों में इसको लेकर खासा विरोध था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करके आर्थिक विकास को प्राथमिकता बनाया था। उनकी आशंका थी कि परिसीमन विधेयक के अस्तित्व में आने से संसद में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। विपक्ष में का आरोप है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित करने का उपक्रम महज कुछ राज्यों में हो रहे चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिये था। ताकि महिला वोटरों को लुभाया जा सके। विपक्ष ने संसद में जारी बहस के बीच कानून मंत्रालय द्वारा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने के लिये अधिसूचना जारी करने पर भी सवाल उठाये। उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण कानून का उद्देश्य संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रावधान था। मगर राजग सरकार ने प्रस्तावित 131वें संविधान बिल 2026 में सीटों में आरक्षण को परिसीमन के आधार पर लागू करने की बात कही थी।

दरअसल, विपक्ष इस संशोधन बिल की टाइमिंग और आरक्षण को परिसीमन के आधार पर लागू करने की शर्त पर सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि 33 फीसदी आरक्षण को लोकसभा की मौजूदा सीटों के आधार पर ही लागू करना चाहिए। विपक्ष परिसीमन से उपजी विसंगतियों और दक्षिण के राज्यों की चिंताओं को तरजीह देने की बात करता रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की दलील रही कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। बिल का मकसद महिला सशक्तीकरण ही है। जिसके लिये इसके लागू करने के तरीके का विरोध किया जा रहा है। सत्ता पक्ष की दलील थी कि परिसीमन संविधान सम्मत है और बढ़ती आबादी के बाद सीटों को तार्किक बनाये जाने की जरूरत है। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से एससी-एसटी के हितों के पैरोकार होने की दलीलें भी दी गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर उत्तर-दक्षिण का नैरेटिव गढ़ने का आरोप भी लगाया। साथ ही विपक्ष को महिलाओं के आक्रोश की कीमत चुकाने की भी चेतावनी दी। वहीं विपक्ष ने केंद्र पर देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ये संशोधन दलित व पिछड़े वर्गों के हित में नहीं है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाये गए कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन करना कितना न्यायसंगत है। इसके लिये नये जनगणना के आंकड़े आने का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिसीमन को संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला बताया। उन्होंने महिला आरक्षण लागू करने को परिसीमन से जोड़ने की तार्किकता को लेकर भी सवाल उठाया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को खारिज किया कि निर्णय प्रक्रिया किसी भी तरह किसी के साथ भेदभाव करेगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन पहले के अनुपात के अनुसार ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 33 फीसदी महिलाओं को यहां आने दें और उन्हें निर्णय करने दें।

आज का पंचांग

कोलकाता : 20 अप्रैल, सोमवार, 2026, विक्रम सम्वत् 2083, वैशाख शुक्लपक्ष तृतीया, 07:28 तक, नक्षत्र : रोहिणी, 26:08 तक, योग : सौभाग्य, 16:12 तक, सूर्योदय: 05:12, सूर्यास्त: 17:58, चन्द्रोदय : 07:08, चन्द्रास्त: 21:21, शक सम्वतः 1948 पराभव, सूर्य राशि : मेष, चन्द्र राशि : वृषभ, राहू काल : 06:51 से 08:25

राशिफल

मेष : आज किस्मत आपके पक्ष में खड़ी है। कुछ कामों को समय पर छोड़ देना ही आपकी जीत बन सकता है। नई इनकम के रास्ते खुलेंगे और आप पूरे जोश के साथ मेहनत करेंगे।

वृष : आज आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी को सही दिशा देंगे तो बड़ा फायदा मिलेगा। मां के साथ बातचीत से नए विचार जन्म लेंगे। घर में खुशखबरी।

मिथुन : आज थोड़ा संभलकर चलने का दिन है। बिजनेस में गड़बड़ी से तनाव बढ़ सकता है, लेकिन संतान की सफलता आपका मन खुश कर देगी।

कर्क : आज खुशियों की लहर आपके जीवन में आएगी। संतान की उलझनें दूर होंगी और परिवार के साथ हंसी-मजाक का माहौल बनेगा। पार्टी या सेलिब्रेशन का प्लान बन सकता है।

सिंह : आज बदलाव आपके लिए सफलता का दरवाजा खोल सकता है। नौकरी में नया अवसर और बिजनेस में बढ़ोतरी के संकेत हैं। लेकिन उधार लेने से फिलहाल बचें।

कन्या : आज चुनौतियां आपका इम्तिहान लेंगी। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, लेकिन नए शत्रु भी सामने आ सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताकर रिश्तों में मिठास आएगी।

तुला : आज सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस में छिपे हुए विरोधी परेशानी दे सकते हैं और काम का दबाव भी बढ़ेगा। जोखिम भरे फैसलों से बचें।

वृश्चिक : आज नौकरी वालों के लिए खुशखबरी है। प्रमोशन या सराहना मिल सकती है। लेन-देन सोच-समझकर करें। संतान से किया वादा निभाएं और सेहत को नजरअंदाज ना करें।

धनु : आज मेहनत का फल मिलने वाला है। बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए खास दिन है। रुके हुए काम पूरे होंगे और पुराने कर्ज चुकाने का मौका मिलेगा।

मकर : आज का दिन प्यार और संतुलन का है। जीवनसाथी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है, नहीं तो प्रॉपर्टी डील बिगड़ सकती है।

कुम्भ : आज मिलाजुला दिन है। पुरानी समस्याओं का हल ढूंढने में सफल रहेंगे। बिजनेस में बदलाव करने से बचें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। इनकम बढ़ाने के नए रास्तों पर ध्यान दें।

मीन : आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार का पूरा साथ मिलेगा और भाई-बहनों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे। यात्रा के दौरान कोई खास जानकारी मिल सकती है।

परिसीमन के पेंच में फंसा आधी आबादी का हक

महेन्द्र तिवारी

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आधी आबादी की आकांक्षाओं को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। सरकार द्वारा प्रस्तुत संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2023 में पारित कानून को धरातल पर उतारने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना था, परंतु नियति और राजनीतिक मतभेदों को कुछ और ही स्वीकार्य था। यह विधेयक मात्र एक विधायी दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह 2029 के आम चुनावों से पूर्व देश की राजनीतिक संरचना को पूरी तरह बदलने वाला एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा था। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने लोकसभा की सीटों की संख्या को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा था, जो सीधे तौर पर परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था।

संसद के इस विशेष सत्र की पृष्ठभूमि अत्यंत नाटकीय रही। सरकार का तर्क था कि महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सीटों में वृद्धि अनिवार्य है ताकि किसी भी वर्तमान प्रतिनिधित्व को क्षति पहुँचाए बिना महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थान सुनिश्चित किया जा सके। इस रणनीति के पीछे तर्क यह था कि जब सीटों की कुल संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी, तब महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आंकड़ा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा और पुरुषों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में भी भारी कटौती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सत्ता पक्ष ने इसे एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताते हुए प्रचारित किया कि यह नारी शक्ति के वास्तविक वंदन का समय है। प्रधानमंत्री ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार महिलाओं को उनका उचित अधिकार दिलाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर इस पवित्र कार्य में सहयोग की अपील की थी। प्रधानमंत्री के उस पत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि विपक्षी दल इस विधेयक का समर्थन करते हैं, तो सरकार उन्हें इस सफलता का पूरा श्रेय देने के लिए एक कोरे धनादेश जैसा अधिकार देने को तैयार है। उनका आशय स्पष्ट था कि वे राजनीति से ऊपर उठकर इस सामाजिक सुधार को देखना चाहते थे।

परंतु विपक्षी खेमे में इस विधेयक को लेकर भारी संशय और विरोध की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस, समाजवादी दल और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के गठबंधन ने सरकार की नीयत पर गंभीर प्रश्न उठाए। विपक्ष का सबसे प्रबल विरोध परिसीमन के आधार को लेकर था। सरकार ने इस संशोधन में सीटों के निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा था। विपक्षी नेताओं का तर्क था कि वर्ष 2026 में 2011 की जनगणना के आधार पर भविष्य की राजनीति तय करना न केवल अतार्किक है, बल्कि यह उन राज्यों के साथ अन्याय है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में अपने संबोधन के दौरान अत्यंत तल्ख लहजे में कहा कि सरकार की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की कम और चुनावी लाभ लेने की अधिक प्रतीत होती है। उन्होंने इसे एक छलावा करार देते हुए मांग की कि जब तक नई जाति आधारित जनगणना नहीं हो जाती और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए इस 33 प्रतिशत के भीतर अलग से कोटा निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक यह विधेयक सामाजिक न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा।

विपक्ष की इस मांग ने सदन के भीतर और बाहर एक नई बहस को जन्म दे दिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तो आरक्षण का प्रावधान पहले से ही प्रस्तावित था, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग श्रेणी की मांग ने सत्ता पक्ष को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया। उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने इस मुद्दे पर लामबंदी तेज कर दी और यह स्पष्ट कर दिया कि बिना जातिगत डेटा के परिसीमन करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष के इन तर्कों को विकास की राह में रोड़ा अटकाने वाला बताया। उन्होंने सदन में जोर देकर कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में किसी भी प्रकार की देरी नहीं चाहती और परिसीमन ही वह एकमात्र वैधानिक मार्ग है जिसके माध्यम से सीटों का न्यायोचित वितरण संभव है। उन्होंने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा यदि उन्होंने इस अवसर को केवल राजनीतिक द्वेष के कारण गंवा दिया।

घटनाक्रम अपनी चरम सीमा पर तब पहुँचा जब 16 अप्रैल को इस विधेयक पर मतदान की घोषणा हुई। संसद के गलियारों में तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। उस दिन कुल 528 सांसद सदन में उपस्थित थे। नियम के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत आवश्यक था। जब मतों की गणना हुई, तो परिणाम सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थे। विधेयक के पक्ष में 298 मत पड़े, जबकि विपक्ष में 230 सांसदों ने मतदान किया। गणितीय दृष्टि से देखें तो दो-तिहाई बहुमत के लिए सरकार को कम से कम 352 मतों की आवश्यकता थी। इस प्रकार, मात्र 54 मतों के अंतर से यह ऐतिहासिक विधेयक गिर गया। यह भारतीय संसदीय इतिहास की एक विरल घटना थी क्योंकि 1990 के दशक के बाद यह पहला अवसर था जब कोई संविधान संशोधन विधेयक सदन में आवश्यक बहुमत न मिल पाने के कारण असफल हुआ हो।

इस असफलता ने देश की राजनीतिक दिशा को एक नया मोड़ दे दिया। मतदान के तुरंत बाद सदन के भीतर और बाहर आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। विपक्षी नेताओं ने इसे अपनी नैतिक विजय बताया और कहा कि सरकार को अब यह समझ लेना चाहिए कि वे बिना आम सहमति के देश की लोकतांत्रिक संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष ने इस हार को जनता की अदालत में ले जाने का निर्णय लिया। सरकार के प्रवक्ताओं ने इसे महिलाओं के अधिकारों पर विपक्ष का प्रहार बताया। उन्होंने जनता के बीच यह संदेश प्रसारित करना शुरू किया कि कैसे एक प्रगतिशील कानून को केवल संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए बलि चढ़ा दिया गया। विशेष रूप से 850 सीटों वाली नई संसद की परिकल्पना पर जो ग्रहण लगा, उसने भविष्य के चुनावों के लिए एक नया विमर्श तैयार कर दिया।

इस पूरे विवाद में परिसीमन की तकनीकी जटिलताएं सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरीं। 543 से 850 सीटों की छलांग कोई सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं था। इसके लिए राज्यों के बीच सीटों के पुनर्वितरण की आवश्यकता थी, जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों में असंतोष की लहर उठने की संभावना थी। विपक्ष ने इसी बिंदु को अपनी ढाल बनाया और इसे क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा बना दिया। उनका तर्क था कि यदि 2011 की जनगणना को ही आधार माना गया, तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें अत्यधिक बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। इस क्षेत्रीय अस्मिता और जातिगत आरक्षण के दोहरे पेच ने महिला आरक्षण जैसे सर्वमान्य मुद्दे को भी विवादित बना दिया।

सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी इसकी गूंज शांत नहीं हुई। समाज के विभिन्न वर्गों में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। महिला संगठनों ने जहाँ इस विधेयक के गिरने पर दुख व्यक्त किया, वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इसे संवैधानिक शुचिता की जीत बताया। उनका मानना था कि बिना व्यापक विचार-विमर्श और पारदर्शी जनगणना के सीटों की संख्या में इतना बड़ा बदलाव करना भविष्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परिणाम पर अपनी संक्षिप्त लेकिन गंभीर प्रतिक्रिया में कहा कि उनकी सरकार हार मानने वालों में से नहीं है और वे महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए भविष्य में और अधिक दृढ़ता के साथ प्रयास करेंगे।

निष्कर्षतः 131वें संशोधन विधेयक की यह विफलता मात्र एक विधायी प्रक्रिया का थम जाना नहीं है अपितु यह उन गहन सामाजिक और क्षेत्रीय विषमताओं का प्रतिबिंब है जो हमारी राजनीति की आधारशिला रही हैं। क्या यह वास्तव में विपक्षी दलों की एकजुटता का ठोस परिणाम था अथवा शासन के रणनीतिक आकलन में कोई बड़ी चूक रह गई थी? इन जिज्ञासाओं के समाधान तो भविष्य की गर्त में छिपे हैं परंतु वर्तमान का यथार्थ यही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पूर्ण क्रियान्वयन अब एक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। यह संपूर्ण घटनाक्रम इस सत्य को रेखांकित करता है कि लोकतंत्र में केवल संख्या बल ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि संविधान की मर्यादा और सामाजिक न्याय की मांगें उससे कहीं अधिक ऊँचा स्थान रखती हैं। 16 अप्रैल की उस संध्या जब सदन की कार्यवाही समाप्त हुई तो वह अपने पीछे ऐसे अनेक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गई जिनका उत्तर हम सभी को आने वाले समय में खोजना होगा।

सृष्टि के वांग्मय विलास की अधिष्ठात्री मातंगी महाविद्या

अशोकप्रवृद्ध

सृष्टि के वांग्मय विलास की अधिष्ठात्री, नाद ब्रह्म की सगुण संवित् और पराव-ाणी की प्रत्यक्ष विग्रहा मातंगी दशमहाविद्याओं में ज्ञान, कला और सामजंस्य की पराकाष्ठा हैं। तंत्रशास्त्र के गहन अरण्य में मातंगी वह दीप्ति हैं, जो लौकिक चाण्डालत्व (अशुद्धि) के आवरण को भेदकर पारमार्थिक शुद्धत्व की स्थापना करती हैं। जहां ललिता त्रिपुरसुंदरी ऐश्वर्य की पराकाष्ठा हैं, वहीं मातंगी उस ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति का माध्यम हैं। पौराणिक आख्यानों में मातंगी के प्राकट्य की दो प्रमुख धाराएं प्राप्त होती हैं। स्वतंत्र तंत्र एवं शक्ति संगम तंत्र के अनुसार एक बार भगवती पार्वती और भगवान शिव के मध्य उच्छिष्ट (जूठन) के माध्यम से एक लीला रची गई। इस लीला में भक्तों द्वारा अर्पित नैवेद्य के अंश से एक श्यामवर्णा देवी प्रकट हुईं, जिन्हें उच्छिष्ट मातंगी कहा गया। तात्त्विक दृष्टि से उच्छिष्ट शब्द का अर्थ केवल जूठन नहीं, अपितु अवशिष्ट है। प्रलय के पश्चात जो चैतन्य शेष रह जाता है, वही मातंगी है। ब्रह्माण्ड पुराण के ललिता उपाख्यान में इन्हें भण्डासुर के वध हेतु ललिता की प्रधान सचिव श्यामला के रूप में चित्रित किया गया है, जो गेयचक्र रथ पर आरूढ़ होकर संगीत के स्वरों से शत्रुओं को सम्मोहित करती हैं। तंत्रागम में मातंगी को मंत्रिणी पद प्राप्त है। मेरु तंत्र और पुरश्चर्यार्णव के अनुसार बिना मातंगी की कृपा के श्रीविद्या की सिद्धि दुर्लभ है। मातंगी का स्वरूप तांत्रिक मनोविज्ञान में वाक् के चार स्तरों- परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी, में से मध्यमा और वैखरी के मध्य का सेतु है।

मातंगी साधना में शौच- अशौच के परम्परागत बंधनों का निषेध है। यह इस परम सत्य का उद्घोष है कि ब्रह्म के लिए कुछ भी अपवित्र नहीं है। ताराभक्तिसुधार्णव के अनुसार, मातंगी साधना साधक के अहंकार और सामाजिक पाखंड को विनष्ट कर उसे समरस बनाती है। इन्हें सम्मोहन, वशीकरण और स्तम्भन की अधिष्ठात्री, षट्कर्म सिद्धि प्रदात्री माना जाता है। इनके सुमुखी और राज मातंगी स्वरूप क्रमशः वैयक्तिक आकर्षण और राजकीय सफलता के प्रतीक हैं। योगिक साधना में मातंगी का निवास विशुद्धि चक्र (कण्ठ देश) में माना गया है। यह चक्र सरस्वती और मातंगी का संयुक्त क्षेत्र है। मातंगी नाद की शक्ति हैं। जब साधक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है, तब जो दिव्य स्राव (अमृत) टपकता है, उसे तांत्रिक पारिभाषिक शब्दावली में मातंगी का प्रसाद माना जाता है। मतंग ऋषि अर्थात मतंग मुनि का अर्थ है, मन की वह अवस्था जो मतंग (हाथी) के समान अनियंत्रित हो, उसे वश में करने वाली शक्ति मातंगी है। यह प्राणवायु के निरोध और मन के लय की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। इड़ा- पिंगला का सामंजस्य करती है। मातंगी का चाण्डालिनी स्वरूप दार्शनिक रूप से अद्वैत का पोषक है। समाज के जिस वर्ग या वस्तु को अस्पृश्य माना गया, भगवती ने उसी रूप को अंगीकार कर यह सिद्ध किया कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म। इस प्रकार स्पष्ट है कि मातंगी केवल एक देवी नहीं, बल्कि संस्कृति की समावेशी शक्ति हैं। वे कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से आत्मा के सौंदर्य को अभिव्यक्त करती हैं। उनका श्याम वर्ण अंतरिक्ष की अनंतता और ज्ञान की गहराई का द्योतक है। ऐतिहासिक दृष्टि से मातंगी की उपासना का विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, जहां वे मीनाक्षी और श्यामला के रूप में पूजित हैं, तक मिलता है। गुप्तकाल और उत्तर- गुप्तकाल के तंत्र-प्रतिमा विज्ञान में मातंगी को वीणा धारिणी, शुक (तोता) के साथ और द्विभुज या चतुर्भुज रूप में अंकित किया गया है। खजुराहो और ओड़िशा के तांत्रिक मंदिरों के भित्तिचित्रों में मतंग कन्या के रूप में उनकी उपस्थिति कला और अध्यात्म के संगम को दर्शाती है। वज्रयान संप्रदाय में मातंगी को मातंगी विधा के रूप में स्वीकारा गया है, जो इस महाविद्या की व्यापकता को रेखांकित करता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मातंगी संवाद और संप्रेषण की शक्ति हैं। किसी भी विचार का प्रस्फुटन और उसका दूसरे मस्तिष्क तक प्रभावी ढंग से पहुंचना मातंगी तत्व की सक्रियता है। उनका तोता स्मृति और पुनरुच्चारण का प्रतीक है, जो ज्ञान के संरक्षण की अनिवार्यता को दर्शाता है। महाविद्या मातंगी का स्वरूप स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाली एक यात्रा है। वे अशुद्धि में शुद्धि, कोलाहल में संगीत और विद्रूपता में सौंदर्य का साक्षात्कार हैं। मातंगी की उपासना मानवता को भाषाई शुचिता, कलात्मक अभिरुचि और जातिगत संकीर्णताओं से ऊपर उठकर आत्मिक एकता का सन्देश देती है। वे वाणी की वह वीणा हैं जिसकी झंकार से ब्रह्माण्ड का कण-कण स्पंदित है।

भगवती मातंगी के विभिन्न स्वरूपों में राजमातंगी (प्रशासनिक एवं ऐश्वर्य प्रदात्री) और कर्णमातंगी (अतीन्द्रिय श्रवण एवं भविष्य दर्शन प्रदात्री) का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। इनका यंत्र विधान केवल ज्यामितीय आकृति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेंद्रण विन्दु है। राजमातंगी को श्रीकुल की प्रधान सचिव माना जाता है। इनका यंत्र श्रीचक्र के समान ही प्रभावशाली और जटिल होता है, जो सत्ता और सम्मोहन का केंद्र होता है। मातंगी यंत्र संरचना में केंद्र विन्दु में पराशक्ति का वास माना गया है। त्रिकोण को इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का प्रतीक माना गया है और अष्टदल कमल को आठ सिद्धियों और अष्ट-मातृकाओं का प्रतिनिधित्व करता है। षोडश दल अर्थात 16 पंखुड़ियां 16 कलाओं और पूर्णता का प्रतीक है। भूपुर अर्थातचतुरस्र घेरा, जो लौकिक जगत से यंत्र की ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। राजमातंगी का यंत्र स्वर्ण या तांबे के पत्र पर निर्मित किया जाता है। इसकी साधना से वाकसिद्धि प्राप्त होती है, जिससे साधक की वाणी में शासन करने की शक्ति आ जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक प्रतिष्ठा, राजकीय कार्यों में विजय और जन-सम्मोहन है। कर्णमातंगी अतीन्द्रिय ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। कर्णमातंगी की साधना अत्यंत गोपनीय और सिद्ध श्रेणी की मानी जाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है- कर्ण अर्थात कान, यह देवी साधक के कानों में भूत, भविष्य और वर्तमान की सूचनाएं प्रेषित करती हैं। इनका यंत्र राजमातंगी की तुलना में सरल किन्तु नाद ऊर्जा से ओत-प्रोत होता है। इसमें विशेष रूप से ह्रीं और क्रीं बीजाक्षरों का संपुट लगाया जाता है।

योगिक दृष्टि से कर्णमातंगी की साधना आकाश तत्व और श्रवण इंद्रिय के शोधन की प्रक्रिया है। जब साधक का चित्त पूर्णतः स्थिर होता है, तो उसे अनहत नाद के माध्यम से सूक्ष्म जगत की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। उड्डामर तंत्र के अनुसार कर्णमातंगी की साधना बिना गुरु के निर्देश के आत्मघाती हो सकती है, क्योंकि यह सीधे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। मातंगी के यंत्रों को उच्छिष्ट की शुद्धि के बाद स्थापित किया जाता है, जिसका अर्थ है मानसिक मल का विसर्जन। यंत्र तब तक केवल धातु है जब तक उसमें मंत्रोच्चार और प्राणऊर्जा का संचार अर्थात प्राण प्रतिष्ठा न हो। राजमातंगी के लिए कस्तूरी और कुंकुम का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है, जबकि कर्णमातंगी के लिए अष्टगंध की प्रधानता है। राजमातंगी जहां बाह्य जगत (ऐश्वर्य, पद) पर विजय प्राप्त करने की शक्ति है, वहीं कर्णमातंगी आंतरिक जगत (अतीन्द्रिय बोध, अंतर्ज्ञान) के रहस्यों को खोलने वाली कुंजी है। इन दोनों का समन्वय साधक को पूर्ण पुरुष की श्रेणी में खड़ा कर देता है। भगवती मातंगी के मंत्रों का ध्वनि विज्ञान केवल वर्णों का समूह नहीं, बल्कि कंपन की वह सुक्ष्म विधा है जो मानव चेतना को ब्रह्मांडीय नाद से जोड़ती है। मातंगी को मूल मंत्र है- ह्रीं क्लीं हूँ मातंग्यै फट् स्वाहा। इस मंत्र के प्रत्येक बीजाक्षर का अपना एक विशिष्ट आवृत्ति और प्रभाव क्षेत्र है। ह्रीं (माया बीज) हृदय और ब्रह्मांड का संतुलन स्थापित करता है। यहां ह (शिव), र (प्रकृति), और ई (माया) का सम्मिश्रण है। ध्वनि विज्ञान के अनुसार ह ध्वनि कण्ठ से उत्पन्न होकर हृदय तक स्पंदन पैदा करती है। यह साधक के अनाहत चक्र को सक्रिय कर भावनाओं को शुद्ध करती है। यह आकाश तत्व को आंदोलित करने वाला बीज है, जो मानसिक अवरोधों को हटाता है। क्लीं (काम बीज) आकर्षण और सृजन की शक्ति है। यहां क (कृष्ण, सृजन), ल (इन्द्र, पृथ्वी), और ई (तुष्टि) का योग है। क्लीं का उच्चारण मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड में चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। इसे सम्मोहन बीज कहा जाता है क्योंकि इसकी आवृत्ति परिवेश में अनुकूलता उत्पन्न करती है। यह ध्वनि साधक के आभामंडल को सघन बनाती है। हूँ (कूर्च बीज)- अवरोधों का भंजन करता है। यहां ह और ऊ (शक्ति) का तीव्र नाद है। यह एक शॉक वेव की तरह कार्य करता है। तंत्र विज्ञान में इसे अस्त्र माना जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा के घेरे को छिन्न-भिन्न कर देता है।

इसका स्पंदन नाभि (मणिपुर चक्र) से उठकर आज्ञा चक्र तक जाता है, जिससे साधक के भीतर साहस और तेज का संचार होता है। मातंग्यै (नाम शक्ति) स्वरूप का आह्वान है। यह पद ध्वनि तरंगों को एक विशिष्ट आकृति प्रदान करता है। मातंगी शब्द का उच्चारण जीव के कण्ठ (विशुद्धि चक्र) को झंकृत करता है, जो वाक सिद्धि और कलात्मक निपुणता का केंद्र है। फट् और स्वाहा, ऊर्जा का विसर्जन और समर्पण है। फट् ध्वनि संचित ऊर्जा को लक्ष्य की ओर प्रक्षेपित करती है। यह तांत्रिक भौतिकी का ट्रिगर है। स्वाहा अंत में समर्पण की ध्वनि है, जो मंत्र की प्रखर ऊर्जा को साधक के शरीर में आत्मसात करने में सहायक होती है, ताकि वह ऊर्जा दाहक न बने। मातंगी मंत्र का सतत जप प्रवेश की प्रक्रिया उत्पन्न करता है। जब साधक इस विशिष्ट क्रम में ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उसके मस्तिष्क की तरंगें ब्रह्मांडीय लय के साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाती हैं। मातंगी का ध्वनि-विज्ञान अशुद्ध को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जैसे अशुद्ध स्वर वीणा के तार को कसने से शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही मातंगी के बीजाक्षर साधक के अंतःकरण के तंतुओं को कसकर उसे परम संगीत के योग्य बना देते हैं। यही कारण है कि मातंगी को वैखरी (प्रकट वाणी) की अधिष्ठात्री कहा जाता है। वे विचार को ध्वनि में और ध्वनि को सिद्धि में परिवर्तित करने वाली ट्रांसड्यूसर शक्ति हैं। भगवती मातंगी की साधना के समय साधक के सूक्ष्म शरीर में होने वाले प्राणिक परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक रूपांतरण की प्रक्रिया जड़ का चैतन्य में रूपांतरण है। जब साधक मातंगी के विशिष्ट बीजाक्षरों का अनुष्ठान करता है, तो उसके भीतर तीन प्रमुख स्तरों पर परिवर्तन घटित होते हैं। मातंगी कला और संगीत की अधिष्ठात्री हैं, उनकी साधना से साधक के सबकॉन्शियस माइंड (अवचेतन) में दबी हुई सृजनात्मक प्रतिभा प्रस्फुटित होने लगती है। साधक केवल वक्ता नहीं, 'द्रष्टा' बन जाता है। मातंगी एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना हैं जो विभाजनकारी रेखाओं को मिटाती हैं। वे उस अछूत सत्य की खोज हैं जिसे पा लेने के बाद समाज में न कोई पराया रहता है, न कोई अशुद्ध। वे मानवता के उस आदि-स्वर की गूंज हैं जहां वर्ग, वर्ण और पंथ के भेद शून्य हो जाते हैं।

वर्ग पहेली नं. 3415

1		2	3	■	4		5	■	6
	■	7		8		■	9		
10	11		■	12		13		■	
■		■	14		■	15		■	
■	16			■	17		■	18	
19	■	■	20			■	■		■
21		22		■	23	24			■
	■	25		26	■		■	27	28
29			■	30			■	31	

बायें से दायें:- 1) विरोध जताने का एक नारा, 4) उत्तीर्ण, 7) उत्साही, 9) खुले में, 10) आवश्यकता से अधिक, 12) एक बढ़िया महीन सूती कपड़ा, 14) देह, 15) किस समय, 16) दस सौ, 17) पाँव की ज़ंजीर, 18) जूट, 20) पेशगी, 21) आरंभ, 23) विवश, 25) मुरगीख़ाना, 27) चोकर, 29) अंधकार, 30) मूल्य, 31) बहाना.

ऊपर से नीचे:- 1) नफ़ा 2) मेघ, 3) ताकत, 4) आसान, 5) छलकता, 6) बीच में, 8) पल्ला, 11) गला काटना, 13) अपने लार से जाला बुनने वाला एक अष्टपद कीड़ा, 14) गीला, 17) गुमनाम, 18) युद्धभूमि, 19) महादेव, 22) अदब लिहाज, 24) स्वर्ग, 26) शेष, 28) पति की माता.

(उत्तर: अगले अंक में)

पिछली पहेली का उत्तर

सा	ढ़े	■	ठ	■	म	ध्य	मा	■	स
र्व	■	अ	प	मा	न	■	रे	श	मी
ज	यं	ती	■	मा	प	ना	■	■	प
नि	■	त	य	■	सं	ता	न	■	व
क	स	■	म	■	द	■	ग	■	र्ती
■	ल	का	ल	क	■	अं	जा	म	■
■	वा	■	■	ल	ह	क	■	ल	त
च	र	प	रा	ह	ट	■	अं	बा	र
र्चा	■	ता	ज	■	ना	पि	त	■	ल

सुडोकू-पहेली-3373

6						9		
		7			1			
			8		2			
				5		2		1
		4	7					5
	6					8		
3		8	9	2				
	4							2
9		1	3				5	

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरना आवश्यक है। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है।

••••

आड़ी और खड़ी में एवं 3-3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान जरूर रखें।

सूडोकू पहेली - 3372 का उत्तर

8	4	6	9	2	3	7	1	5
9	5	2	7	1	4	3	6	8
1	7	3	6	5	8	4	9	2
2	6	8	1	4	5	9	7	3
5	1	7	3	9	2	8	4	6
4	3	9	8	7	6	2	5	1
6	9	1	2	8	7	5	3	4
3	2	4	5	6	9	1	8	7
7	8	5	4	3	1	6	2	9

बंगाल की पहचान बचाने की लड़ाई है यह विधानसभा चुनाव : मोदी

❑ कहा... 'ममता सरकार ने 15 वर्षों में न शिक्षा, न आमदनी, न दवा और न सिंचाई दिया'

झाड़ग्राम : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को राज्य की पहचान बचाने की लड़ाई बताते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर ऐसी राजनीति करने का रविवार को आरोप लगाया जो मूल निवासियों के बजाय 'घुसपैठियों' का समर्थन करती है। मोदी ने झाड़ग्राम जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ''घुसपैठियों के लिए, घुसपैठियों की सरकार' बनाना चाहती है और उन्होंने मतदाताओं से उसे सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव इस भूमि की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए है। यह बंगाल की पहचान को बचाने के लिए है। आज बंगाल को अपनी पहचान खोने का डर है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल जिस रास्ते पर चल रही है वह बहुत खतरनाक है। तृणमूल कांग्रेस 'घुसपैठियों के लिए घुसपैठियों की सरकार' बनाना चाहती है। एक ऐसी सरकार जो बंगाल की जनता के धर्म, भाषा और रीति-रिवाजों की रक्षा करने के बजाय केवल घुसपैठियों के धर्म, भाषा और रीति-रिवाजों की रक्षा करेगी। मोदी ने दावा किया कि ऐसी सरकार के लिए सबसे बड़ी बाधा पश्चिम बंगाल के आम लोग होंगे। उन्होंने कहा, ''तृणमूल कांग्रेस की घुसपैठियों वाली सरकार के लिए, अगर कोई शत्रु है, तो वे यहीं बैठे भाई-बहन होंगे। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष राज्य के सभी समुदायों और क्षेत्रों में फैल गया है। उन्होंने कहा कि इसलिए, बंगाल के हर समुदाय, हर वर्ग, हर क्षेत्र ने इस बार ठान लिया है और तृणमूल कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया है। मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर 15 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने और भ्रष्टाचार व जबरन वसूली की व्यवस्था चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने निर्दयी तृणमूल सरकार को 15 साल दिए। 15 साल कोई छोटी अवधि नहीं है। तृणमूल सरकार ने आपको क्या दिया? आदिवासी क्षेत्रों को क्या मिला? न शिक्षा, न आमदनी, न दवा और न सिंचाई। यहां हर चीज़ बदहाल है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस नेता राज्य के कई हिस्सों में आदिवासी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो 'वन धन केंद्र' (सामुदायिक स्वामित्व वाले केंद्र) का विस्तार किया जाएगा, जहां आदिवासियों को लघु वन उत्पादों में मूल्यवर्धन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा झाड़ग्राम में 'होमस्टे' और पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ावा देगी और केंद्र सरकार वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के माध्यम से रेल संपर्क सुधारने के लिए पहले ही कदम उठा चुकी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार विकास की गति धीमी कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कुछ नहीं करती। इसलिए यहां भाजपा विधायकों को चुना जाना चाहिए। भाजपा को एक मौका दीजिए। मोदी को आपकी सेवा करने दीजिए। मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने और भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की व्यवस्था चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर किसी को घर बनाना है, तो उसे तृणमूल कांग्रेस के 'सिंडिकेट' पर निर्भर रहना पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और विधायक आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करते। वे अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं। झाड़ग्राम के कुछ हिस्सों में अनियमित बिजली आपूर्ति की शिकायतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अंधेरे में रहते हैं जबकि तृणमूल कांग्रेस नेता ऐशो-आराम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यहां एक बार बिजली चली जाती है, तो वापस आने में कई दिन लग जाते हैं। कभी-कभी तो बिजली आती ही नहीं। लेकिन बिजली का भारी-भरकम बिल जरूर आता है। आप यहां अंधेरे में हैं, जबकि तृणमूल नेताओं के बंगले और गाड़ियां जगमगा रही हैं। मोदी ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो वह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से बिजली बिलों को शून्य कर देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार राज्य में इस योजना को लागू नहीं होने दे रही है, जबकि पड़ोसी राज्य ओडिशा में 60,000 परिवार पहले से ही सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं।

भाजपा सरकार ने देश में बेरोजगारी 40 प्रतिशत तक बढ़ाई : ममता

पूर्व बर्दवान : जिले के कालना में रविवार को ममता बनर्जी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो वह तृणमूल सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी कल्याणकारी लाभों को वापस ले लेगी, जैसे कि 'लक्ष्मी भंडार', आदिवासियों के लिए 'जय जोहार' या अल्पसंख्यकों के लिए 'ओइक्योश्री' योजना। उन्होंने कहा कि राज्य में एक करोड़ लड़कियां कन्याश्री कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हो रही हैं। तृणमूल अध्यक्ष ने दावा किया कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले वादा किया था कि प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा किए जाएंगे। पार्टी ने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। इसके उलट भाजपा सरकार के तहत देश में बेरोजगारी 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है। जिले के ही मंतेश्वर में एक अन्य चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य के प्रवासी श्रमिकों को भाजपा शासित राज्यों में अत्याचारों का सामना करना पड़ता है और उनसे वापस लौटने की अपील की। तृणमूल अध्यक्ष ने कहा कि याद रखें कि जीवन और सम्मान धन से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि तृणमूल सरकार राज्य में मुफ्त भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि और क्या चाहिए? उन्होंने प्रवासियों से चाय की दुकान खोलने जैसे छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू करने की अपील की। ममता ने कहा कि 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू होने से उन्हें राज्य में काम मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से लगभग 1.5 करोड़ लोग बंगाल में काम करते हैं, आप (प्रवासी श्रमिक) वह काम कर सकते हैं। ममता ने दावा किया कि 'ओइक्योश्री' योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग चार करोड़ युवाओं को छात्रवृत्ति मिली है। ममता ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से 'अपने बीच उन लोगों की पहचान करने' के लिए कहा जो विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आरोप लगाया कि वे भाजपा द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। ममता ने लोगों से तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि वह यह समझ का मतदान करें कि सभी सीट पर वह ही लड़ रही हैं।

❑ **पार्टी के नेताओं को दिया कड़ा संदेश**

साथ ही, ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर असंतोष को लेकर भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने बिना नाम लिए तृणमूल नेता अहमद हुसैन शेख को निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इतने साहसी हो गए हैं कि वे उनकी सभा में भी शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे या भाजपा की मदद करेंगे, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा।

ममता ने बर्दवान में किया रोड शो

बर्दवान : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में रविवार को बर्दवान में लगभग दो किलोमीटर पैदल चलकर एक रोड शो का नेतृत्व किया। रोड शो के दौरान सड़क किनारे खड़े समर्थकों और तृणमूल कार्यकर्ताओं का ममता ने अभिवादन किया। ममता दक्षिण बर्दवान से तृणमूल उम्मीदवार खोकन दास के साथ बर्दवान नगरपालिका कार्यालय से बिरहाटा ट्रैफिक गार्ड तक 1.8 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर गईं। तृणमूल समर्थकों ने नारे लगाए और पार्टी के झंडे लहराए, जबकि उनमें से कुछ ने अपने हाथों में नीले और सफेद गुब्बारे ले रखे थे।

सोशल मीडिया पर 'भ्रामक प्रचार' हुआ तो सख्त कार्रवाई : चुनाव आयोग की चेतावनी

कोलकाता : विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार के भ्रामक, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून तथा आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी सोशल मीडिया मंच पर भ्रामक या गैरकानूनी सामग्री पाई जाती है, तो संबंधित प्लेटफॉर्म को उसे तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने यह भी साफ किया है कि चुनाव प्रचार में कृत्रिम रूप से तैयार की गई तस्वीरों या वीडियो का उपयोग करने पर उसे स्पष्ट रूप से एआई जनित या कृत्रिम सामग्री के रूप में चिन्हित करना होगा, ताकि मतदाताओं को भ्रमित न किया जा सके। बदलते समय के साथ दीवार लेखन की जगह अब सोशल मीडिया चुनाव प्रचार का प्रमुख माध्यम बन गया है। ऐसे में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग ने यह सख्त कदम उठाया है। आयोग के अनुसार, 15 मार्च को चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब तक 11 हजार से अधिक अवैध पोस्ट की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 का हवाला देते हुए याद दिलाया है कि मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार का प्रचार-चाहे वह टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया पर हो-पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल माध्यमों पर कड़ी निगरानी जारी रहेगी।

झाड़ग्राम में चुनावी दौरे के बीच सादगी की झलक-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क किनारे दुकान पर रुकर चखा बंगाल का मशहूर झालमुड़ी, बच्चों के साथ साझा किया स्वाद और अपनापन।

विधानसभा चुनाव : पहले चरण में दो हजार से ज्यादा क्यूआरटी रहेंगी तैनात

❑ **सक्रिय निगरानी के लिए सेक्टर ऑफिस भी तैयार**

कोलकाता, समाज्ञा : विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शांति बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। आयोग ने घोषणा की है कि पहले चरण के मतदान में कुल 2,193 क्विक रिस्पान्स टीम (क्यूआरटी) तैनात रहेंगी, जो राज्य की 152 विधानसभा सीटों पर सक्रिय निगरानी रखेंगी। आयोग के मुताबिक, मतदान के दौरान कहीं भी गड़बड़ी, हिंसा या बूथ कब्जाने की शिकायत मिलते ही क्यूआरटी तुरंत मौके पर पहुंचेगी। हर टीम के लिए एक निर्धारित वाहन होगा, जिसमें कैमरा लगा रहना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक क्यूआरटी में कम से कम एक राज्य पुलिस का एसआई या एएसआई स्तर का अधिकारी मौजूद रहेगा। इसके अलावा, टीम में 4 से 6 केंद्रीय बलों के जवान तैनात रहेंगे। जरूरत पड़ने पर जवानों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। टीम के पास संबंधित बूथ का नक्शा रहेगा और वे लगातार सेक्टर ऑफिस व कंट्रोल रूम से संपर्क बनाए रखेंगी। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक 288 क्यूआरटी तैनात रहेंगी। इसमें मुर्शिदाबाद पुलिस जिले में 219 और जंगीपुर पुलिस जिले में 69 टीमें होंगी। इसके बाद, पूर्व मेदिनीपुर में 253 और पश्चिम मेदिनीपुर में 248 क्यूआरटी तैनात की जाएंगी। बांकुड़ा में 180, बीरभूम में 161, मालदह में 157, पुरुलिया में 139 और कूचबिहार में 133 क्यूआरटी रहेंगी। आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में 113 टीमों की तैनाती होगी। अन्य जिलों में जलपाईगुड़ी में 83, दक्षिण दिनाजपुर में 75, अलीपुरद्वार में 70, झाडग्राम में 66, दार्जिलिंग में 52, सिलीगुड़ी में 39 और कालिम्पोंग में 17 क्यूआरटी तैनात रहेंगी। उत्तर दिनाजपुर को दो पुलिस जिलों इस्लामपुर और रायगंज में बांटकर क्रमश: 54 और 75 क्यूआरटी तैनात की जाएंगी। आयोग ने यह भी बताया कि आमतौर पर 8 से 10 बूथों पर एक सेक्टर ऑफिस बनाया जाता है। इसी आधार पर सभी जिलों में बड़ी संख्या में सेक्टर ऑफिस स्थापित किए गए हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा सके। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और क्यूआरटी के जरिए तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पीएम को बंगाल के प्रति प्रेम जताने से पहले बकाया जारी करने चाहिए : अभिषेक बनर्जी

कोलकाता/पूर्व मेदिनीपुर : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि वह राज्य के लोगों के प्रति अपना प्रेम जताने से पहले राज्य के लंबित दो लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय बकाया का भुगतान करें। दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप पर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने यह भी कहा कि 'मोदी की गारंटी' का मतलब 'शून्य गारंटी' है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने वादे पर खरी उतरती हैं। उन्होंने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूरे सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूं, कृपया प्रधानमंत्री पद के अनुरूप बोलें। मैं आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। कृपया बंगाल के लिए बकाया दो लाख करोड़ रुपये की राशि भेजने में सहायता करें, जिसे आप पिछले कुछ वर्षों में जारी करने में विफल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 'गुजरात के लोग' बंगाल के लोगों को जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मोदी और (अमित) शाह से कहना चाहता हूं कि केंद्रीय बल और एजेंसियों का इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी योजना और साजिश जनता के सामने उजागर हो चुकी है। चार मई को (चुनाव) परिणाम का इंतजार करें।

❑ **नंदीग्राम में अभिषेक का बड़ा वादा, 50 दिनों में हल्दी नदी पर पुल का ऐलान**

पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में एक अन्य सभा में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मोदी ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस गुंडों से भरी हुई है, जिन्हें या तो 29 अप्रैल तक आत्मसमर्पण कर देना चाहिए या उसके बाद गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं उनसे (मोदी) कहना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस में गुंडे नहीं हैं और उन्हें अपनी पार्टी को देखना चाहिए। सबसे बड़े गुंडे भाजपा में हैं, और मोदीजी के तर्क के अनुसार, पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी के आधे लोग जेल में होने चाहिए। इस दौरान, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। नंदीग्राम के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर आप यहां अपने पवित्र कर को जिताते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि 50 दिनों के भीतर हल्दी नदी पर पुल का शिलान्यास कर दिया जाएगा। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। आज मैं यह वादा करके जा रहा हूं। चार मई के बाद ही काम शुरू हो जाएगा।

विधानसभा चुनाव : कोलकाता में सभी अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की अहम बैठक, चुनाव सुरक्षा पर मंथन

कोलकाता, समाज्ञा : विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कोलकाता में देश के सभी प्रमुख अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआइएसएफ, आइटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक (डीजी) शामिल हुए। हाल के वर्षों में चुनाव सुरक्षा को लेकर इस स्तर की संयुक्त बैठक को अभूतपूर्व माना जा रहा है। गौरतलब है कि राच्य में पहले चरण का मतदान आगामी गुरुवार को होना है। इस चरण में केंद्रीय बलों की कुल 2,407 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। शनिवार को हुई इस बैठक के बाद साल्टलेक स्थित सीआरपीएफ कार्यालय में एक संयुक्त नेतृत्व सम्मेलन (जाइंट लीडरशिप समिट) भी आयोजित किया गया। इसमें अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के साथ-साथ राच्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। सीआइएसएफ के बयान में कहा गया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तकनीक-आधारित और मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करना था। इसके बाद एक और बैठक आयोजित की गई, जिसमें अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के अलावा बंगाल पुलिस, चुनाव आयोग के समन्वयक और पर्यवेक्षक भी शामिल हुए। बैठक में विशेष रूप से पहले चरण की 152 सीटों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही पहले चरण में दो हजार से ज्यादा क्विक रिस्पान्स टीम (क्यूआरटी) की तैनाती और संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए सघन तलाशी अभियान जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सीआइएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना ही सभी सुरक्षा एजेंसियों का मुख्य लक्ष्य है।

ममता ने कांग्रेस जैसे दलों के साथ साजिश रचकर बंगाल की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया : नितिन नवीन

❑ कहा... 'पश्चिम बंगाल में अभी नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई है'

दक्षिण/उत्तर दिनाजपुर : भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के कार्यान्वयन में आई बाधा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। दक्षिण दिनाजपुर जिले के बलूरघाट में भाजपा उम्मीदवार बिद्युत रॉय के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए नवीन ने कहा कि बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालने, जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला होने के बावजूद, ममता बनर्जी ने कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ मिलकर बंगाल की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया ताकि लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक पारित न हो सके। भाजपा अध्यक्ष ने राज्य की महिला मतदाताओं से 'तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाने' का आह्वान करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने आरजी कर अस्पताल और दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज में हुई घटनाओं का भी जिक्र किया। नवीन ने मुख्यमंत्री पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया और कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर सुशासन सुनिश्चित किया जाएगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में अभी नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई है। रायगंज में एक रोड शो के दौरान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बंगाल का नया साल शुरू हो गया है। उन्होंने बंगाल की जनता को बधाई देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन में उत्साह की एक नई लहर आएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि 4 मई पश्चिम बंगाल के लिए एक नई सुबह और नई किरण का दिन साबित होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो डरे हुए हैं, वे डरे ही रहेंगे क्योंकि हम पश्चिम बंगाल के लोगों को उनके अधिकार नहीं खोने देंगे। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए चाहे वे टीएमसी में ही क्यों न हों, इस बात से डरे हुए हैं कि जब भाजपा सत्ता में आएगी, तो उन्हें देश और बंगाल से बाहर कर देगी। नितिन नवीन ने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। पिछले पांच सालों में जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता को परेशान किया गया है, आज लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जनता ने ठान लिया है कि इस बार बदलाव लेकर आएंगे, 4 मई को सुशासन वाली सरकार बनाएंगे।

पहले चरण के मतदान से पहले फिर प्रशासनिक फेरबदल, शुभेंदु के जिले में नए एसडीपीओ की नियुक्ति

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन में अहम बदलाव करते हुए दो अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। शनिवार को जारी निर्देश में हल्दिया और कांथी में नए एसडीपीओ (उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी) की नियुक्ति की घोषणा की गई। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोग बेहद सतर्क है।

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार को हल्दिया का नया एसडीपीओ नियुक्त किया गया है। वहीं, राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स से जुड़े अधिकारी अतनु घोषाल को कांथी का एसडीपीओ बनाया गया है। खास बात यह है कि कांथी क्षेत्र विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव वाले जिले पूर्व मेदिनीपुर में आता है, जहां चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान पहले से ही काफी ऊंचा है।

निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों अधिकारियों को रविवार शाम 5 बजे तक अपने-अपने पद पर कार्यभार संभालना होगा। समयसीमा तय कर आयोग ने यह संकेत दिया है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, यह फेरबदल राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है, जिसे चुनाव आयोग ने मंजूरी दी। चुनाव से ठीक पहले इस तरह के प्रशासनिक बदलाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

गौरतलब है कि आयोग पहले भी राज्य में कई प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने और नई तैनाती करने के कदम उठा चुका है। लगातार हो रहे इन बदलावों से साफ है कि आयोग किसी भी संभावित विवाद या पक्षपात की आशंका को खत्म करने के लिए सख्त रुख अपनाए हुए है।

कीर्णाहार में 'भाजपा नेता' को माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए जाने पर विवाद, शिकायत के बाद हटाया गया

कोलकाता : पहले चरण के मतदान से ठीक पहले नानूर विधानसभा क्षेत्र के कीर्णाहार में माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर विवाद गहरा गया है। तृणमूल कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित माइक्रो ऑब्जर्वर को पद से हटा दिया।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को कीर्णाहार क्षेत्र में अजय साहा नामक एक व्यक्ति माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में ड्यूटी कर रहे थे और 149 नंबर बूथ पर 'एब्सेंटी वोटर्स' के वोट संग्रह की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अजय साहा स्थानीय स्तर पर भाजपा से जुड़े एक सक्रिय नेता हैं और उन्हें इस तरह की संवेदनशील जिम्मेदारी देना निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है।

मामला सामने आते ही तृणमूल ने कड़ा विरोध जताया, जिसके चलते कुछ समय के लिए संबंधित बूथ पर वोट संग्रह की प्रक्रिया भी बाधित रही। स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग हरकत में आया और रातोंरात अजय साहा को माइक्रो ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया गया।

चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल और अधिक गरमा गया है, जहां विभिन्न दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में प्रशासन और चुनाव आयोग पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

न्यूटाउन में नहर किनारे मिले सैकड़ों आधार कार्ड, टीएमसी ने लगाया बीएलओ पर साजिश का आरोप

कोलकाता : विधानसभा चुनाव के बीच न्यूटाउन क्षेत्र में नहर किनारे से बड़ी संख्या में आधार कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया। रविवार दोपहर स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध बोरा देखा, जिसे खोलने पर उसमें 400 से अधिक आधार कार्ड बरामद हुए। बताया जा रहा है कि ये सभी कार्ड आसपास के शुलनगुड़ी दक्षिणपाड़ा इलाके के निवासियों के हैं।

घटना के अनुसार, इलाके में खेल रहे कुछ बच्चों की नजर सबसे पहले नहर किनारे पड़े बोरे पर पड़ी। उन्होंने स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर जब बोरा खोला गया, तो उसमें बड़ी संख्या में आधार कार्ड पाए गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि बरामद सभी आधार कार्डों पर उसी इलाके के पते दर्ज हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है।

इस घटना के सामने आते ही इलाके में भारी तनाव और चर्चा का माहौल बन गया। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने इसे साजिश करार देते हुए आरोप लगाया कि बरामद अधिकांश आधार कार्ड उनके समर्थकों के हैं। उनका दावा है कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते भारतीय जनता पार्टी समर्थित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) ने जानबूझकर यह कृत्य किया है, ताकि मतदाताओं के नाम प्रभावित किए जा सकें।

हालांकि, इस मामले में अभी तक प्रशासन या चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के समय इस तरह की घटना मतदाता सूची और पहचान से जुड़े सवाल खड़े करती है, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि जांच में इस पूरे मामले की सच्चाई क्या सामने आती है।

पीएम का महिला आरक्षण विधेयक पर देश को गुमराह करने का विकल्प चुनना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण : ममता

कोलकाता, समाज्ञा : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दावा किया कि यह 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर 'देश को गुमराह' करने का विकल्प चुना। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 'महिलाओं को ढाल के रूप में इस्तेमाल करके' परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की साजिश रच रही है। इस दिन, ममता ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करने का विकल्प चुना। ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। संसद और राज्य विधानसभा दोनों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अनुपात हमारे यहां सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों में से 37.9 प्रतिशत महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्टी ने राज्यसभा में 46 प्रतिशत महिला सदस्यों को मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हम मूल रूप से उस परिसीमन प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं जिसे मोदी सरकार अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए महिलाओं को ढाल बनाकर लागू करने की साजिश रच रही है। तृणमूल सुप्रीमो ने इसे 'संघीय लोकतंत्र पर हमला' बताते हुए कहा कि हम इसे चुपचाप होते हुए नहीं देखेंगे। तृणमूल प्रमुख ने प्रधानमंत्री पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगली बार जब आप राष्ट्र को संबोधित करें, तो संसद के पटल से ऐसा करने का साहस दिखाएं, जहां आप जांच, चुनौती और जवाबदेही के अधीन होंगे। मुख्यमंत्री ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कल आपने जो किया वह कायरतापूर्ण, पाखंडी और दोहरे चरित्र वाला था। आप महसूस कर सकते हैं कि सत्ता आपके हाथों से फिसल रही है। आप बस कुछ और समय तक सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने महिला आरक्षण का संदर्भ देते हुए कहा कि अगर यह सरकार वाकई इस नेक काम को लेकर गंभीर थी, तो 28 सितंबर, 2023 को महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के लगभग तीन साल बाद तक उसने इंतजार क्यों किया? ममता ने रेखांकित किया कि तृणमूल दशकों से महिलाओं के लिए खड़ी रही है। उन्होंने सवाल किया कि जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो इसे इतनी जल्दीबाजी क्यों की जा रही है ? इसे परिसीमन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? ममता ने कहा कि हम उस विषय पर उपदेश नहीं सुनेंगे जिसे सत्तारूढ़ दल न तो समझता है और न ही सम्मान करता है।

'4 मई के बाद इंसाफ होगा', कंगना रनौत की चेतावनी

भाजपा सांसद ने रोड शो के दौरान ममता पर जमकर साधा निशाना

मुर्शिदाबाद : मंडी की सांसद कंगना रनौत रविवार को मुर्शिदाबाद जिले की कांदी में ममता सरकार और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रोड शो के दौरान कंगना ने विपक्ष को खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि ममता की मानसिकता महिला विरोधी है। कंगना ने आगे कहा कि वह अपने दोस्तों और अपने जैसी मानसिकता के लोगों को आगे बढ़ाती हैं लेकिन यह भी एक अलग बात हो सकती है लेकिन उन्होंने पूरे देश की महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपा है। पूरे देश की महिलाएं और बेटियां निराश हैं। खासकर बंगाल में उन्होंने बेटियों की स्थिति को त्रासदी में बदल दिया है। कंगना रनौत ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में हर दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं। हर दिन उत्पीड़न होता है। ममता ने ऐलान किया है कि रात 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो क्योंकि प्रशासन आपकी देखभाल नहीं कर सकता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी घुसपैठियों और टीएमसी के गुंडों को बड़ी चेतावनी दी है। अगर आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो 29 अप्रैल से पहले किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ऐसा कर लें। कंगना रनौत ने चेतावनी जारी कर कहा कि 4 मई के बाद इंसाफ होगा और यहां पर किसी को नहीं बक्शा जाएगा। जिन-जिन लोगों ने मासूम जनता के साथ अन्याय किया है, उन्हें छोड़ेंगे नहीं।

गुरुकुल राजघाट में बैठक सम्पन्न, 25 अप्रैल से प्रारम्भ होंगे नवीन प्रवेश

बुलन्दशहर (उ.प्र.), समाज्ञा : महेश्वरानन्द वेद भारती ब्रह्माश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित महर्षि दयानन्दार्ष गुरुकुल महाविद्यालय (ब्रह्माश्रम) राजघाट (नरौरा) बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश में एक अत्यावश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गुरुकुल के संचालन एवं विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आगामी सत्र के लिए गुरुकुल के प्राचार्य पद पर आचार्य दीपक शास्त्री (शास्त्री, बी.टी.सी., आचार्य, एम.ए.) को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया।गुरुकुल की अन्न व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु, अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर अन्न संग्रह करने का निर्णय लिया गया, जिससे गुरुकुलीय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग हो सके। क्योंकि गुरुकुल परम्परा दान से ही संचालित होती है।गुरुकुल प्रबन्धक नागेश कुमार ने नवीन छात्रों के प्रवेश की अपील करते हुए बताया कि आज सामाज के छोटे छोटे बच्चे कुरीति एवं कुसंस्कारों के शिकार हो रहे हैं ,इनको कुमार्ग से बचानेऔर सुमार्ग पर लाने के 25 अप्रैल सेप्रवेश प्रारम्भ हो रहा है, गुरुकुल सदैव आर्ष पद्धति से ही संचालित हो जिस पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। भूतपूर्व आईजी केपी सिंह ने आगामी सत्र के लिए पूर्ण समर्पण के साथ गुरुकुल को सभी सहयोग करें साथ ही अपने अपने क्षेत्र से नये सत्र के लिए विद्यार्थी भेजने की भी जनता को प्रेरणा अवश्य करें। गुरुकुल के कुलपति आचार्य चन्द्रदेव शास्त्री ने गुरुकुल के सुचारू संचालन हेतु अपने विचार व्यक्त करते हुए समन्वित भाव से सनातन संस्कृति की रक्षार्थ तन, मन , धन से गुरुकुलोत्थान में अपनी भूमिका निभाएं। बैठक का कुशल संचालन आचार्य योगेश शास्त्री द्वारा किया गया। उपस्थित सभी आर्य महानुभावों ने गुरुकुल के प्रधान एवं आज की बैठक के अध्यक्ष स्वामी अमृतानन्दसरस्वती नेतृत्व में गुरुकुल के सर्वांगीण विकास एवं उन्नति के संकल्प के साथ बैठक को पूर्ण किया गया।

देबाशीष कुमार की ओर से घोषित संपत्ति में आयकर विभाग को 'विसंगतियां' मिलीं

नयी दिल्ली/ कोलकाता : आयकर विभाग को तृणमूल कांग्रेस के निवर्तमान विधायक देबाशीष कुमार के आवास पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त की गई संपत्तियों और विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में घोषित संपत्तियों में 'विसंगतियां' पाई गई हैं। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने रासबिहारी सीट से तृणमूल के उम्मीदवार की और उनसे जुड़ी संपत्तियों की जानकारी निर्वाचन आयोग (ईसी) और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को भेजी है। सूत्रों ने आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट और जब्ती पंचनामे के हवाले से बताया कि देबाशीष कुमार की पत्नी देवजानी कुमार द्वारा आयकर रिटर्न (2021-22 से 2024-25) में घोषित सकल आय, उनके पति द्वारा 2021 के चुनाव शपथ पत्र में घोषित 99.68 लाख रुपये से अधिक की देनदारियों में कमी में विसंगति है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने पाया कि देबाशीष कुमार ने अपने नवीनतम चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी के नाम पर 'शून्य' देनदारी बताई थी। सूत्रों ने दावा किया कि आयकर अधिकारियों ने हाल में विधायक के आवास में तलाशी के दौरान 1.75 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे और बहुमूल्य धातु जब्त कीं। अधिकारियों ने उनसे अपने परिवार के सदस्यों से इन कीमती वस्तुओं के स्वामित्व के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि कुमार ने (2026 के चुनाव हलफनामे में) उनके और पत्नी के पास करीब 36 लाख रुपये मूल्य का 278 ग्राम सोना और करीब 2.5 लाख रुपये की चांदी होने की घोषणा की है। आयकर विभाग को इन दोनों आंकड़ों में 'विसंगति' का संदेह है क्योंकि उसका दावा है कि कुमार ने अपने हलफनामे में हीरे के आभूषणों और सोने (जो उनके परिसर से जब्त किए गए थे) की कोई घोषणा नहीं की थी। इसके अलावा उनके परिसर में पाए गए सोने के वजन और हलफनामे में उल्लिखित वजन में भी अंतर है। विभाग ने तृणमूल विधायक से 2021 के चुनावी हलफनामे के मुकाबले अब में 1.65 करोड़ रुपये की संपत्ति में वृद्धि के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा है। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग उनके सहयोगियों (जिनके यहां छापेमारी की गई थी) और दीपक हीरावत, सुतानु महंती, शेख रियाजुद्दीन और मोहम्मद आज़म जैसे अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है, जिन पर कथित तौर पर 'नकद' धन के लेन-देन और 'अघोषित' निवेश करने में उनकी सहायता करने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि मिराज शाह सहित कुछ अन्य लोग भी आयकर अधिकारियों की जांच के दायरे में हैं, जिन्होंने कुमार को भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी और एनएसएचएम नॉलेज कैंपस जैसे शैक्षणिक संस्थानों में 'हिस्सेदारी' हासिल करने में मदद की थी।

नंदीग्राम में तृणमूल नेता के घर पर धमाका, बच्ची घायल

पूर्व मेदिनापुर : जिले के नंदीग्राम-1 ब्लॉक के दाउदपुर इलाके में रविवार की सुबह तृणमूल जिला परिषद के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर शेख शमसुल इस्लाम के घर बम धमाका हुआ। तृणमूल नेता के परिवार की ओर से घटना की पुष्टि करते हुए बताया गया है कि एक बम फटा है। घटना में तृणमूल नेता की बेटी घायल हो गई। तृणमूल नेता की पत्नी ने बताया कि सुबह आंगन की सफाई करते समय उन्होंने खिड़की पर प्लास्टिक में कुछ रखा देखा। उस समय तृणमूल नेता की नाबालिग बेटी भी प्लास्टिक देखने गई थी। वह नीचे गिर गया और फट गया। घर तुरंत धुएं से भर गया। नाबालिग के पैर और हाथ में चोट आई है। तृणमूल नेता की पत्नी ने कहा कि मेरे पति राजनीति से जुड़े हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। घायल नाबालिग ने कहा कि मैं इसे देखने गई थी। उसी समय धमाका हुआ। घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। दो नए बम बरामद किए गए। चुनाव से पहले तृणमूल नेता के घर से नए बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है।

जामुड़िया में ईसीएल के नए वाटर रिजर्वर की दीवार गिरने से दो युवकों की मौत, एक घायल

आसनसोल : जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ईसीएल केंदा एरिया के ईस्ट केंदा भुइयां पाड़ा में रविवार शाम एक हृदयविदारक घटना घटी। ईसीएल द्वारा निर्मित एक नए जलाशय (वाटर रिजर्वर) की दीवार अचानक ढह जाने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इलाके के लोगों की सुविधा के लिए इस जलाशय का निर्माण कराया गया था। रविवार की शाम करीब 4 बजे इसमें पानी भरकर परीक्षण किया जा रहा था। नया जलाशय देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां एकत्र हो गए थे, जिनमें से कुछ लोग पानी से हाथ-पांव धो रहे थे। इसी दौरान अचानक जलाशय की एक दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे के नीचे भुइयां पाड़ा निवासी प्रकाश भुइयां (30), पवन भुइयां (20) और एक मासूम बच्चा भरत भुइयां दब गया। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रकाश भुइयां और पवन भुइयां को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल भरत भुइयां की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

अदालतों में सिविक वॉलंटियर की तैनाती से गोपनीयता पर खतरा, कर्मचारी संघ ने जताई चिंता

हावड़ा : पश्चिम बंगाल की जिला अदालतों में सिविक वॉलंटियर की तैनाती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अदालत कर्मचारी संघ ने इसे न्यायिक गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। संघ का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण संवेदनशील दस्तावेजों के लीक होने की आशंका बढ़ रही है और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे को लेकर रविवार को हावड़ा मैदान स्थित रोटरी हॉल में पश्चिम बंगाल अदालत कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिला अदालतों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कर्मचारियों की कमी तथा सिविक वॉलंटियर की तैनाती पर विस्तार से चर्चा की।

संघ के महासचिव सौमेन घोषाल ने बताया कि राज्य में लगभग 700 अदालतें हैं, लेकिन स्थायी कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के बाद से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। राज्य में करीब 8500 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 2000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। इन रिक्तियों को भरने के बजाय सिविक वॉलंटियर को तैनात किया जा रहा है, जबकि वे न्याय विभाग के अधिकृत कर्मचारी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिविक वॉलंटियर केवल सुरक्षा कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सिविल, सेशन और आपराधिक अदालतों की फाइलों को भी संभाल रहे हैं। संघ के अनुसार कई मामलों में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तस्वीरें मोबाइल फोन से लेकर बाहर भेजे जाने और मामलों की तारीखें पहले ही बाहरी लोगों तक पहुंचने की स्पष्ट शिकायतें मिली हैं, जिससे न्यायिक गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

संघ के संयुक्त सचिव विनय हलदार ने कहा कि राज्य में पॉक्सो और फैमिली कोर्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुरूप कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अदालतों के कार्यों में सिविक वॉलंटियर की नियुक्ति पर रोक के बावजूद इसका पालन नहीं हो रहा है और कुछ न्यायिक अधिकारियों का भी इसमें समर्थन है। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि अदालतों में सिविक वॉलंटियर की इस व्यवस्था को जल्द समाप्त नहीं किया गया, तो संगठन व्यापक आंदोलन शुरू करेगा।

श्यामपुकुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत

कोलकाता : उत्तर कोलकाता के श्यामपुकुर इलाके में रविवार सुबह एक 45 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर मौत हो गई। मृतक की पहचान संजीब गोनराह के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना श्यामपुकुर स्ट्रीट स्थित एक चार मंजिला इमारत की छत पर हुई। सुबह करीब 6 बजे संजीब गोनराह का शव लोहे के पानी के पाइप से कपड़े के सहारे लटका हुआ पाया गया। परिजनों और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्हें आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। श्यामपुकुर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

हावड़ा के श्यामपुर में सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स का नया 190वीं शोरूम लॉन्च। इस उद्घाटन के अवसर पर एमडी-सीईओ शुभंकर सेन, अभिनेत्री दीतिप्रिया राय समेत कई अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए।

अब नहीं होगी सीट की परेशानी, रेलवे चला रहा 11 समर स्पेशल ट्रेनें

कोलकाता, समाज्ञा : रेलवे द्वारा गर्मियों के मौसम में यात्रियों की संभावित भीड़ की सुविधा के लिए विभिन्न दिशाओं में 11 समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है। इसके तहत, 04171/04172 कानपुर सेंट्रल-आसनसोल स्पेशल, 04171 ट्रेन 19 अप्रैल 2026 को 13:00 बजे कानपुर सेंट्रल से प्रस्थान कर अगले दिन 03:00 बजे आसनसोल पहुंचेगी। वापसी में 04172 ट्रेन 20 अप्रैल 2026 को 06:00 बजे आसनसोल से प्रस्थान कर उसी दिन 20:50 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।

04167/04168 कानपुर सेंट्रल-आसनसोल स्पेशल में 04167 ट्रेन 21 अप्रैल 2026 को 15:10 बजे कानपुर सेंट्रल से चलकर अगले दिन 15:00 बजे आसनसोल पहुंचेगी। 04168 ट्रेन 22 अप्रैल 2026 को 17:10 बजे आसनसोल से प्रस्थान कर अगले दिन 14:00 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार में चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी।

05156/05155 छपरा-कोलकाता स्पेशल में 05156 ट्रेन 20 अप्रैल 2026 एवं 27 अप्रैल 2026 को 15:10 बजे छपरा से प्रस्थान कर अगले दिन 06:15 बजे कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में 05155 ट्रेन 21 अप्रैल 2026 एवं 28 अप्रैल 2026 को 08:25 बजे कोलकाता से चलकर उसी दिन 23:10 बजे छपरा पहुंचेगी। यह ट्रेन नैहाटी, बंडेल, वर्दवान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी।

05064/05063 गोमतीनगर-कोलकाता स्पेशल में 05064 ट्रेन 22 अप्रैल 2026 एवं 29 अप्रैल 2026 को 08:40 बजे गोमतीनगर से प्रस्थान कर अगले दिन 13:10 बजे कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में 05063 ट्रेन 23 अप्रैल 2026 एवं 30 अप्रैल 2026 को 15:20 बजे कोलकाता से चलकर अगले दिन 18:30 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन नैहाटी, बंडेल, वर्दवान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी।

09603/09604 मदर जंक्शन-हावड़ा स्पेशल में 09603 ट्रेन 21 अप्रैल 2026 एवं 28 अप्रैल 2026 को 06:40 बजे मदर जंक्शन से प्रस्थान कर अगले दिन 16:20 बजे हावड़ा पहुंचेगी। वापसी में 09604 ट्रेन 22 अप्रैल 2026 एवं 29 अप्रैल 2026 को 18:50 बजे हावड़ा से चलकर अगले दिन 23:55 बजे मदर जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन वर्दवान, दुर्गापुर और आसनसोल स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी।

09623/09624 उदयपुर सिटी-आसनसोल स्पेशल में 09623 ट्रेन 21 अप्रैल 2026 को 22:30 बजे उदयपुर सिटी से प्रस्थान कर तीसरे दिन 07:15 बजे आसनसोल पहुंचेगी। वापसी में 09624 ट्रेन 23 अप्रैल 2026 को 09:00 बजे आसनसोल से चलकर अगले दिन 14:30 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। 05504/05503 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल में 05504 ट्रेन 22 अप्रैल 2026 एवं 26 अप्रैल 2026 को 16:00 बजे रक्सौल से प्रस्थान कर अगले दिन 08:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी। वापसी में 05503 ट्रेन 23 अप्रैल 2026 एवं 27 अप्रैल 2026 को 11:30 बजे हावड़ा से चलकर अगले दिन 04:30 बजे रक्सौल पहुंचेगी। यह ट्रेन बंडेल, वर्दवान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। 03302/03301 गोमोह-दुर्गापुर स्पेशल में 03302 ट्रेन 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल एवं 24 अप्रैल को 21:00 बजे गोमोह से प्रस्थान कर अगले दिन 01:00 बजे दुर्गापुर पहुंचेगी। वापसी में 03301 ट्रेन 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल एवं 25 अप्रैल को 02:30 बजे दुर्गापुर से चलकर उसी दिन 06:30 बजे गोमोह पहुंचेगी। यह ट्रेन आसनसोल स्टेशन पर दोनों दिशाओं में रुकेगी।

09479/09480 वटवा-हावड़ा स्पेशल में 09479 ट्रेन 20 अप्रैल 2026 एवं 26 अप्रैल 2026 को 16:45 बजे वटवा से प्रस्थान कर तीसरे दिन 09:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी। वापसी में 09480 ट्रेन 22 अप्रैल 2026 एवं 28 अप्रैल 2026 को 19:00 बजे हावड़ा से चलकर तीसरे दिन 12:15 बजे वटवा पहुंचेगी। यह ट्रेन बंडेल, वर्दवान, दुर्गापुर और आसनसोल स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। 09481/09482 वटवा-हावड़ा स्पेशल (अतिरिक्त सेवाएं) में 09481 ट्रेन 21 अप्रैल, 22 अप्रैल एवं 27 अप्रैल को 16:45 बजे वटवा से प्रस्थान कर तीसरे दिन 10:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी। वापसी में 09482 ट्रेन 23 अप्रैल, 24 अप्रैल एवं 29 अप्रैल को 20:00 बजे हावड़ा से चलकर तीसरे दिन 14:25 बजे वटवा पहुंचेगी। यह ट्रेन बंडेल, वर्दवान, दुर्गापुर और आसनसोल स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। 09431/09432 साबरमती-आसनसोल स्पेशल में 09431 ट्रेन 20 अप्रैल एवं 26 अप्रैल को 22:55 बजे साबरमती से प्रस्थान कर तीसरे दिन 13:15 बजे आसनसोल पहुंचेगी। वापसी में 09432 ट्रेन 22 अप्रैल एवं 28 अप्रैल को 16:20 बजे आसनसोल से चलकर तीसरे दिन 07:15 बजे साबरमती पहुंचेगी।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आ-इसगेट 2.0 पोर्टल पर शुरू की कस्टम ड्यूटी पेमेंट सुविधा

कोलकाता, समाज्ञा : आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आ-इसगेट 2.0 पोर्टल पर कस्टम ड्यूटी पेमेंट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस एकीकरण के बाद अब आयात-निर्यात से जुड़े ग्राहक कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स का भुगतान डिजिटल माध्यम से आसानी कर सकेंगे। बैंक की यह सुविधा रिटेल और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिससे सुरक्षित, तेज और पेपरलेस ट्रांजैक्शन संभव होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उन चुनिंदा निजी बैंकों में शामिल है जिन्हें आरबीआई, सीबीआईसी और वित्त मंत्रालय से डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी और कस्टम्स पेमेंट की अनुमति प्राप्त है। बैंक का कहना है कि यह कदम भारत के डिजिटल टैक्स और ट्रेड सिस्टम को मजबूत करेगा। हेड- रिटेल लाइबिलिटीज आशीष सिंह ने कहा कि यह सुविधा व्यापार को गति देगी और कारोबारियों के लिए प्रक्रिया सरल बनाएगी।

स्वच्छता बनी विरासत का संदेश, पूर्व रेलवे का अभियान स्टेशनों से ट्रेनों तक पहुंचा

कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे के 'स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेल' अभियान के चौथे दिन (18 अप्रैल) विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर स्वच्छता को एक जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया गया। इस अभियान में स्वच्छता को केवल सफाई तक सीमित न रखते हुए इसे सामाजिक जिम्मेदारी और साझा विरासत से जोड़ते हुए व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाई गई। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के माजेरहाट और दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशनों पर 18 स्वयंसेवकों-घोलेशापुर समूह के 8 और विवेकानंद समूह, दक्षिणेश्वर के 10 सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। प्लेकार्ड के साथ यात्रियों से सीधे संवाद कर स्वच्छता, कचरा निस्तारण और नागरिक कर्तव्यों पर जागरूकता फैलायी गई।

बैरकपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, सियालदह डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के तहत अभियान चलाया गया। यहां स्टेशन परिसर, मंदिर क्षेत्र और कार्यालयों में सफाई के साथ यात्रियों, विक्रेताओं और कर्मचारियों को जागरूक किया गया, जिससे स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। आजिमगंज में यह अभियान रैली के रूप में सामने आया, जहां 15 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्वच्छता का संदेश दिया। डानकुनी रेलवे स्टेशन पर 6 स्काउट्स की टीम ने यह साबित किया कि छोटी पहल भी बड़ा बदलाव ला सकती है। यह अभियान ट्रेनों में भी जारी रहा। ट्रेन संख्या 12303 पूर्वा एक्सप्रेस और 03202 पटना-आसनसोल मेमू एक्सप्रेस में आसनस-ोल डिस्ट्रिक्ट के 15 प्रतिभागियों ने यात्रियों से संवाद कर कचरा न फैलाने, डस्टबिन के उपयोग और प्लास्टिक के कम इस्तेमाल का संदेश दिया।

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने कहा, स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक संस्कृति है। स्वच्छ रेलवे और स्वच्छ परिवेश हमारी साझा जिम्मेदारी है।

शांति विद्यालय प्रांगण में ब्रह्मऋषि समाज ने मनाई परशुराम जयंती

हावड़ा, समाज्ञा : अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर रविवार को हावड़ा स्थित शांति विद्यालय के प्रांगण में ब्रह्मऋषि समाज द्वारा भगवान परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की भाजपा की वरिष्ठ नेत्री कुसुम राय ने भगवान परशुराम की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने समाज के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में सामाजिक एकता और सद्भावना को बनाए रखते हुए समाज को जोड़ने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में समाज्ञा हिन्दी दैनिक के संपादक अनिल राय, अवधेश राय, प्रकाश पांडे, अंजनी कुमार राय, धर्मेंद्र ठाकुर, अविनाश कुमार सिंह, यशवंत राय, निलेश कुमार, मुरारी कुमार, शिवम राय, हर्षा सिंह सहित अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे।

ट्रैक पार करना जानलेवा: पूर्व रेलवे की यात्रियों से फुट ओवरब्रिज इस्तेमाल करने की अपील

कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के उपयोग को अनिवार्य रूप से अपनाने की अपील की है। यह अपील हाल ही में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद की गई है, जिसने ट्रैक पार करने के खतरों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। जानकारी के अनुसार, प्रबीर पॉल (नाम परिवर्तित) नामक एक यात्री ने प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ट्रेन आने की घोषणा के बाद जल्दबाजी में फुट ओवरब्रिज का उपयोग करने के बजाय सीधे रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश की। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया।

यह हादसा केवल शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे परिवार पर पड़ा है। पीड़ित अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, जिससे अब उनके परिवार का भविष्य संकट में पड़ गया है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूर्व रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने चारों मंडलों में 10 नए फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया है। हावड़ा मंडल के सैंथिया, बरोगोपीनाथपुर, डानकुनी और जयरामबाती; सियालदह मंडल के बसुलडांगा; आसनसोल मंडल के जसीडीह, सीतारामपुर और नवाब मोड़; तथा मालदह मंडल के मुरारपुर और अभयपुर स्टेशनों पर ये सुविधाएं शुरू की गई हैं।

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने कहा, कुछ अतिरिक्त कदम आपकी पूरी जिंदगी बचा सकते हैं। एक पल की जल्दबाजी को जिंदगी भर का पछतावा न बनने दें। अपने परिवार और भविष्य के लिए हमेशा फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल करें।

टीएमसी ने राज्य में आई-पैक के कामकाज रोकने से जुड़ी खबरों को बताया 'झूठा'

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य में राजनीतिक परामर्शदाता कंपनी आई-पैक के काम काज को निलंबित करने की खबरों को टपूरी तरह बेबुनियादट बताते हुए, तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से धमकी देकर पार्टी की चुनाव व्यवस्था को पंगु बनाने की साजिश की जा रही है। सत्ताधारी पार्टी की ओर से यह खंडन उन खबरों के सामने आने के कुछ घंटों बाद आया है, जिनमें कहा गया था कि 'इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (आई-पैक) ने कथित तौर पर राज्य में कर्मचारियों को तुरंत काम बंद करने और 20 दिन की छुट्टी पर जाने के लिए कहा है। एक समाचार पत्र की खबरों में दावा किया गया है कि संगठन ने शनिवार की देर रात कर्मचारियों को ई-मेल भेजकर 'कानूनी बाध्यताओं' का हवाला दिया और कहा है कि राज्य में काम 11 मई तक निलंबित रहेगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। हालांकि, आई-पैक ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन टीएमसी ने रविवार की दोपहर को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि आई-पैक ने पार्टी के चुनाव प्रचार से खुद को अलग नहीं किया है। पार्टी ने कहा कि हमें मीडिया की एक रिपोर्ट के बारे में जानकारी है जिसमें दावा किया गया है कि आई-पैक ने पश्चिम बंगाल में अगले 20 दिनों के लिए अपना अभियान रोक दिया है। यह दावा पूरी तरह निराधार है और जमीनी स्तर पर भ्रम पैदा करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है। बयान में कहा गया कि राज्य में आई-पैक की टीम टीएमसी के साथ 'पूरी तरह से जुड़ी हुई' है और राज्य भर में चुनाव प्रचार अभियान योजना के अनुसार जारी है। भाजपा को निशाना बनाते हुए राजनीतिक रूप से तीखे संदेश में टीएमसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल 'गलत सूचना या धमकियों से प्रभावित नहीं होगा' और मतदाता 23 और 29 अप्रैल को मतदान के जरिये जवाब देंगे।

'कोई बेरोजगार नहीं होगा', ममता का आई-पैक कर्मचारियों को नौकरी देने का वादा

हुगली, समाज्ञा : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी और भाजपा और केंद्रीय एजेंसियों पर न केवल टीएमसी, बल्कि पार्टी के लिए काम करने वालों को भी डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। तारकेश्वर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने राजनीतिक परामर्श उपलब्ध कराने वाली कंपनी का नाम लिए बिना घोषणा की कि यदि जारी दबाव के कारण आई-पैक के कर्मचारियों को अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उनकी पार्टी उन्हें नौकरी पर रख लेगी। ममता ने कहा कि वे हर दिन ईडी के जरिए हमारे यहां छापेमारी करते हैं। अचानक, चुनाव के दौरान, उन्हें ये सब याद आ गया? वे हमारी पार्टी के लिए काम करने वालों को पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए कह रहे हैं। उनके पास 50 संगठन हैं, हमारे पास सिर्फ एक है। आक्रामक अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें धमकाया गया, तो वे हमसे जुड़ जाएंगे। हम उन्हें नौकरियां देंगे। मैं एक भी लड़के की नौकरी नहीं जाने दूंगी। यहां आने से पहले मैंने आज सुबह अभिषेक से बात की। भाजपा का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एक महत्वपूर्ण मोड़ पर टीएमसी की चुनाव तैयारियों को बाधित करने के लिए एक 'गहरी साजिश' रची जा रही है। हम इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमें और कितना प्रताड़ित करेंगे? आप और कितने वोट छीनने की कोशिश करेंगे? इसके बाद आप एनआरसी लाएंगे।

तलाशी के बीच ईडी डीसी शांतनु के बेटे को लेकर पार्क स्ट्रीट पहुंची, बेटे ने कहा... 'शुभेंदु की चाल'

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता के डिप्टी पुलिस कमिश्नर शांतनु सिंह विश्वास के बालीगंज स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने रविवार के तड़के तलाशी अभियान चलाया। दोपहर होते-होते ईडी की टीम शांतनु सिंह विश्वास के बेटे को साथ लेकर पार्क स्ट्रीट की ओर रवाना हुई। इस बीच, दोपहर में शांतनु सिंह विश्वास के बेटे ने मीडिया से बातचीत करते हुए तलाशी को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों की यह कार्रवाई शुभेंदु अधिकारी की चाल है। जानकारी के अनुसार, ईडी की टीम उन्हें पार्क स्ट्रीट के उस स्थान पर लेकर गई जहां उनका एक कोचिंग सेंटर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य जांच है। मैं और मेरे पिता घर पर ही थे। कुछ दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने मेरे पिता से भी बात की है, सब ठीक है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम उन्हें पार्क स्ट्रीट के ऑकलैंड रोड स्थित स्थान पर लेकर गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता डीसीपी शांतनु सिंह विश्वास और वे स्वयं जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। इधर, तलाशी के बीच शांतनु सिंह विश्वास के फर्न रोड स्थित घर पर उनके वकील प्रसेनजीत नाग पहुंचे।

डीसीपी के घर पर ईडी की रेड से बिफरीं ममता, कहा... 'क्या मुझे मारकर बंगाल जीतना चाहते हैं?'

हुगली, समाज्ञा : मुख्यमंत्री ममता ने रविवार को तारकेश्वर में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा। कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा के घर पर केंद्रीय एजेंसी की रेड पर ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे मेरे सिक्योरिटी का ध्यान रखने वाले के घर पर रेड कर रहे हैं। आपका क्या इरादा है? क्या आप मुझे मरवाकर बंगाल जीतना चाहते हो? उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे मारकर बंगाल जीतने का प्रयास करना चाहते तो तो कोशिश मत करें। माकपा के समय में भी मारने की कई कोशिशें हुई हैं। वह माकपा अब आपकी दोस्त है। ममता ने कहा कि जो मेरा इनकम टैक्स का कामकाज देखता है, ईडी ने उसके घर की तलाशी ली है। हमारे कैंडिडेट देबाशीष कुमार को 16 घंटे तक हिरासत में रखा गया। उन्हें कैंपेन करने नहीं दिया गया।

तृणमूल का अर्थ है तोलाबाजी, तानाशाही और तुष्टीकरण : जेपी नड्डा

कूचबिहार : कूचबिहार के शीतलकूची में रविवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना कहा है कि तृणमूल का अर्थ है तोलाबाजी, तानाशाही (अत्याचार) और तुष्टीकरण। बंगाल में ममता सरकार ने आम आदमी को मुसीबत में डाल दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब भी, अगर कोई अपने घर के लिए दीवार बनाना चाहता है, तो तृणमूल सिंडिकेट को इसके लिए भुगतान करना होगा। बंगाल की लड़की ऋतु प्रामाणिक, जो अपना छोटा सा घर बना रही थी, उसे एक लाख रुपये देने के लिए मजबूर किया गया। जब तक पैसे नहीं दिये गए तब तक मजदूर भी उनके घर पर काम करने नहीं आए। आखिरकार उन्होंने अपने गहने बेच दिए और अपने हिस्से का भुगतान किया, तभी वे अपना घर बनाने में सक्षम हुईं। उन्होंने कहा कि तृणमूल का अर्थ है तोलाबाजी, तानाशाही (अत्याचार) और तुष्टीकरण। घर बनाने के लिए लोगों को पहले सिंडिकेट को रिश्वत देनी होती है। ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाना चाहिए। नड्डा ने आगे कहा, मेरी बात सुनो, टीएमसी के गुंडों, 5 मई के बाद आपके दिन खत्म हो जाएगा। टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और हम राम राज्य की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ममता सरकार का उत्तर बंगाल के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया है। ममता सरकार नहीं चाहती कि उत्तर बंगाल का विकास हो। यहां विकास बार-बार रुका हुआ है। यहां के लोगों का शोषण किया गया है, और यहां तक कि चाय बागान भी संकट में है। चाय के उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। लगभग 80 प्रतिशत चाय बागान या तो बंद हो गए हैं या कमजोर हो गए हैं।

महिला आरक्षण बिल रोकना महिलाओं के अधिकारों पर हमला : किरेन रिजिजू

- **महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर रिजिजू का टीएमसी और विपक्ष पर तीखा हमला**
- **बोले-बंगाल चुनाव में जनता देगी जवाब, यह बदलाव की शुरुआत का संकेत**

कोलकाता, समाज्ञा : महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न होने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीएमसी और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ कदम बताया। रविवार शाम कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक को रोकना महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने दावा किया कि इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह घटनाक्रम राज्य में सत्ता परिवर्तन की दिशा में एक संकेत साबित हो सकता है।

रिजिजू के अनुसार, संसद के हालिया विशेष सत्र में पेश यह विधेयक महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। उन्होंने विपक्ष के उस आरोप को भी खारिज किया, जिसमें इस बिल को परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया से जोड़कर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए थे। रिजिजू ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण लोकतांत्रिक आवश्यकता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है, जिससे प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को रोकना केवल राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों पर आघात है और जनता इस पर उचित जवाब देगी।

अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में आयोजन संपन्न

कोलकाता, समाज्ञा : अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के पावन अवसर पर ऐतिहासिक जोड़ासांको ठाकुर बाड़ी के समीप 90 के दशक के लोकप्रिय एवं जननायक पूर्व विधायक ब्रह्मऋषि पुत्र अनय गोपाल सिन्हा की स्मृति में निर्मित पानी के प्याऊ का अनावरण 25 नंबर वार्ड के पार्षद राजेश सिन्हा द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज के कई वरिष्ठ एवं सम्मानित लोग उपस्थित रहे। स्वर्गीय अनय गोपाल सिन्हा की स्मृति में वर्ष 1998 से अनय गोपाल स्मृति रक्षा समिति द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका संचालन संस्था के सचिव राजेश सिन्हा द्वारा किया जाता है।

ममता ने भवानीपुर में नागरिकों के साथ की बैठक, विकास कार्यों का किया उल्लेख

- **भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला बोला**
- **पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी नहीं थी**

कोलकाता : बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ एक घरेलू बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बैठक केवल स्थानीय नागरिकों के साथ बातचीत के लिए है, इसलिए इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए।

भवानीपुर के 72 नंबर वार्ड स्थित लेडीज़ पार्क (उत्तम उद्यान) में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में अपने कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला बोला। हालांकि, भाजपा द्वारा भवानीपुर से उम्मीदवार बनाए गए नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया।

बैठक स्थल के बाहर बड़े माइक और लाउडस्पीकर लगाए जाने पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई और स्थानीय पार्षदों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह कोई सार्वजनिक रैली नहीं, बल्कि एक निजी संवाद है, इसलिए ऐसे इंतजाम की जरूरत नहीं थी।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि 12 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने कितने वादे पूरे किए। ममता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को भाड़े पर लाया जाता है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की सभाओं में लोग स्वेच्छा से आते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उन्हें इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि वह उनसे डरती है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर धर्म और समुदाय के आधार पर देश को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल को साथ लेकर चलती हूं, विभाजन की राजनीति नहीं करती। एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिनमें खास तौर पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया।इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया।

बैठक के अंत में उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं और सुझाव सुने। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखने की इच्छा जताई और उनकी तुलना झांसी की रानी से की। बैठक में इस्कान मंदिर के प्रतिनिधि राधारमण दास भी मौजूद थे। उन्होंने अक्षय तृतीया के अवसर पर दीघा स्थित जगन्नाथ धाम में हुई भारी भीड़ का जिक्र किया। इस पर ममता बनर्जी ने बताया कि वह रथ यात्रा के दौरान दीघा जाने की योजना बना रही हैं।

Form C – 1

Declaration about criminal cases

(As per the judgement dated 25th September, 2018 of Honble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and Address of the candidate : **Sk. Mujaffar Ali,** Village – Kalubati Bhagabatipur, P.O. & P.S. – Haripal, District – Hooghly, West Bengal – 712403

Name of political party: All India Secular Front (AISF)
Name of Election: Election to West Bengal Legislative Assembly
Name of Constituency: 196 - Haripal Assembly Constituency

I, Sk. Mujaffar Ali, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending Criminal Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of the offence(s)
1)	Ld. ACJM - Chandannagore	Haripal P.S. Case No. 311/2025 dated 29.05.2025	Pending	126(2)/ 115(2)/ 324(4)/ 351(2)/ 303(2)/ 317(2)/ 3(5) of BNS; Wrongfully restraining any person, Voluntary Causing hurt, Criminal Intimidation, Theft, Dishonestly Receiving stolen property knowing it to be stolen, common Intention
2)	Ld. JM – II Chandannagore	GR 192/2023 arising out of Haripal P.S. Case No. 48/2023 dated 01.02.2023	Pending	341/ 323/ 325/ 354B/ 379/ 504/ 506/ 34 IPC; Wrongfully restraining any person, Voluntary Causing hurt, Criminal Intimidation, Theft, Assault or criminal force to women with intent to disrobe, intent to provoke breach of peace, common intention
3)	Ld. ADJ - FTC - Chandannagore	Haripal P.S. Case No. 149/2009 S.T. No.01(Sept)2024 dated 17.12.2009	Pending	147/ 148/ 149/ 323/ 325/ 307/ 427/ 506/ 186/ 332/ 353 IPC & 25/ 27 Arms Act; Rioting With Armed and deadly Weapon, Unlawful Assembly, Wrongfully restraining any person, Voluntary Causing hurt, Criminal Intimidation
4)	Ld. ADJ - FTC - Chandannagore	Haripal P.S. Case No. 81/2009 ST 27/2025 dated 17.07.2009	Pending	147/ 148/ 149/ 323/ 427/ 379/ 436 IPC; Rioting With Armed and deadly Weapon, Unlawful Assembly, Mischief by fire or explosive substance with intent to destroy house, theft
5)	Ld. JM – III - Chandannagore	Haripal P.S. Case No. 112/2008 GR 637/2008 dated 03.10.2008	Pending	143/ 341/ 323/ 506 IPC; Wrongfully restraining any person, Voluntary Causing hurt, Criminal Intimidation
6)	Ld. JM - II at Chandannagore	Haripal P.S. Case No. 43/2002 GR 291/2002 dated 15.05.2002	Pending	147/ 148/ 341/ 323/ 504/ 506 IPC; Rioting With Armed and deadly Weapon, Wrongful restraint, Voluntary Causing hurt, intent to provoke breach of peace, Criminal Intimidation
7)	Ld JM – III, at Chandannagore	Haripal PS Case No. 22/ 2002 GR 172/2002 dated 17.03.2002	Pending	420/ 406 IPC; Cheating and dishonestly inducing delivery of property, Criminal Breach Of Trust
8)	Ld. ACJM - Chandannagore	Haripal PS Case No. 18/ 2002 dated 13.02.2002	Pending	351/ 447/ 34 IPC; Assault, Criminal Trespass

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1)	None	None	Not Applicable
2)	None	None	Not Applicable
3)	None	None	Not Applicable

रीजेंट पार्क क्षेत्र में वृद्ध व्यक्ति की असामान्य मौत, जांच शुरू

कोलकाता : रीजेंट पार्क थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक 64 वर्षीय व्यक्ति की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान शिबू कुंडू के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, घटना सुबह करीब 6:15 बजे पुरबा पुटियारी के ठाकुरपाड़ा इलाके में एक एस्बेस्टस की छत वाले कमरे में हुई। शिबू कुंडू को कमरे के अंदर फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ा पाया गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें एम. आर. बंगुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Name Change

I, Arshad Hussian son of Abdul Qaiyum, residing at 147/11B, Keshab Chandra Sen Street, Raja Ram Mohan Sarani, Kolkata-700009, do hereby solemnly affirm and declare that Arshad Hussian and Md. Arshad is the same and one identical person via affidavit in the Court of Executive Magistrate, 1st Class at Howrah dated 16th April 2026.

ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें
मदार जंक्शन और हावड़ा, उदयपुर सिटी और आसनसोल तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो और दुर्गापुर के बीच

गर्मी के मौसम के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए, **मदार जंक्शन और हावड़ा, उदयपुर सिटी और आसनसोल जंक्शन तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो और दुर्गापुर** के बीच स्पेशल ट्रेनें निम्नलिखित संक्षिप्त समय-सारिणी, ठहराव, यात्रा की तारीख और गठन के अनुसार चलाई जायेंगी :

09603/09604 मदार जं.-हावड़ा- मदार जं. स्पेशल ट्रेन

मदार जं.- हावड़ा			(09603) (09604)	हावड़ा- मदार जं.		
दिन	आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	दिन
मंगल	--	06.40	↓ मदार जंक्शन	23.55	--	बृहस्पति
	14.50	15.00	टूंडला	13.25	13.35	
बुध	12.40	12.45	आसनसोल	21.18	21.23	बुध
	14.25	14.27	बर्द्धमान	19.55	19.57	
	16.20	--	हावड़ा ↑	--	18.50	

उपर्युक्त स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में मार्ग के किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, बांदीकुई जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, ईदगाह आगरा जंक्शन, इटावा जंक्शन, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, गया जंक्शन, पारसनाथ एवं दुर्गापुर स्टेशनों पर भी रुकेंगी। • **यात्रा की तारीख एवं दिन : मदार जं. से : 09603** दिनांक 21/04/2026 एवं 28/04/2026 (मंगलवार) को = 02 ट्रिप और **हावड़ा से : 09604** दिनांक 22/04/2026 एवं 29/04/2026 (बुधवार) को =02 ट्रिप। • **गठन :** वातानुकूलित 2-टियर - 02, वातानुकूलित 3-टियर - 05, शयनयान श्रेणी - 07, साधारण द्वितीय श्रेणी (जीएस) - 04 एवं एसएलआरडी - 02 = 20 कोच। • **श्रेणी :** मेल/एक्सप्रेस।

09623/09624 उदयपुर सिटी-आसनसोल-उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन

उदयपुर सिटी-आसनसोल			(09623) (09624)	आसनसोल-उदयपुर सिटी		
दिन	आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	दिन
मंगल	--	22.30	↓ उदयपुर सिटी	14.30	--	शुक्र
बुध	04.05	04.15	अजमेर	08.30	08.40	
	13.00	13.10	टूंडला	01.40	01.50	
बृहस्पति	05.00	05.05	धनबाद	10.15	10.20	बृहस्पति
	07.15	--	आसनसोल ↑	--	09.00	

उपर्युक्त स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में मार्ग के राणा प्रताप नगर, मावली जंक्शन, भीलवाड़ा, बिजैनगर, नसीराबाद, किशनगढ़, जयपुर जंक्शन, बांदीकुई जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, ईदगाह आगरा जंक्शन, इटावा जंक्शन, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्ज़ापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, गया जंक्शन, कोडरमा एवं सीतारामपुर स्टेशनों पर भी रुकेंगी। • **यात्रा की तारीख एवं दिन : उदयपुर सिटी से : 09623** दिनांक 21/04/2026 (मंगलवार) को = 01ट्रिप और **आसनसोल से : 09624** दिनांक 23/04/2026 (बृहस्पतिवार) को=01 ट्रिप। • **गठन :** वातानुकूलित 2-टियर - 02, वातानुकूलित 3-टियर - 06, वातानुकूलित 3-टियर इकोनॉमी - 02, शयनयान श्रेणी - 06, साधारण द्वितीय श्रेणी (एलएस) - 04 एवं पावर कार - 02 = 22 कोच। • **श्रेणी :** मेल/एक्सप्रेस।

03302/03301 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो-दुर्गापुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो स्पेशल ट्रेनें

एनएससीबी जं. गोमो-दुर्गापुर			(03302) (03301)	दुर्गापुर-एनएससीबी जं. गोमो		
दिन	आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	दिन
सोम, मंगल, बुध, शुक्र	--	21.00	↓ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जं. गोमो	06.30	--	मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि
	01.00	--	दुर्गापुर ↑	--	02.30	

उपर्युक्त स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में मार्ग के धनबाद एवं आसनसोल स्टेशनों पर भी रुकेंगी। • **यात्रा की तारीख एवं दिन : नेताजी सुभाष चंद्र बोस जं. गोमो से : 03302** दिनांक 20/04/2026 (सोमवार), 21/04/2026 (मंगलवार), 22/04/2026 (बुधवार) एवं 24/04/2026 (शुक्रवार) को = 04 ट्रिप और **दुर्गापुर से : 03301** दिनांक 21/04/2026 (मंगलवार), 22/04/2026 (बुधवार), 23/04/2026 (बृहस्पतिवार) एवं 25/04/2026 (शनिवार) को=04 ट्रिप। • **गठन :** शयनयान श्रेणी - 10, साधारण द्वितीय श्रेणी (जीएस) - 02 एवं एसएलआरडी - 02 = 14 कोच। • **श्रेणी :** मेल/एक्सप्रेस।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें
छपरा और कोलकाता, गोमतीनगर और कोलकाता तथा रक्सौल और हावड़ा के बीच

गर्मी के मौसम के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए, **05156/05155 छपरा-कोलकाता-छपरा स्पेशल, 05064/05063 गोमतीनगर-कोलकाता-गोमतीनगर स्पेशल एवं 05504/05503 रक्सौल-हावड़ा-रक्सौल स्पेशल ट्रेनें** निम्नलिखित संक्षिप्त समय-सारिणी, ठहराव, यात्रा की तारीख और गठन के अनुसार चलाई जायेंगी :

05156/05155 छपरा-कोलकाता-छपरा स्पेशल ट्रेन

छपरा-कोलकाता स्पेशल			05156 05155	कोलकाता-छपरा स्पेशल		
दिन	आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	दिन
सोम	–	15.10	↓ छपरा	23.10	–	मंगल
	19.05	19.15	बरौनी जंक्शन	18.25	18.35	
	23.08	23.10	जसीडीह	14.16	14.18	
मंगल	01.02	01.07	आसनसोल	12.43	12.48	
	04.28	04.30	बैंडेल	09.52	09.54	
	06.15	–	कोलकाता ↑	–	08.25	

उपर्युक्त स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में मार्ग के दिघवारा, सोनपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, शाहपुर पटोरी, किऊल जंक्शन, झाझा, मधुपुर जंक्शन, चित्तरंजन, दुर्गापुर, बर्द्धमान जंक्शन एवं नैहाटी जंक्शन स्टेशनों पर भी रुकेंगी। • **यात्रा की तारीख एवं दिन : छपरा से : 05156 दिनांक 20/04/2026 एवं 27/04/2026 (सोमवार) को = 02 ट्रिप और कोलकाता से : 05155 दिनांक 21/04/2026 एवं 28/04/2026 (मंगलवार) को=02 ट्रिप। • गठन :** वातानुकूलित प्रथम श्रेणी सह वातानुकूलित 2-टियर - 01, वातानुकूलित 2-टियर - 02, वातानुकूलित 3-टियर - 06, वातानुकूलित 3-टियर इकोनॉमी - 02, शयनयान श्रेणी - 05, साधारण द्वितीय श्रेणी (एलडब्ल्यूएस) - 04, पावर कार - 01 एवं एलएसएलआरडी - 01 = 22 कोच। • **श्रेणी :** मेल/एक्सप्रेस।

05064/05063 गोमतीनगर-कोलकाता-गोमतीनगर स्पेशल ट्रेन

गोमतीनगर-कोलकाता स्पेशल			05064 05063	कोलकाता-गोमतीनगर स्पेशल		
दिन	आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	दिन
बुध	–	08.40	↓ गोमतीनगर	18.30	–	शुक्र
	18.00	18.40	थावे	10.10	10.50	
बृहस्पति	05.28	05.30	जसीडीह	22.30	22.32	बृहस्पति
	07.50	07.55	आसनसोल	20.30	20.35	
	11.18	11.20	बैंडेल	16.52	16.54	
	13.10	–	कोलकाता ↑	–	15.20	

उपर्युक्त स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में मार्ग के गोण्डा जंक्शन, बस्ती, गोरखपुर जंक्शन, कप्तानगंज जंक्शन, पडरौना, तमकुही रोड, दिघवादुबौली, मशरख, मढ़ौरा, हाजीपुर जंक्शन, शाहपुर पटोरी, बरौनी जंक्शन, झाझा, मधुपुर जंक्शन, चित्तरंजन, दुर्गापुर, बर्द्धमान जंक्शन एवं नैहाटी जंक्शन स्टेशनों पर भी रुकेंगी। • **यात्रा की तारीख एवं दिन : गोमतीनगर से : 05064 दिनांक 22/04/2026 एवं 29/04/2026 (बुधवार) को = 02 ट्रिप और कोलकाता से : 05063 दिनांक 23/04/2026 एवं 30/04/2026 (बृहस्पतिवार) को=02 ट्रिप। • गठन :** वातानुकूलित 3-टियर - 02, शयनयान श्रेणी - 07, साधारण द्वितीय श्रेणी (जीएस) - 08 एवं एसएलआरडी - 02 = 19 कोच। • **श्रेणी :** मेल/एक्सप्रेस।

05504/05503 रक्सौल-हावड़ा-रक्सौल स्पेशल ट्रेन

रक्सौल-हावड़ा स्पेशल			05504 05503	हावड़ा-रक्सौल स्पेशल		
दिन	आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	दिन
बुध, रवि	–	16.00	↓ रक्सौल	04.30	–	शुक्र, मंगल
	19.45	19.50	दरभंगा	00.10	00.15	
बृहस्पति, सोम	01.49	01.51	जसीडीह	17.18	17.20	बृहस्पति, सोम
	03.45	03.50	आसनसोल	15.20	15.25	
	06.08	06.10	बर्द्धमान	13.50	13.52	
	08.15	–	हावड़ा ↑	–	11.30	

उपर्युक्त स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में मार्ग के बैरगनियां, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड, कमतौल, समस्तीपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन, किऊल जंक्शन, जमुई, झाझा, मधुपुर जंक्शन, चित्तरंजन, दुर्गापुर एवं बैंडेल जंक्शन स्टेशनों पर भी रुकेंगी। • **यात्रा की तारीख एवं दिन : रक्सौल से : 05504 दिनांक 22/04/2026 (बुधवार) एवं 26/04/2026 (रविवार) को = 02 ट्रिप और हावड़ा से : 05503 दिनांक 23/04/2026(बृहस्पतिवार) एवं 27/04/2026 (सोमवार) को=02 ट्रिप। • गठन :** शयनयान श्रेणी - 10, साधारण द्वितीय श्रेणी (जीएस) - 04 एवं एसएलआरडी - 02 = 16 कोच। • **श्रेणी :** मेल/एक्सप्रेस।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

कांग्रेस और द्रमुक ने महिलाओं के साथ 'विश्वासघात' किया : अमित शाह

इरोड (तमिलनाडु) : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के खिलाफ मतदान करने को लेकर कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर रविवार को तीखा हमला किया और उन पर संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण से वंचित कर उनसे ''विश्वासघात'' करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इस ''साजिश'' को सफल नहीं होने देगी और देश की महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मोडक्कुरिची से अपनी पार्टी की उम्मीदवार कृतिका शिवकुमार के समर्थन में यहां आयोजित रोड शो में भरोसा जताया कि इस चुनाव के बाद राज्य में 'ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम' (अन्नाद्रमुक) प्रमुख ई. के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बनाएगा। शाह ने कहा, ''कांग्रेस और द्रमुक ने पूरे देश और तमिलनाडु की माताओं-बहनों को संसद और विधानसभाओं में (आरक्षण से) निश्चित रूप से वंचित किया है। तमिलनाडु के लिए (लोकसभा सीटों में) 50 प्रतिशत वृद्धि का मौका था, लेकिन 2026 की जनगणना के आधार पर सीट बढ़ाने पर जोर देकर उन्होंने तमिलनाडु की सीट घटाने की साजिश रची है।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से तमिलनाडु के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम कांग्रेस और द्रमुक की इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हम तमिलनाडु के लोगों और तमिलनाडु की महिलाओं को निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे।'' शाह ने ''परिवारवादी राजनीति'' को लेकर सत्तारूढ़ द्रमुक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ''(मुख्यमंत्री) स्टालिन का पूरा ध्यान अपने बेटे (उदयनिधि) को मुख्यमंत्री बनाने पर है। पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उनका बेटा। ऐसे वंशवादी दल तमिलनाडु के लोकतंत्र का कोई भला नहीं कर सकते।'' शाह ने कथित भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को लेकर भी द्रमुक की आलोचना की। उन्होंने कहा, ''राज्य में अन्नाद्रमुक एवं भाजपा की सरकार बनने पर द्रमुक का भ्रष्ट शासन खत्म होगा। हम तमिलनाडु में भी अन्य राज्यों की तरह कानून-व्यवस्था बेहतर बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम तमिलनाडु की खोई हुई गरिमा वापस लाने का प्रयास करेंगे।''

अमित शाह ने चेन्नई के अरुलमिगु कपालीश्वरर मंदिर में पूजा-अर्चना की और देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य की कामना की

हम महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करेंगे, कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती: राजनाथ

वासुदेवनल्लूर (तमिलनाडु) : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने को लेकर कांग्रेस और द्रमुक की आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि सरकार इसे लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और ''दुनिया की कोई भी शक्ति हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकती।'' तेनकासी जिले में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए वासुदेवनल्लूर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार अनंतन अय्यासामी के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर सत्तारूढ़ द्रमुक पर जमकर हमला बोला और लोगों से चुनाव में उसे ''अलविदा'' कहने का आग्रह किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा ''संसद, विधानसभाओं और विधान परिषदों में हमारी माताओं और बहनों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के संबंध में संसद में एक विधेयक लाया गया। द्रमुक, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इसे पारित नहीं होने दिया।

गोवा: साध्वी सतीश सैल ने जीता फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब

भुवनेश्वर : गोवा की साध्वी सतीश सैल ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम किया। सैल अब 75वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। एक बयान में यह जानकारी दी गयी। सैल ने शनिवार रात भुवनेश्वर में हुए एक भव्य समारोह में देश भर की 30 प्रतिभागियों में से यह खिताब जीता। महाराष्ट्र की राजनांदिनी पवार फेमिना मिस इंडिया 2026 की प्रथम उपविजेता बनीं जबकि जम्मू-कश्मीर की श्री अद्वैता जी. तीसरे स्थान पर रहीं। सैल ने इस जीत को 'अविश्वसनीय' बताया और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलने पर आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अभिनेत्री जीनत अमान ने कहा, मिस फेमिना के बारे में मैं क्या कहूं? मैं कई साल पहले इसका हिस्सा थी और भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। यह एक ऐसा मंच है जो लड़कियों को अवसर और प्रशिक्षण प्रदान करता है। आप देख सकते हैं कि हमारी लड़कियां विश्व स्तर पर कितनी सफल हुई हैं। उन्होंने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। ओडिशा में पहली बार मिस फेमिना का आयोजन किया गया था।

वायुसेना के विशेष बल 'गरुड़' को उन्नत रेंज, मारक क्षमता वाली यूएवी प्रणाली मिलेगी

नयी दिल्ली : सरकार ने भारतीय वायुसेना की विशिष्ट इकाई के लिए एक कॉम्पैक्ट मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) प्रणाली की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो मुश्किल जलवायु परिस्थितियों में और समुद्र तल से 16,400 फुट तक की ऊंचाई पर काम कर सकती है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित प्रणाली का उद्देश्य विभिन्न भूभागों और जलवायु परिस्थितियों में ''ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी'' और परिचालन सहायता प्रदान करना है। मौजूदा प्रणाली की तुलना में इसकी मारक और परिचालन क्षमता भी अधिक होने की परिकल्पना की गई है। रक्षा मंत्रालय ने हाल में भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल के लिए ''माइक्रो यूएवी' प्रणाली की खरीद के संबंध में अनुरोध पत्र जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित प्रणाली सतत निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और वास्तविक समय में स्थिति की जानकारी प्रदान करने में भी सक्षम होनी चाहिए। परियोजना से वाकिफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय वायुसेना की इस विशिष्ट इकाई के पास वर्तमान में ''इसी तरह की प्रणाली'' है, और नयी प्रणाली उन्नत और नवीनतम विशिष्टताओं वाली भारत में निर्मित होगी।

नेशनल हेराल्ड मामला: उच्च न्यायालय में सोनिया-राहुल के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई आज

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। अदालत ने अपने आदेश में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। मामला सुनवाई के लिये न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सूचीबद्ध है। 22 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने गांधी परिवार और अन्य को मुख्य याचिका के साथ-साथ ईडी के उस आवेदन पर भी नोटिस जारी किया था जिसमें 16 दिसंबर, 2025 के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अधीनस्थ अदालत ने कहा था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान लेना 'कानूनी रूप से अस्वीकार्य' है क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के वेदांता विद्युत संयंत्र विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हुई

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता विद्युत संयंत्र में हुए विस्फोट में घायल हुए एक और श्रमिक की रविवार को मौत हो गई जिससे इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 11 अन्य लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है और इनमें से दो की हालत गंभीर बताई गई है। एक सरकारी अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र निवासी मनीष कुमार की तड़के रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई।

पहलगाम आतंकवादी हमले की बरसी : कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी की गई

श्रीनगर : कश्मीर के पहलगाम में गत वर्ष 22 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की पहली बरसी के मद्देनजर घाटी के पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस हमले में लश्कर के आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को पहलगाम आतंकी हमले की बरसी की पूर्व संध्या पर, विशेष रूप से पर्यटन स्थलों के आसपास, किसी भी संभावित विध्वंसक गतिविधि के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि एक पुख्ता सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रारंभिक बैठकें आयोजित की गईं, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पहलगाम के मनोरम बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों द्वारा किये गए हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए नृशंस हमले के कारण जम्मू कश्मीर से पर्यटकों का पलायन हुआ और अधिकारियों को करीब 50 पर्यटन स्थलों को बंद करना पड़ा और सुरक्षा ऑडिट के बाद उनमें से कुछ को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला गया।

सऊदी अरब में हो सकता है लश्कर-ए-तैयबा का 'खरगोश', फर्जी पासपोर्ट इस्तेमाल करके पहुंचा विदेश

श्रीनगर/दिल्ली : लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का आतंकवादी उमेर हारिस उर्फ 'खरगोश' सज्जाद नाम से जारी जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश छोड़ने के बाद संभवत: सऊदी अरब पहुंच गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। सज्जाद के बारे में दावा किया गया है कि वह राजस्थान का निवासी है। एलईटी के इस अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल की जांच का नेतृत्व कर रही श्रीनगर पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ यह जानकारी साझा की है। अधिकारियों ने कहा कि इससे उन खामियों को लेकर चिंता बढ़ी है, जिनके कारण इस तरह के दुरुपयोग संभव हो पाते हैं। उन्होंने बताया कि इस महीने की शुरूआत में जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मामला संभवतः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपा जाएगा। साथ ही, संबंधित राज्य पुलिस बलों को भी जानकारी दी गई है ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके और खामियों को दूर किया जा सके। पहले की रिपोर्टों में कहा गया था कि हारिस कराची का रहने वाला है लेकिन अब सामने आया है कि वह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का निवासी है। अधिकारियों ने कहा कि वह लश्कर-ए-तैयबा में इसलिए शामिल हुआ ताकि वह पुलिस कार्रवाई से बच सके क्योंकि उसके खिलाफ कराची में आगजनी के कई मामले लंबित थे। बाद में उसे आतंकी संगठन ने 2012 में जम्मू-कश्मीर भेज दिया। हारिस को 'खरगोश' उपनाम इसलिए मिला क्योंकि वह बहुत तेजी से जगह बदलकर सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बच निकलता था। जांच और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के अनुसार, हारिस कश्मीर घाटी में उत्तरी दिशा से घुसपैठ करने के बाद बांदीपोरा और श्रीनगर के अलग-अलग स्थानों पर रहा। उसने लश्कर के एक आतंकी (ओवर ग्राउंड वर्कर) की बेटी से शादी भी की। यह निकाह समारोह उसके झूठे नाम सज्जाद के साथ जयपुर में हुआ था।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शीर्ष अधिकारियों के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा छह माह के लिए रोका

शिमला : वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा छह महीने के लिए रोक दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से रविवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। अधिसूचना के अनुसार, यह रोक मई 2026 से प्रभावी होगी और यह कदम अस्थाई है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतन का तीस प्रतिशत हिस्सा रोका गया है। सचिवों, विभाग प्रमुखों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों, एसपी स्तर तक के पुलिस अधिकारियों, मुख्य वन संरक्षकों, वन संरक्षकों और जिला वन अधिकारी स्तर तक के अन्य वन अधिकारियों के वेतन का बीस प्रतिशत हिस्सा रोका गया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यह कदम अस्थायी है और वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए सामूहिक प्रयास के रूप में अपनाया जा रहा है। इसे कटौती के रूप में नहीं माना जाएगा और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसे बाद में जारी किया जाएगा।

लेंसकार्ट ने विवाद के बाद मांगी माफी, नए दिशानिर्देशों में कार्यस्थल पर धार्मिक प्रतीकों की अनुमति

नयी दिल्ली : चश्मों की खुदरा कंपनी लेंसकार्ट ने एक कथित आंतरिक ग्रूमिंग दस्तावेज को लेकर सोशल मीडिया पर हुए विरोध के बाद माफी मांगी है। इसके अलावा कंपनी ने नया 'इन-स्टोर स्टाइल गाइड' जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों को कार्यस्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पहनने की अनुमति दी गई है। कंपनी ने 'एक्स' पर जारी बयान में कहा कि ग्राहकों और समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए वह अपने दिशानिर्देशों को सार्वजनिक और पारदर्शी बना रही है। नई नीति में टीम के सदस्यों द्वारा आस्था से जुड़े सभी प्रतीकों जैसे बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी को स्वीकार किया गया है। कंपनी ने कहा, यदि हमारे कार्यस्थल से जुड़े किसी भी संचार से किसी को ठेस पहुंची हो या ऐसा महसूस हुआ हो कि उनकी आस्था का यहां स्वागत नहीं है, तो हमें गहरा खेद है। यह लेंसकार्ट की पहचान नहीं है और न ही कभी होगी। यह विवाद उस समय सामने आया जब एक कथित कर्मचारी ग्रूमिंग नीति का दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बिंदी और तिलक जैसे कुछ धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध होने का दावा किया गया था। इस पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने नाराजगी जताई और बहिष्कार की मांग की। इस मामले पर कंपनी के संस्थापक पीयूष बंसल ने पहले स्पष्ट किया था कि वायरल दस्तावेज 'पुराना संस्करण' है और कंपनी की वर्तमान नीति को नहीं दर्शाता। उन्होंने कहा था, यह दस्तावेज हमारी मौजूदा दिशानिर्देशों को प्रतिबिंबित नहीं करता। हमारी नीति में किसी भी धार्मिक अभिव्यक्ति, जैसे बिंदी और तिलक, पर कोई प्रतिबंध नहीं है।'' उन्होंने इसको लेकर उत्पन्न भ्रम तथा चिंता के लिए खेद जताया था। कंपनी ने अपने ताजा बयान में कहा कि उसके 2,400 से अधिक स्टोर ऐसे लोगों द्वारा संचालित हैं जो अपने विश्वास और परंपराओं के साथ काम करते हैं। बयान में कहा गया, लेंसकार्ट भारत में बनी, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए कंपनी है।'' कंपनी ने यह भी कहा कि भविष्य में उसकी हर नीति, प्रशिक्षण सामग्री और संचार समावेशी मूल्यों को दर्शाएंगे और वह ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी।

उच्चतम न्यायालय ने सड़क सुरक्षा पर देशभर के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा, एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा न बनें

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने देशभर में सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रशासनिक सुस्ती या बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि देश की सड़कों की कुल लंबाई का केवल दो प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग हैं लेकिन सड़क हादसों में होने वाली मौत की कुल संख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत है। पीठ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को सड़कें अधिक सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि अवैध रूप से वाहन खड़ा करना या दुर्घटना संभावित स्थलों जैसे टाले जा सकने वाले खतरों के कारण एक भी व्यक्ति की जान जाना, नागरिकों की रक्षा करने में राज्य की विफलता को दर्शाता है। न्यायालय ने 13 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, ''भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया जीवन का अधिकार जीवन को केवल गैरकानूनी तरीके से छीने जाने के विरुद्ध गारंटी नहीं देता, बल्कि राज्य पर यह सकारात्मक दायित्व भी डालता है कि वह ऐसा सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करे, जहां मानव जीवन सुरक्षित रहे और उसका सम्मान हो।'' पीठ ने राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी में दो और तीन नवंबर, 2025 को हुई सिलसिलेवार सड़क दुर्घटनाओं में 34 लोगों की मौत के बाद दर्ज किए गए स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश पारित किया। इन दुर्घटनाओं के लिए प्रणालीगत लापरवाही और विनाशकारी बुनियादी ढांचागत विफलताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है।

असम के परिसीमन को 'हेरफेर' बताकर अवैध ठहराने की कोशिश कर रही कांग्रेस: हिमंत

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को कांग्रेस पर 2023 में राज्य में हुए परिसीमन को 'अवैध' ठहराने का आरोप लगाया और कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 'अवैध प्रवासन से हमारी सभ्यता को नष्ट होने से बचाने' के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 'संतुलन बहाल करने और स्वदेशी असमिया प्रतिनिधित्व की रक्षा करने' के लिए थी। मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया पुनर्निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों पर सवाल उठने के बाद आई है। पुनर्निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर 2024 के लोकसभा और हाल ही में नौ अप्रैल को विधानसभा चुनाव हुए थे। आरोप लगाया गया था कि यह प्रक्रिया सत्ताधारी दल के हित में की गई थी। शर्मा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, जेरीमैंडरिंग – कांग्रेस के कुप्रबंधित गुट ने असम के परिसीमन को बदनाम करने और बदले में राष्ट्र को गुमराह करने के लिए इस शब्द का अत्यधिक उपयोग किया है। उनके दुष्प्रचार में न पड़ें।

खेड़ा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने से अदालत का इनकार

गुवाहाटी : गुवाहाटी की एक अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी द्वारा उनके पास कई पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति होने के आरोपों को लेकर दायर एक मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के अनुरोध वाली असम पुलिस की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश कामरूप मेट्रो के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) द्वारा 7 अप्रैल को पारित किया गया था। यह आदेश खेड़ा द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से एक दिन पहले सुनाया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत के आदेश की प्रति रविवार को यहां मीडिया के साथ साझा की गई। सीजेएम ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए बताए गए आधार पूरी तरह से अनुमानों और अटकलों पर आधारित हैं, और रिकॉर्ड में मौजूद किसी भी सामग्री से समर्थित नहीं हैं।'' आदेश में कहा गया, इसके अलावा, चूंकि यह मामला संज्ञेय है और अपराध गैर-जमानती है, इसलिए जांच अधिकारी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, जांच के उद्देश्य से आवश्यक समझे जाने पर, बीएनएसएस की धारा 35 के तहत गिरफ्तारी करने का अधिकार पहले से ही प्राप्त है।

उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुले, चारधाम यात्रा शुरू

देहरादून : छह माह बंद रहने के बाद अक्षय तृतीया के पर्व पर रविवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ फिर से खोल दिए गए तथा इसके साथ ही उत्तराखंड में इस वर्ष की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गयी। इस वर्ष पहली बार गंगोत्री सहित तीन धामों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध और विशेष शर्तें लागू की गई हैं। उत्तरकाशी जिले में स्थित दोनों धामों में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से की गयी जबकि गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और चारधाम यात्रा के सफल आयोजन तथा देश-प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। धार्मिक विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगोत्री मंदिर के कपाट अपराह्न करीब 12:15 बजे तथा यमुनोत्री मंदिर के कपाट 12:35 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान दोनों धामों में मौजूद सैकड़ों श्रद्धालु 'हर-हर गंगे' और 'जय मां यमुना' के जयकारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री धामी ने गंगोत्री धाम में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली पूजा कर देश और प्रदेश की समृद्धि की प्रार्थना की। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के चारधाम देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र हैं और राज्य सरकार ने यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को दिव्य धामों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही उनकी यात्रा का अनुभव सुरक्षित, सुखद और यादगार हो।

गर्मी की छुट्टियों, औद्योगिक सुस्ती के कारण सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़

सूरत : गुजरात के सूरत शहर के उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार को भारी भीड़ देखने को मिली, जहां ज्यादातर प्रवासी मजदूरों समेत हजारों यात्री गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत और औद्योगिक गतिविधियों में मंदी के बीच बाहर जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए एकत्र हुए। लंबी कतारों में खड़े यात्रियों ने भीषण गर्मी में पर्याप्त सुविधाओं की कमी की शिकायत की। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी हुई। वहीं, पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग कतार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना ने कहा कि मौसमी भीड़ के बावजूद स्टेशन पर स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए यात्रियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है। आज उधना से पहली ट्रेन रात 1:30 बजे जयनगर के लिए रवाना हुई, इसके बाद सुबह 5:30 बजे मधुबनी के लिए दूसरी ट्रेन चली। अब तक 21,000 से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि नियमित ट्रेनों के अलावा विशेष ट्रेन भी चलाई जा रही हैं, जिनमें अंत्योदय एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। भीड़ को संभालने के लिए स्टेशन पर सात अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) व टिकट जांच कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। हालांकि यात्रियों ने अलग ही स्थिति बताई। बिहार के दरभंगा निवासी शोभित तांती ने कहा, मैं कल रात आठ बजे से कतार में हूं। मैं परिवार के साथ हूं और बोगी में खड़े होने तक की जगह नहीं है। पटना के रोहित पासवान ने कहा कि डिब्बा भरा होने के कारण उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि वे एलपीजी की कमी और फैक्ट्री में उत्पादन घटने के कारण वापस जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जयहिंद मौर्य ने भी भीड़ के कारण सीट न मिलने और एलपीजी की कमी की समस्या का जिक्र किया, जो 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बाद से लगातार बरकरार है।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर उच्चस्तरीय समीक्षा, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार: राजनाथ सिंह

अनौपचारिक मंत्रियों के समूह की बैठक में आपूर्ति, ऊर्जा, उर्वरक और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर व्यापक चर्चा

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित अनौपचारिक मंत्रियों के समूह (आईजीओएम) ने शनिवार को कर्तव्य भवन-2 में अपनी चौथी बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और भारत की तैयारियों तथा भावी कार्य योजना पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर सहित कई प्रमुख केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे।रक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में जमीनी हालात अनिश्चित और तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए भारत को तनाव में कमी और संभावित पुनः वृद्धि-दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार संभावित जोखिमों को कम करने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठा रही है।बैठक में भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को महत्वपूर्ण निर्णय बताया गया। इसके तहत 12,980 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी प्रदान की गई है, जिससे अस्थिर समुद्री मार्गों से गुजरने वाले भारतीय जहाजों के लिए किफायती और निरंतर बीमा कवरेज सुनिश्चित होगा। इससे देश के आयात-निर्यात संचालन को स्थिरता मिलने की उम्मीद है।सरकार ने बताया कि वैश्विक आपूर्ति चुनौतियों के बावजूद भारत ने ईंधन का पर्याप्त भंडार बनाए रखा है। वर्तमान में देश के पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीज़ल और एटीएफ का 60 दिनों से अधिक का स्टॉक उपलब्ध है, जबकि एलएनजी का लगभग 50 दिन और एलपीजी का करीब 40 दिन का भंडार है। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका सहित विभिन्न क्षेत्रों से आयात सुनिश्चित किया गया है।एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा दिया जा रहा है। मार्च 2026 से अब तक 4.76 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं और 5.33 लाख नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण हुआ है।पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है। सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन एलपीजी पूल उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है।खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को लेकर बताया गया कि थोक और खुदरा मूल्य स्थिर हैं। उर्वरकों के मामले में भी देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। 1 मार्च से 16 अप्रैल 2026 के बीच 47.50 लाख टन उर्वरकों की आपूर्ति की गई है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 459 जिला स्तरीय टास्क फोर्स और 1.85 लाख से अधिक निगरानी समितियां सक्रिय हैं।रक्षा मंत्री ने भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निरंतर संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेजीकरण की आवश्यकता भी रेखांकित की।सरकार का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात को ध्यान में रखते हुए भारत की प्रतिक्रिया प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कदम उठाए जा सकें।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके से मुलाकात की

कोलंबो : उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने रविवार को यहां श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की और भारतीय आवास परियोजना एवं मछुआरों के मुद्दों सहित दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच विभिन्न पहलों पर चर्चा की। दो दिवसीय दौरे पर आज सुबह यहां पहुंचे राधाकृष्णन ने दिसानायके के साथ श्रीलंका में जारी भारतीय परियोजना के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की। कोलंबो के भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खेल मंत्री सुनील कुमार गामागे और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने 49 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का स्वागत किया। अधिकारियों ने बताया कि राधाकृष्णन की यह यात्रा किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली यात्रा है। उन्होंने बताया कि राधाकृष्णन ने भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और विकास आधारित द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया। राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ''दोनों नेताओं ने साझा इतिहास और मजबूत सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित बहुआयामी भारत-श्रीलंका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर सार्थक चर्चा की।'' दोनों नेताओं ने विभिन्न पहल पर व्यापक चर्चा की, जिनमें भारतीय आवास परियोजना और श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पैकेज के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं शामिल हैं। चक्रवात के कारण भारतीय मूल के तमिल समुदाय के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के प्रयास पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने मछुआरों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से मछुआरों से जुड़े मुद्दों को हल करने पर भी चर्चा की।

बैसाखी उत्सव के बाद 2,200 से अधिक सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान से भारत लौटे

लाहौर : पाकिस्तान में 10 दिवसीय बैसाखी उत्सव और 327वें खालसा जन्मदिन समारोह में भाग लेने के बाद 2,200 से अधिक भारतीय सिख श्रद्धालु रविवार को भारत लौट गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के प्रवक्ता गुलाम मोहियुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान के पंजाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और ईटीपीबी के अध्यक्ष कमर-उज़-ज़मान समेत अन्य अधिकारियों ने वाघा बॉर्डर पर सिख तीर्थयात्रियों को विदाई दी। बैसाखी उत्सव में भाग लेने के लिए 10 अप्रैल को लगभग 2,238 भारतीय सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान ने इस वर्ष सिख तीर्थयात्रियों को लगभग 2,800 वीजा जारी किए थे, जबकि लगभग 600 तीर्थयात्री यात्रा करने में असमर्थ रहे। इस यात्रा के दौरान, तीर्थयात्रियों ने गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल, गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और डेरा साहिब लाहौर में धार्मिक अनुष्ठान किए, जहां उन्होंने शांति के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की।

अमेरिका की 'अतिवादी' मांगों की वजह से सीधी बातचीत रुकी: ईरानी मंत्री

अंताल्या (तुर्किये) : ईरान के उप विदेशमंत्री ने कहा है कि ईरान फिलहाल अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ सीधी बातचीत का एक नया दौर शुरू करने का इच्छुक नहीं है और इसका कारण प्रमुख मुद्दों पर वाशिंगटन का अतिवादी मांगों को छोड़ने से इनकार करना है। तुर्किये में एक राजनयिक मंच के कार्यक्रम से इतर ईरान के उप विदेशमंत्री सईद खतीबजादेह ने शनिवार को 'एसोसिएटेड प्रेस' को दिये साक्षात्कार में कहा कि उनका देश अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपेगा। इसी के साथ उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए दावों को खारिज कर दिया। खतीबजादेह ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि किसी भी प्रकार का संवर्धित यूरेनियम अमेरिका नहीं भेजा जाएगा। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे जो अस्वीकार्य हो। ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया था कि अमेरिका, ईरान में घुसकर सारी परमाणु सामग्री हासिल कर लेगा। उनका इशारा पिछले साल अमेरिकी सैन्य हमलों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए परमाणु केंद्रों में कथित तौर पर दबे 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम की ओर था। खतीबजादेह ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संदेशों का कई बार आदान-प्रदान हुआ है। उन्होंने लेकिन अमेरिका पर उन मांगों पर अड़े रहने का आरोप लगाया जिन्हें ईरान अतिवादी मानता है। ईरान के उप विदेशमंत्री ने कहा, ''हम अभी तक वास्तविक बैठक की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अमेरिकियों ने अभी तक अपना अतिवादी रुख नहीं छोड़ा है।''

Format C-1
(for candidate to publish in Newspapers, TV)
Declaration about criminal cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011)
Name and address of candidate: ARABUL ISLAM, Village Uttar Gazipur, P.O. Machibhanga, P.S. Polerhat, Pin – 700135
Name of political party: **ALL INDIA SECULAR FRONT**
Name of Election: **West Bengal Legislative Assembly Election**
*Name of Constituency: **139 – CANNING PURBA**
I, **ARABUL ISLAM**, a candidate for the above-mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents
(A) Pending Criminal Cases:

Sl. No.	Name of Court	Case No.	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1–3	Ld. A.C.J.M, Baruipur	Case Nos. (i) 22/2025, (ii) 21/2025, (iii) 03/2025	Pending	U/s. 126(2), 115(2), 118(1), 189(2), 191(2), 190, 109, 3(5) BNS – Allegations of voluntarily causing hurt, wrongful restraint and criminal conspiracy
4–5	Ld. Executive Magistrate, Baruipur	M. Case Nos. (i) 1938/2024, (ii) 1059/2024	Pending	U/s. 110 CrPC – Proceedings for good behaviour and maintenance of peace
6–10	Ld. A.C.J.M / Fast Track Court, Baruipur	Case Nos. (i) 60/2024, (ii) 23/2024, (iii) 105/2024, (iv) 106/2024, (v) 785/2022	Pending	U/s. 143, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 427 IPC r/w Arms Act, PDPP Act & Explosive Substances Act – Allegations of rioting, obstruction of public servant, grievous hurt and attempt to murder
11–15	Ld. A.C.J.M, Baruipur / Barasat	Case Nos. (i) 42/2022, (ii) 165/2018, (iii) 157/2018, (iv) 110/2015, (v) 601/2016	Pending	U/s. 341, 323, 325, 365, 147, 148, 149, 302, 307 IPC – Allegations of wrongful confinement, kidnapping, rioting and murder
16–20	Ld. A.C.J.M, Baruipur	Case Nos. (i) 303/2016, (ii) 240/2016, (iii) 11/2013, (iv) 08/2013, (v) 91/2009	Pending	U/s. 147, 148, 149, 325, 326, 307 IPC – Allegations of rioting, grievous hurt and attempt to murder
21–25	Ld. A.C.J.M, Baruipur	Case Nos. (i) 90/2009, (ii) 73/2009, (iii) 334/2008, (iv) 186/2007, (v) 134/2006	Pending	U/s. 324, 341, 323, 147, 148, 149, 307 IPC – Allegations of hurt, restraint, rioting and attempt to murder

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl.no.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

Format C-2
(For political party to publish in website, newspapers, TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.))
Name of Political Party: ALL INDIA SECULAR FRONT
Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election
Name of State/UT: West Bengal
(A)

Sl. No.	Name of constituency	Name of candidate	Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1	139 – CANNING PURBA	ARABUL ISLAM	Ld. A.C.J.M, Baruipur – Case Nos. 22/2025, 21/2025, 03/2025 – Pending Ld. Executive Magistrate, Baruipur – M. Case Nos. 1938/2024, 1059/2024 – Pending Ld. A.C.J.M / Fast Track Court, Baruipur – Case Nos. 60/2024, 23/2024, 105/2024, 106/2024, 785/2022 – Pending Ld. A.C.J.M, Baruipur / Barasat – Case Nos. 42/2022, 165/2018, 157/2018, 110/2015, 601/2016 – Pending Ld. A.C.J.M, Baruipur – Case Nos. 303/2016, 240/2016, 11/2013, 08/2013, 91/2009 – Pending Ld. A.C.J.M, Baruipur – Case Nos. 90/2009, 73/2009, 334/2008, 186/2007, 134/2006 – Pending	U/s. 126(2), 115(2), 118(1), 189(2), 191(2), 190, 109, 3(5) BNS – Voluntarily causing hurt, wrongful restraint and criminal conspiracy U/s. 110 CrPC – Proceedings for good behaviour and maintenance of peace U/s. 143, 147, 148, 149, 186, 307, 332, 427 IPC r/w Arms Act, PDPP Act & Explosive Substances Act – Rioting, obstruction of public servant, grievous hurt and attempt to murder U/s. 341, 323, 325, 365, 147, 148, 149, 302, 307 IPC – Wrongful confinement, kidnapping, rioting and murder U/s. 147, 148, 149, 325, 326, 307 IPC – Rioting, grievous hurt and attempt to murder U/s. 324, 341, 323, 147, 148, 149, 307 IPC – Hurt, restraint, rioting and attempt to murder	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

***In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.**

FORM C-1
(Declaration about criminal cases)

Name and address of candidate: MD. NAWSAD SIDDIQUE, Village - Furfura, Post Office – Furfura, P.S.- Jangipara, Block – Jangipara, Dist – Hooghly, Sub Division – Serampore, Pin-712706
Name of political party: ALL INDIA SECULAR FRONT
Name of Election: WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY
Name of Constituency: 148 – BHANGAR
I, **MD. NAWSAD SIDDIQUE**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:
(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. Chief Judicial Magistrate, Calcutta	Hare Street P.S. Case No. 183 dated 20.08.2025 (case yet to be numbered)	Pending	Section 189(1), 189(2), 190, 191(2), 285, 223, 132 of BNS read with Section 3 of Prevention of Damage to Public Property Act – Allegations of unlawful assembly, rioting.
2	Ld. ACJM, Baruipur	Madhabpur P.S. Case No. 42 dated 14.04.2025 (case yet to be numbered)	Pending	Section 191(2), 192(3), 285, 132, 121(1), 61(2) of BNS read with Section 3 of PDPP Act and Section 8 of WB MPO Act – Allegations of provocation, obstruction in public way.
3	Ld. ACJM, Baruipur	Hatishala P.S. Case No. 81 dated 14.04.2025 (case yet to be numbered)	Pending	Section 121(1), 132, 189(2), 190, 285, 61(2) of BNS read with Section 8, 15(A), 15(B) of WB MPO Act – Allegations of unlawful assembly, rioting.
4	Ld. ACJM, Baruipur	Uttar Kashipur P.S. Case No. 36 dated 14.04.2025 (case yet to be numbered)	Pending	Section 61(2), 121(2), 191(2), 191(3), 190, 221, 224, 121(1), 132, 109, 324(6), 326(f), 352, 351(3) of BNS read with Section 8, 9, 15(A), 15(B) of WB MPO Act and Section 3 of PDPP Act – Allegations of rioting, unlawful assembly.
5	Ld. ACJM, Baruipur	Uttar Kashipur P.S. Case No. 35 dated 14.04.2025 (case yet to be numbered)	Pending	Section 61(2), 121(2), 191(2), 191(3), 190, 221, 224, 121(1), 132, 109, 324(6), 326(f), 352, 351(3) of BNS read with Section 8, 9, 15(A), 15(B) of WB MPO Act and Section 3 of PDPP Act – Allegations of obstruction of public servant, criminal intimidation.
6	Ld. MLA & MP Court, Bidhannagar	Special Case No. 02/2025 (KLC P.S. Case No. 13 dated 21.01.2023 renumbered as Hatishala P.S. Case No. 71/2024)	Pending	Section 302, 147, 148, 149, 341, 109, 120B of IPC read with Section 9B of Explosives Act – Allegations of murder, rioting.
7	Ld. ACJM, Baruipur	Uttar Kashipur P.S. Case No. 34/2024 (renumbered from Kashipur P.S. Case No. 236 dt. 13.06.2023)	Pending	Section 341, 325, 307, 506, 427, 34 of IPC – Allegations of wrongful restraint and damage to property.
8	Ld. jurisdictional court	Jangipara P.S. Case No. 253 dated 10.08.2023 (case yet to be numbered)	Pending	Section 147, 148, 149, 325, 207, 427, 353, 332, 333, 186, 188, 326, 506 of IPC read with Section 9 of WB MPO Act and Section 3 of PDPP Act – Allegations of rioting, unlawful assembly and damage to public property.
9	Ld. jurisdictional court	Jangipara P.S. Case No. 252 dated 10.08.2023 (case yet to be numbered)	Pending	Section 341, 325, 307, 427, 326, 34, 337, 333, 353, 186 of IPC – Allegations of wrongful restraint, grievous hurt.
10	Ld. jurisdictional court	Jangipara P.S. Case No. 251 dated 10.08.2023 (case yet to be numbered)	Pending	Section 341, 506, 186, 189, 34 of IPC – Allegations of obstruction of public servant in discharge of duty.
11	Ld. jurisdictional court	Hatishala P.S. Case No. 71/2024 (renumbered from KLC P.S. Case No. 13 dt. 21.01.2023)	Pending	Section 147, 148, 149, 332, 336, 337, 353, 427, 436, 504, 506 of IPC read with Section 3 of PDPP Act – Allegations of rioting.
12	Ld. ACJM, Baruipur	Hatishala P.S. Case No. 48/2024 (renumbered from KLC P.S. Case No. 12 dt. 21.01.2023)	Pending	Section 147, 148, 149, 326, 323, 324, 427, 436, 504, 506, 509, 307 of IPC – Allegations of rioting, unlawful assembly for criminal intimidation and insult to modesty.
13	Ld. CJM, Calcutta	GR(S) Case No. 71/2023 (Hare Street P.S. Case No. 17 dt. 21.01.2023)	Pending	Section 143, 147, 149, 152, 332, 333, 283, 307, 427 of IPC read with Section 3 of PDPP Act – Allegations of unlawful assembly, rioting, obstruction in public way.
14	Ld. CJM, Calcutta	New Market P.S. Case No. 12 dated 21.01.2023 (case yet to be numbered)	Pending	Section 143, 147, 149, 152, 332, 333, 283, 307, 427 of IPC read with Section 3 of PDPP Act – Allegations of assault on public servant and attempt to commit murder.
15	Ld. MLA & MP Court, Bidhannagar	Special Case No. 06/2025 (Bowbazar P.S. Case No. 126/2023)	Pending	Section 342, 376, 417, 506 of IPC – Allegations of wrongful confinement, rape.
16	Ld. A.CJM, Baruipur	GR/2872/2025 (Bhangar P.S. Case No. 57 of 2025)	Pending	Under Section 189(2), 190, 285, 61(2) of BNS – Allegation of joint liability with group members.

Note: Charges have not been framed in any of the above cases.
(B) Details about cases of conviction for criminal offences
NIL (No cases of conviction)
Declaration I, the candidate above named, do hereby declare that the above information is true to the best of my knowledge and belief.
Signature of Candidate
MD. NAWSAD SIDDIQUE

FORMAT C-1 (For publication in Newspapers, TV Channels and Social Media)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25.09.2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: MAFIJUL ALI BISWAS, S/o Moksed Ali Biswas, aged 27 years, Village - Jirangachha, Post Office - Hatisala, P.S. - Hatisala, Dist – South 24 Parganas, Sub Division – Baruipur, Pin-700135, West Bengal.

Name of political party: Independent

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election – 2026

Name of Constituency: 148 - Bhangar

I, **MAFIJUL ALI BISWAS**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases Total number of pending criminal cases: 1 (One)

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. ACJM, Baruipur	Kashipur P.S. Case No. 315/2023	Pending	U/s 341/325/307/427/506/34 IPC **Charges have not been framed.**

(B) Details about cases of conviction for criminal offences NIL

Declaration I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Signature of the Candidate MAFIJUL ALI BISWAS

FORMAT C-2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party (As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: ALL INDIA SECULAR FRONT

Name of Election: Election to West Bengal Legislative Assembly

Name of State/UT: West Bengal

(A)

Sl. No.	Name of Constituency	Name of candidate	(A) Pending criminal cases Name of Court, Case No. & Status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	(B) Details about cases of conviction for criminal offences Name of Court & Date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum punishment imposed
1	205 PANSKURA PASCHIM ASSEMBLY CONSTITUENCY	ABJAL ALI SHA	Ld. Chief Judicial Magistrate at Tamluk, Purba Medinipur Panskura P.S. Case No. 1041/24, GR- 07/25 Pending (charges	Panskura P.S.- 1041/24 u/s 109/115(2), 117(2), 126(2), 303(2), 61(2), 74, 79 of BNS – Wrongful restraint, simple hurt	NIL	NIL	NIL
			Purba Medinipur Panskura P.S. Case No. 16/07, GR-71/07 Pending (charges not framed)	– Criminal assault, outrage of modesty of woman			

Note: The above information is as per Sections 5 and 6 of the candidate's affidavit filed along with the nomination paper for the West Bengal Legislative Assembly Election – 2026 from 52, Mothabari (General) Constituency. There is **one pending criminal case** and **no cases of conviction**. Charges have not been framed in the pending case.

This declaration is being published as required under the Hon'ble Supreme Court's directions.

Place: Malda

Authorised Signatory ALL INDIA SECULAR FRONT

FORMAT C-1

(For publication in Newspapers / TV / Social Media / Party Website)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25 September 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: BISWAJIT MAITY, son of Paresh Chandra Maity, aged 44 years, Village-Babpur, P.O.- Madhabpur, P.S.- Duttapukur, District-North 24 Parganas, PIN-700125, West Bengal

Name of political party: ALL INDIA SECULAR FRONT

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election – 2026

Name of Constituency: 102 – Amdanga

I, **BISWAJIT MAITY**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases Total number of pending criminal cases: 11 (Eleven)

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. C.J.M. at Barasat	Barasat P.S. Case No. 1608/13 dated 19/07/2013	Pending	U/s 325/354/307/506/34 IPC – Voluntarily causing grievous hurt, outraging modesty, attempt to murder, criminal intimidation
2	Ld. C.J.M. at Barasat	Duttapukur P.S. Case No. 224/2013	Pending	U/s 186/353/337/338/307/427/435/506 IPC & 3 PDPP Act – Obstructing public servant, hurt, mischief
3	Ld. 1st J.M. at Barasat	G.R. No. 3221/2014	Pending	U/s 341/323/354/379/506/34 IPC – Wrongful restraint, hurt, outraging modesty, theft, intimidation
4	Ld. C.J.M. at Barasat	Duttapukur P.S. Case No. 501/24 dated 23/06/24	Pending	U/s 498A/406 IPC – Cruelty & criminal breach of trust
5	Ld. 6th J.M. at Calcutta	New Market P.S. Case No. 39 dated 11.02.21, G.R. 187/21	Pending	U/s 143/147/149/152/332/333/285 IPC – Unlawful assembly, rioting, mischief
6	Ld. C.J.M. at Calcutta	Hare Street P.S. Case No. 17/23 dated 21.01.2023	Pending	U/s 143/147/149/152/332/333/283/307/427 IPC r/w 3 PDPP Act – Rioting, attempt to murder, mischief
7	Ld. A.C.J.M. at Baruipur	Kashipur P.S. Case No. 347/23 dated 29/07/23	Pending	U/s 212/120B IPC – Harbouring offender, criminal conspiracy
8	Ld. A.C.J.M. at Baruipur	Madhabpur P.S. Case No. 42 dated 14.04.2025	Pending	U/s 191(2)/192(3)/285/132/121(1)/61(2) BNS r/w 3 PDPP Act
9	Ld. A.C.J.M. at Baruipur	Uttar Kashipur P.S. Case No. 35/25 dated 14.04.25	Pending	U/s 61(2)/121(2)/191(2)/ etc. BNS r/w 3/4 PDPP & WB MPO Act
10	Ld. A.C.J.M. at Baruipur	Uttar Kashipur P.S. Case No. 36/2025 dated 14.04.25	Pending	U/s 61(2)/121(2)/191(2)/ etc. BNS r/w 3/4 PDPP & WB MPO Act
11	Ld. A.C.J.M. at Baruipur	Hatishala P.S. Case No. 81/25 dated 14.04.25	Pending	U/s 61(2)/121(2)/191(2)/ etc. BNS r/w 3/4 PDPP & WB MPO Act

(B) Details about cases of conviction for criminal offences NIL

Declaration I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Signature of the Candidate BISWAJIT MAITY

FORMAT C-1

(For publication in Newspapers / TV / Social Media)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25 September 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: MD. ABDUL MALEQUE MOLLA, Village – Padmapukauria, P.O. B. Narayanpur, P.S. Madhabpur, Dist. South Twenty Four Parganas, West Bengal

Name of political party: ALL INDIA SECULAR FRONT

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election – 2026

Name of Constituency: 133 – KULPI

I, **MD. ABDUL MALEQUE MOLLA**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	EM – Baruipur	M. Case No. 1500/2026 dt. 24.03.2026 P.R. NCR 50/26, P.S. Bhangore	Pending	U/s 126/115 B.N.S.S. – Violence. Charges have not been framed.
2	Ld. ACJM – Baruipur	G.R.O. Case No. 35/25 dt. 19.02.2026 C.R.M. No. (A) 3468/25, P.S. Kashipur	Pending	U/s 61(2)/121(2)/191(2)/191(3)/190/221/224/121(1)/132/109/324(6)/326/352/351(3) BNS read with 28/9/15(A)/15(B) of K of P.O. Act / 3/4 of P.D.P.P. Act – Causing hurt to someone. Charges have not been framed.
3	Ld. ACJM – Baruipur	P.S. Case No. 510/22 CMC No. 4077/22, P.S. Bhangore	Pending	U/s 341/325/308/506/34 IPC – Physical assault and wrongful restraint. Charges have not been framed.
4	Ld. ACJM – Baruipur	P.S. Case No. 496/21 dt. 08.11.2021, P.S. Bhangore	Pending	U/s 147/148/149/188/333/353/307/427 IPC – Commission to grievous hurt. Charges have not been framed.
5	Ld. ACJM – Baruipur	P.S. Case No. 242/21 dt. 19.05.2021, P.S. Bhangore	Pending	U/s 341/325/326/307/34 IPC – Physical assault. Charges have not been framed.
6	Ld. ACJM – Baruipur	P.S. Case No. 236/21 dt. 11.05.2021, P.S. Bhangore	Pending	U/s 147/148/149/341/326/307/506 IPC – Attempt to murder. Charges have not been framed.

(B) Details about cases of conviction for criminal offences – NIL

Declaration I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Candidate MD. ABDUL MALEQUE MOLLA

FORMAT C-1

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25 September 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: ABJAL ALI SHA

Village-Mysora, P.O.-Shyamsundarpur Patna, P.S.-Panskura, Dist.-Purba Medinipur, West Bengal, PIN-721139

Name of political party: ALL INDIA SECULAR FRONT

Name of Election: Election to West Bengal Legislative Assembly

Name of Constituency: 205 PANSKURA PASCHIM ASSEMBLY CONSTITUENCY

I, **ABJAL ALI SHA** a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases:

Sl. No.	Name of court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	Ld. Chief Judicial Magistrate at Tamluk, Purba Medinipur	Panskura P.S. Case No. 1041/24, GR-07/25	Pending (charges not framed)	Panskura P.S.-1041/24 u/s 109/115(2), 117(2), 126(2), 303(2), 61(2), 74, 79 of BNS – Wrongful restraint, simple hurt
2.	Ld. Chief Judicial Magistrate at Tamluk, Purba Medinipur	Panskura P.S. Case No. 375/21, GR-2174/21	Pending (charges not framed)	Panskura P.S.-375/21 u/s 341, 323, 325, 379, 506, 34 of IPC – Simple hurt, theft, criminal intimidation
3.	Ld. Chief Judicial Magistrate at Tamluk, Purba Medinipur	Panskura P.S. Case No. 335/21, GR-1844/21	Pending (charges not framed)	Panskura P.S.-335/21 u/s 376(D), 376(2)(d) of IPC – Gang rape
4.	Ld. Chief Judicial Magistrate at Tamluk, Purba Medinipur	Panskura P.S. Case No. 16/07, GR-71/07	Pending (charges not framed)	Panskura P.S.-16/07 u/s 498(A) of IPC & Section 4 of DP Act – Criminal assault, outrage of modesty of woman

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum punishment imposed
NIL	NIL	NIL	NIL

I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief. Tamluk

ABJAL ALI SHA (Candidate)

महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष का कृत्य द्रौपदी के चीरहरण जैसा : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक पारित न होने को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनका आचरण भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण जैसा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आदित्यनाथ ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन विधेयक पारित न हो पाने को लेकर कांग्रेस-नीत 'इंडिया' गठबंधन, समाजवादी पार्टी (सपा) और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विधेयक पारित नहीं होने के बाद विपक्ष द्वारा जश्न मनाना और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां करना भारतीय इतिहास के उस पीड़ादायक प्रसंग की याद दिलाता है, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा, आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी-विरोधी आचरण को लेकर भारी आक्रोश है और वे इसे कभी माफ नहीं करेंगी। आदित्यनाथ ने इसे लोकतंत्र और महिला सम्मान, दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह विपक्ष की मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने सपा पर विशेष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को स्टेट गेस्ट हाउस कांड जैसी घटनाओं के संदर्भ में आत्ममंथन करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य केवल परिवार और सीमित वर्ग तक लाभ पहुंचाना है और यही कारण है कि वह संसद की कार्यवाही में बाधा बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श के बाद किया गया था, ताकि इसे लागू करने से पहले सभी राज्यों की चिंताओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों द्वारा प्रतिनिधित्व को लेकर उठाई गई चिंताओं पर प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया था कि किसी का हक नहीं मारा जाएगा।

सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्य में 'बाधक' बने थे नेहरू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्य में 'बाधक' बनने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने (नेहरू) तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से मना किया था। मुख्यमंत्री ने रविवार को लखनऊ में आयोजित 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश' की शुरुआत के अवसर पर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश की सनातन आस्था पर प्रहार किया गया था। उन्होंने कहा, भारत माता के महान सपूत और देश की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर की दुर्दशा देखकर इसके पुनरुद्धार का संकल्प लिया था, लेकिन इस मार्ग में बाधक पंडित नेहरू बने। आदित्यनाथ ने कहा कि सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प के चलते पुनरुद्धार का कार्य आगे बढ़ा और मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य रूप से आयोजित करने की तैयारी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय आयोजन समिति द्वारा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किए जाने के बावजूद कांग्रेस सरकार और नेहरू ने इसमें भी बाधा डालने की कोशिश की।

महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने पर विपक्ष पर भड़के भजनलाल शर्मा, बताया 'महिला विरोधी'

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक, 2026 को पारित नहीं होने दिया। यहां भाजपा कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में शर्मा ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर अपना महिला विरोधी चेहरा उजागर किया है। उनके पास महिला सशक्तीकरण का ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन उन्होंने संकीर्ण राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को विधायी निकायों में अधिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से संविधान संशोधन विधेयक-2026 के साथ परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानूनों में संशोधन लेकर आई थी।

जनगणना पूरी होने तक महिला आरक्षण पर चर्चा नहीं : अखिलेश यादव

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक पारित न होने को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जनगणना पूरी होने तक महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यादव ने कहा, सरकार के इरादों की हार और परिसीमन विधेयक को पारित कराने में नाकामी इस बात का संकेत है कि सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। असल मायने में विपक्ष ही जनता की आवाज है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजनीति 'फूट डालो और राज करो' की रणनीति पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, पहले लोगों के बीच अविश्वास पैदा किया जाता है, फिर उन्हें अलग-अलग समूहों में बांटकर एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है और अंत में डर का इस्तेमाल कर समर्थन हासिल किया जाता है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला मतदाताओं के बीच भी विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब जागरूक हैं और महंगाई, शोषण तथा सामाजिक दबाव जैसे मुद्दों पर ऐसी राजनीति का जवाब देंगी। प्रस्तावित महिला आरक्षण व्यवस्था की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पुराने जनगणना आंकड़ों के आधार पर बनाई गई नीति कमजोर होगी। यादव ने कहा, यदि 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो महिला आरक्षण की पूरी नींव ही गलत हो जाती है।

राजस्थान में भीषण गर्मी, कोटा में पारा 42.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

जयपुर: राजस्थान में रविवार को भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार कोटा में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पिलानी (झुंझुनूं) में 41.7 डिग्री, वनस्थली (टोंक) में 41.6 डिग्री और अलवर में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मऊ के होटल से बरामद हुआ महिला का शव

मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले स्थित एक होटल के कमरे से 26 वर्षीय एक महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना सराय लखंसी थाना क्षेत्र के होटल 'तथागत' में हुई। पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र की रहने वाली भावना शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि भावना हरियाणा के पानीपत के रहने वाले अपने दोस्त शक्ति सिंह के साथ होटल में रुकी थी। पुलिस के मुताबिक, प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि भावना अपने पति अजय शर्मा के साथ झगड़े के बाद पिछले आठ महीनों से शक्ति सिंह के साथ रह रही थी। पुलिस ने बताया कि भावना व शक्ति सिंह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से मऊ आये थे और पिछले तीन दिनों से होटल में रुके हुए थे। पुलिस के मुताबिक, सिंह ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह शनिवार को किसी काम से वाराणसी गया था और तभी भावना ने कथित तौर पर उसे फोन किया तथा उसे कोई गलत कदम उठाने की धमकी देते हुए जल्दी लौटने को कहा। सिंह ने दावा किया कि देर रात होटल लौटने पर उसने भावना को कमरे में फंदे से लटकता हुआ पाया।

महिला आरक्षण विधेयक का विरोध 'सबसे बड़ा पाप': रवि किशन

गोरखपुर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रवि किशन ने रविवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने को सबसे बड़ा पाप करार दिया। परशुराम जयंती के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को कभी माफ नहीं करेंगी। किशन ने कहा, यह महिलाओं के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने बेटियों और माताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि देश की करीब 1.4 अरब की आबादी में लगभग 70 करोड़ महिलाएं हैं, जो उचित प्रतिनिधित्व की हकदार हैं। उन्होंने परिसीमन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके जरिए गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में सीटों की संख्या बढ़ सकती थी, जिससे महिला उम्मीदवारों के लिए अधिक अवसर पैदा होते। भाजपा सांसद ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वे महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने से डरते हैं और उन्हें घरेलू दायरे तक सीमित रखना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के समर्थन में 298 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। विधेयक को पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 352 मतों की आवश्यकता थी। विधेयक में 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने हेतु लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में संसद में कोई विधेयक पारित नहीं हो सका।

कानपुर में जुड़वां बेटियों की हत्या का आरोपी पिता गिरफ्तार

कानपुर : कानपुर जिले के नौबस्ता थाना क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग जुड़वां बेटियों की कथित तौर पर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार यह घटना तड़के किदवई नगर स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में हुई। आरोपी की पहचान शशि रंजन मिश्रा (48) के रूप में हुई है, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि पीआरवी को सुबह करीब साढ़े चार बजे घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर दोनों बच्चियां खून से लथपथ मृत पाई गईं, जबकि आरोपी फ्लैट के अंदर मौजूद था।

Format C-1

(For candidate to publish in Newspaper, & TV)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. vs. Union of India & Anr.)

Name and address of Candidate : **SARADINDU CHAKRABORTY**
Name of Political Party : **Communist Party of India (Marxist)**
Name of Election : ***WEST BENGAL Legislative Assembly Election 2026***
*Name of Constituency : ***26-SILIGURI AC***

I, SARADINDU **CHAKRABORTY**, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

PENDING CRIMINAL CASES

Sl. No	Name of Court	Case No. and Dated & Status	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
	Ld.J.M. 1st Court at Siliguri	Siliguri P.S. Case No.384/2013 corresponding to G.R. Case No.1193/13 Dated : 10/04/2013, & PENDING	**U/S-333/353/143/336/186/ 332 of IPC &** On 10/04/2013 about 17-30 hrs, a protest rally was organized by T.M.C. and at about 18-15 hrs it was allegedly by the C.P.I.(M) supporters started pelting stones on the peaceful rally as a result police personals got injured.
2	**Ld. A.C.J.M. at Siliguri**	Siliguri P.S. Case No.385/2013, Corresponding to G.R. Case No.1196/13 Dated : 10/04/2013 & PENDING	**U/S- 147/148/149/336/324/325/307/120B of IPC &** On 10/04/2013 about 17-30 hrs, a protest rally was organized by T.M.C. and at about 18-15 hrs it was allegedly by the C.P.I.(M) supporters started stone pelting on the said rally of T.M.C.
3	**Ld. A.C.J.M. at Siliguri**	Siliguri P.S. Case No.386/2013, Corresponding to G.R. Case No.1198/13 Dated : 10/04/2013 & PENDING	**U/S- 147/148/149/336/324/325/307/120B of IPC &** On 10/04/2013 at about 17-30 hrs, a procession of TMC was allegedly resisted by the CPI(M) supporters by pelting stones and glass bottles
4.	**Ld. A.C.J.M. at Siliguri**	Siliguri. P.S. Case No.387/2013, Corresponding to G.R. Case No.1194/13 Dt. 10/04/2013 & PENDING	**U/S-336/325/307/34 of IPC &** On 10/04/2013 about 17-30 hrs, a protest rally was organized by T.M.C. and it was allegedly that the C.P.I.(M) supporters at that time tried to kill the T.M.C. supporters and police personnel.
5.	**Ld. A.C.J.M. at Siliguri**	Siliguri P.S. Case No. 638/18. corresponding to G.R. Case No. 2698/18 & PENDING	U/s. 353/186/307/506(ii)/120B of IPC It was alleged that the accused was obstructing traffic and tried to sprinkle petrol upon an official.
6	**Ld.J.M. 4th Court at Siliguri**	Siliguri P.S. Case No. 391/15. corresponding to G.R. Case No. 1485/15 & PENDING	U/S 143/431/188/341 of IPC. It was alleged that the accused person conducted mischief and wrongful restraint.

Details about cases of Conviction for criminal offences

Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum punishment imposed
NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

Sd/- SARADINDUCHAKRABORTY
Candidate; 26 SILIGURI Assembly Constituency

Format C-2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : **Communist Party of India (Marxist)**
* Name of Election : **West Bengal Legislative Assembly Election - 2026**
Name of State/ UT : **West Bengal**

1	2	3	4		5		
Sl. No.	Name of Constituenc	Name of the Candidate	(A)Pending criminal cases		(B)Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) and punishment imposed.	**Maximum Punishment imposed**
1	**26- SILIGURI (A.C)**	**SARADINDU CHAKRABORTY**	**Ld.J.M. 1st Court at Siliguri** Siliguri P.S. Case No.384/2013 corresponding to G.R. Case No.1193/13; Status : Pending for framing of charge.	**U/S-333/353/143/336/186/ 332 of IPC &** On 10/04/2013 about 17-30 hrs, a protest rally was organized by T.M.C. and at about 18-15 hrs it was allegedly by the C.P.I.(M) supporters started pelting stones on the peaceful rally as a result police personals got injured.	NIL	NIL	NIL
2			**Ld. A.C.J.M. at Siliguri** Siliguri P.S. Case No.385/2013, Corresponding to G.R. Case No.1196/13; Status: Pending for framing of charge.	**U/S- 147/148/149/336/324/325/307/120B of IPC &** On 10/04/2013 about 17-30 hrs, a protest rally was organized by T.M.C. and at about 18-15 hrs it was allegedly by the C.P.I.(M) supporters started stone pelting on the said rally of T.M.C.	NIL	NIL	NIL
3			**Ld. A.C.J.M. at Siliguri** Siliguri P.S. Case No.386/2013, Corresponding to G.R. Case No.1198/13. Status : Pending for framing of charge.	**U/S- 147/148/149/336/324/325/307/120B of IPC &** On 10/04/2013 at about 17-30 hrs, a procession of TMC was allegedly resisted by the CPI(M) supporters by pelting stones and glass bottles	NIL	NIL	NIL
4			**Ld. A.C.J.M. at Siliguri** Siliguri. P.S. Case No.387/2013, Corresponding to G.R. Case No.1194/13	**U/S-336/325/307/34 of IPC &** On 10/04/2013 about 17-30 hrs, a protest rally was organized by T.M.C. and it was allegedly that the	NIL	NIL	NIL
			Status: Pending for framing of charge.	C.P.I.(M) supporters at that time tried to kill the T.M.C. supporters and police personnel..			
5			**Ld. A.C.J.M. at Siliguri** Siliguri P.S. Case No. 638/18. Corresponding to G.R. Case No. 2698/18; Status: Pending for framing of charge.	**U/s. 353/186/307/506(ii)/120B of IPC** It was alleged that the accused was obstructing traffic and tried to sprinkle petrol upon an official.	NIL	NIL	NIL
6			**Ld.J.M. 4th Court at Siliguri** Siliguri P.S. Case No. 391/15. Corresponding to G.R. Case No. 1485/15; Status: Pending for framing of charge.	**U/S 143/431/188/341 of IPC.** It was alleged that the accused person conducted mischief and wrongful restraint.	NIL	NIL	NIL

Sd/- Saman Pathak
Secretary, Communist Party of India (Marxist); Darjeeling District and Member, CPI(M) State Committee

उत्तरी राज्यों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज, उत्तर प्रदेश में लू चलने का अनुमान

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के उत्तरी राज्यों के कई स्थानों पर रविवार को दिन के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया जबकि भारत मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की चेतावनी जारी की है। शिमला मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट देखी गई, ऊंचे इलाकों में ताजा हिमपात हुआ और मैदानी इलाकों में बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान है, जिससे राहत मिलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान मौसम के औसत से 3.3 डिग्री अधिक 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसमें कहा गया है कि न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 0.1 डिग्री कम 21.7 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान जताया है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 41 और 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है।

FORMAT C-1

(Declaration about criminal cases)

(As per the judgment dated 25 September 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011)

Name and address of candidate: Jakir Hossain Mondal, Vill.- Taranipur, P.O.- Taranipur, P.S.- Tehatta, Dist.- Nadia, PIN Code- 741103, West Bengal

Name of political party: ALL INDIA SECULAR FRONT

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election

Name of Constituency: 82 – Chapra

I, **Jakir Hossain Mondal**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. Additional Chief Judicial Magistrate at Tehatta, Nadia	Tehatta P.S. Case No. 68/2015 dated 20.05.2015 Case No. G.R.- 159/2015	Pending	U/s 448/323/326/427/380/506/34 I.P.C. – Grievous hurt

Note: Charges have not been framed in the above pending case.

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

NIL (No cases of conviction)

Declaration I, the candidate above named, do hereby declare that the above information is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Candidate Jakir Hossain Mondal

FORMAT C-1

(For Candidate to Publish in Newspapers, TV & Social Media)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25 September 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: MD. Kutubuddin Haque Purkait, Vill.- Purkaitati, Subarnapur, P.O.- Chakla, P.S.- Deganga, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743424, West Bengal

Name of political party: All India Secular Front

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election – 2026

Name of Constituency: 99 – Baduria

I, **MD. Kutubuddin Haque Purkait**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Barasat Court	Deganga P.S. Case No. 30/22	Pending	U/s 188/186/269/271/34 IPC – Criminal Intimidation
2	Barasat Court	Deganga P.S. Case No. 125/23	Pending	U/s 188/186/269/271/34 IPC – Criminal Intimidation

Note: Charges have **not** been framed in any of the above pending cases.

(B) Details about cases of conviction for criminal offences - NIL (No cases of conviction)

Declaration I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Candidate MD. Kutubuddin Haque Purkait

FORMAT C-2

(For Candidate to Publish in Newspapers, TV & Social Media)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25 September 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: MD. Kutubuddin Haque Purkait, Vill.- Purkaitati, Subarnapur, P.O.- Chakla, P.S.- Deganga, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743424, West Bengal

Name of political party: All India Secular Front

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election – 2026

Name of Constituency: 99 – Baduria

I, **MD. Kutubuddin Haque Purkait**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Barasat Court	Deganga P.S. Case No. 30/22	Pending	U/s 188/186/269/271/34 IPC – Criminal Intimidation
2	Barasat Court	Deganga P.S. Case No. 125/23	Pending	U/s 188/186/269/271/34 IPC – Criminal Intimidation

Note: Charges have **not** been framed in any of the above pending cases.

(B) Details about cases of conviction for criminal offences - NIL (No cases of conviction)

Declaration I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Candidate MD. Kutubuddin Haque Purkait

FORMAT C-2

(For Candidate to Publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25 September 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: Jakir Hossain Mondal, Vill.- Taranipur, P.O.- Taranipur, P.S.- Tehatta, Dist.- Nadia, PIN Code- 741103, West Bengal

Name of political party: ALL INDIA SECULAR FRONT

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election

Name of Constituency: 82 – Chapra

I, **Jakir Hossain Mondal**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. Additional Chief Judicial Magistrate at Tehatta, Nadia	Tehatta P.S. Case No. 68/2015 dated 20.05.2015 G.R. Case No. 159/2015	Pending	U/s 448/323/326/427/380/506/34 I.P.C. – Grievous hurt

Note: Charges have not been framed in the above pending case.

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

NIL (No cases of conviction)

Declaration I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Candidate Jakir Hossain Mondal

This Format C-2 is ready for publication in newspapers and TV as per Supreme Court directions. It matches the single pending case mentioned in the affidavit (Tehatta P.S. Case No. 68/2015).

FORMAT C-2

(For Candidate to Publish in Newspapers, TV & Social Media)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25 September 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: BISWAJIT MAITY, S/o Paresh Chandra Maity, aged 44 years, Village-Babpur, P.O.- Madhabpur, P.S.- Duttapukur, District-North 24 Parganas, PIN-700125, West Bengal

Name of political party: ALL INDIA SECULAR FRONT | **Name of Election:** West Bengal Legislative Assembly Election – 2026 | **Name of Constituency: 102 – Amdanga**

I, **BISWAJIT MAITY**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases Total number of pending criminal cases: 11 (Eleven)

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. C.J.M. at Barasat	Barasat P.S. Case No. 1608/13 dated 19/07/2013	Pending	U/s 325/354/307/506/34 IPC – Grievous hurt, outraging modesty, attempt to murder, criminal intimidation. **Charges have not been framed.**
2	Ld. C.J.M. at Barasat	Duttapukur P.S. Case No. 224/2013	Pending	U/s 186/353/337/338/307/427/435/506 IPC & 3 PDPP Act – Obstructing public servant, hurt, mischief. **Charges have not been framed.**
3	Ld. 1st J.M. at Barasat	G.R. No. 3221/2014	Pending	U/s 341/323/354/379/506/34 IPC – Wrongful restraint, hurt, outraging modesty, theft, intimidation. **Charges have not been framed.**
4	Ld. C.J.M. at Barasat	Duttapukur P.S. Case No. 501/24 dated 23/06/24	Pending	U/s 498A/406 IPC – Cruelty & criminal breach of trust. **Charges have not been framed.**
5	Ld. 6th J.M. at Calcutta	New Market P.S. Case No. 39 dated 11.02.21, G.R. 187/21	Pending	U/s 143/147/149/152/332/333/285 IPC – Unlawful assembly, rioting, mischief. **Charges have not been framed.**
6	Ld. C.J.M. at Calcutta	Hare Street P.S. Case No. 17/23 dated 21.01.2023	Pending	U/s 143/147/149/152/332/333/283/307/427 IPC r/w 3 PDPP Act – Rioting, attempt to murder, mischief. **Charges have not been framed.**
7	Ld. A.C.J.M. at Baruipur	Kashipur P.S. Case No. 347/23 dated 29/07/23	Pending	U/s 212/120B IPC – Harbouring offender, criminal conspiracy. **Charges have not been framed.**
8	Ld. A.C.J.M. at Baruipur	Madhabpur P.S. Case No. 42 dated 14.04.2025	Pending	U/s 191(2)/192(3)/285/132/121(1)/61(2) BNS r/w 3 PDPP Act. **Charges have not been framed.**
9	Ld. A.C.J.M. at Baruipur	Uttar Kashipur P.S. Case No. 35/25 dated 14.04.25	Pending	U/s 61(2)/121(2)/191(2) etc. BNS r/w 3/4 PDPP & WB MPO Act. **Charges have not been framed.**
10	Ld. A.C.J.M. at Baruipur	Uttar Kashipur P.S. Case No. 36/2025 dated 14.04.25	Pending	U/s 61(2)/121(2)/191(2) etc. BNS r/w 3/4 PDPP & WB MPO Act. **Charges have not been framed.**
11	Ld. A.C.J.M. at Baruipur	Hatishala P.S. Case No. 81/25 dated 14.04.25	Pending	U/s 61(2)/121(2)/191(2) etc. BNS r/w 3/4 PDPP & WB MPO Act. **Charges have not been framed.**

(B) Details about cases of conviction for criminal offences - NIL

FORMAT C-1

(For Candidate to Publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25 September 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – *Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.*)

Name and address of candidate : MO SAHAJAHAN ALI

Village- DHARAPUR, TRIMOHINI PO- MOTHABARI, DIST-MALDA

Name of political party : ALL INDIA SECULAR FRONT

Name of Election : West Bengal Legislative Assembly Election

Name of Constituency : 52, MOTHABARI (GENERAL)

I, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	C.J.M. Court, Malda (WB)	Mothabari P.S. Case no.256/2026 dated 02.04.2026	Pending	189(2)/190/221/223/924/121/221(2)/132/109/126(2)/127(2)/324(4)/351(2) of BNS and read with Sec.3 PDPP Act, 1984 & 9 MP(OO) Act, 1972 Brief description of offence: NOT APPLICABLE

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum punishment imposed
NIL	NIL	NIL	NIL

Note: The above information is as per Sections 5 and 6 of the candidate's affidavit filed along with the nomination paper for the West Bengal Legislative Assembly Election – 2026 from 52, Mothabari (General) Constituency. There is **one pending criminal case** and **no cases of conviction**. Charges have not been framed in the pending case.

This declaration is being published as required under the Hon'ble Supreme Court's directions.

FORMAT C-1 (For publication in Newspapers, TV Channels and Social Media)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25.09.2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: AKIYABUL MIDDYA, S/o Amjed Ali Middya, aged 27 years, NO. 049, Hatisala, K.L.C., P.S. - Hatisala, Dist – South 24 Parganas, Sub Division – Baruipur, Pin-743502, West Bengal.

Name of political party: Independent

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election – 2026

Name of Constituency: 148 - Bhangar

I, **AKIYABUL MIDDYA**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases Total number of pending criminal cases: 4 (Four)

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. ACJM, Baruipur	Hatisala P.S. Case No. 55 dated 20.02.2024	Pending	U/s 147/148/323/114 IPC and 3&4 ES Act. **Charges have not been framed.**
2	Ld. ACJM, Baruipur	Hatisala P.S. Case No. 130/2024	Pending	U/s 341/323/324/379/120B IPC. **Charges have not been framed.**
3	Ld. ACJM, Baruipur	Hatisala P.S. Case No. 157/2025	Pending	U/s 126(1)/109/304/351(2)/3(5) BNS and 25/27 Arms Act. **Charges have not been framed.**
4	Ld. ACJM, Baruipur	Hatisala P.S. Case No. 166/2024	Pending	U/s 341/323/324/506/114/354 IPC and 25/27 Arms Act & 2/4 ES Act. **Charges have not been framed.**

(B) Details about cases of conviction for criminal offences NIL

Declaration I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Signature of the Candidate AKIYABUL MIDDYA

Date: 08 April 2026

FORMAT C-2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.))

Name of political party : ALL INDIA SECULAR FRONT

Name of Election : West Bengal Legislative Assembly Election

Name of State/UT : West Bengal

Sl. No.	Name of Constituency	Name of candidate	(A) Pending criminal cases	(B) Details about cases of conviction for criminal offences
			Name of Court, Case No. & Status of the case(s)	Name of Court & Date(s) of order(s)
1	52, MOTHABARI (GENERAL)	MO SAHAJAHAN ALI	C.J.M. Court, Malda (WB) Mothabari P.S. Case No. 256/2026 dated 02.04.2026 **Pending**	NIL

Note: The above information is as per Sections 5 and 6 of the candidate's affidavit filed along with the nomination paper for the West Bengal Legislative Assembly Election – 2026 from 52, Mothabari (General) Constituency. There is **one pending criminal case** and **no cases of conviction**. Charges have not been framed in the pending case.

This declaration is being published as required under the Hon'ble Supreme Court's directions.

Place: Malda

Authorised Signatory ALL INDIA SECULAR FRONT

Format C-2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.))

Name of Political Party: ALL INDIA SECULAR FRONT

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election

Name of State/UT: West Bengal

Sl. No.	Name of constituency	Name of candidate	Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence (s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1	148 – BHANGAR	MD. NAWSAD SIDDIQUE	**Multiple cases pending before Ld. CJM Calcutta, Ld. ACJM Baruipur, Ld. MLA & MP Court Bidhannagar and other jurisdictional courts arising out of** **Hare Street P.S. Case No. 183/2025; Madhabpur P.S. Case No. 42/2025; Hatishala P.S. Case No. 81/2025; Uttar Kashipur P.S. Case Nos. 36/2025, 35/2025; Bhangar P.S. Case No. 57/2025; Jangipara P.S. Case Nos. 253/2023, 252/2023, 251/2023; KLC P.S. Cases (renumbered Hatishala P.S. 71/2024, 48/2024); Bowbazar P.S. Case No. 126/2023; New Market P.S. Case No. 12/2023 and others – all Pending.**	**U/s. 189, 190, 191, 285, 132, 121, 61 etc. of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS); U/s. 143, 147, 148, 149, 186, 188, 302, 307, 325, 326, 332, 333, 341, 353, 427, 436, 506 IPC; along with provisions of Explosives Act, Prevention of Damage to Public Property Act and West Bengal Maintenance of Public Order Act – Allegations include rioting, unlawful assembly, obstruction of public servant, grievous hurt, criminal conspiracy, attempt to murder, murder, damage to public property and other related offences.**	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

***In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.**

FORMAT C-1 (For publication in Newspapers, TV Channels and Social Media)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25.09.2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: KAMALUDDIN MOLLA, S/o Mohid Molla, aged 30 years, Village - Jirangachha, Post Office - Hatisala, P.S. - Hatisala, Dist – South 24 Parganas, Sub Division – Baruipur, Pin-700135, West Bengal.

Name of political party: Independent

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election – 2026

Name of Constituency: 148 - Bhangar

I, **KAMALUDDIN MOLLA**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases Total number of pending criminal cases: 1 (One)

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. ACJM, Baruipur	Kashipur P.S. Case No. 316/2023	Pending	U/s 341/323/325/506/34 IPC – Political Cases **Charges have not been framed.**

(B) Details about cases of conviction for criminal offences NIL

Declaration I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Signature of the Candidate KAMALUDDIN MOLLA

FORMAT C-1 (For publication in Newspapers, TV Channels and Social Media)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25.09.2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: MD MOMTAJUR RAHAMAN MOLLA, S/o MD NURISLAM MOLLA, aged 34 years, Village - Chak Moricha, Post Office - Joypur, P.S.- Uttar Kashipur, Dist – South 24 Parganas, Sub Division – Baruipur, Pin-700135, West Bengal.

Name of political party: Independent

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election – 2026

Name of Constituency: 148 - Bhangar

I, **MD MOMTAJUR RAHAMAN MOLLA**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases Total number of pending criminal cases: 1 (One)

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. ACJM, Baruipur	Uttar Kashipur P.S. Case No. 272/2023	Pending	U/s 341/325/326/307/379/506/34 IPC – Political Cases **Charges have not been framed.**

(B) Details about cases of conviction for criminal offences NIL

Declaration I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Signature of the Candidate MD MOMTAJUR RAHAMAN MOLLA

FORMAT C-1

(For publication in Newspapers, TV Channels and Social Media)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25.09.2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: MD MIR SAMSUUDDIN, S/o Mir Mosarae Hosen, aged 32 years, Village – Nangla Palpur Majherpara, P.O. – Satbhaiya, P.S. – Uttar Kashipur, District – South 24 Parganas, Sub Division – Baruipur, PIN – 700135, West Bengal.

Name of political party: Independent

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election – 2026

Name of Constituency: 148 - Bhangar

I, **MD MIR SAMSUUDDIN**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases Total number of pending criminal cases: 1 (One)

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. A.C.J.M., Baruipur	Kashipur P.S. Case No. 18/2025	Pending	U/s 126(2)/118(1)/109/3(5) BNS – Political Cases **Charges have not been framed.**

(B) Details about cases of conviction for criminal offences NIL

Declaration I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Signature of the Candidate MD MIR SAMSUUDDIN

FORMAT C-2

(For Candidate to Publish in Newspapers, TV & Social Media)

Declaration about criminal cases (As per the judgment dated 25 September 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 – Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: MD. ABDUL MALEQUE MOLLA, Village – Padmapukauria, P.O. B. Narayanpur, P.S. Madhabpur, Dist. South Twenty Four Parganas, West Bengal

Name of political party: ALL INDIA SECULAR FRONT

Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election – 2026

Name of Constituency: 133 – KULPI

I, **MD. ABDUL MALEQUE MOLLA**, a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	EM – Baruipur	M. Case No. 1500/2026 dt. 24.03.2026, P.R. NCR 50/26, P.S. Bhangore	Pending	U/s 126/115 B.N.S.S. – Violence. Charges have not been framed.
2	Ld. ACJM – Baruipur	G.R.O. Case No. 35/25 dt. 19.02.2026, C.R.M. No. (A) 3468/25, P.S. Kashipur	Pending	U/s 61(2)/121(2)/191(2)/191(3)/190/221/224/121(1)/132/109/324(6)/326/352/351(3) BNS read with 28/9/15(A)/15(B) of K of P.O. Act / 3/4 of P.D.P.P. Act – Causing hurt to someone. Charges have not been framed.
3	Ld. ACJM – Baruipur	P.S. Case No. 510/22, CMC No. 4077/22, P.S. Bhangore	Pending	U/s 341/325/308/506/34 IPC – Physical assault and wrongful restraint. Charges have not been framed.
4	Ld. ACJM – Baruipur	P.S. Case No. 496/21 dt. 08.11.2021, P.S. Bhangore	Pending	U/s 147/148/149/188/333/353/307/427 IPC – Commission to grievous hurt. Charges have not been framed.
5	Ld. ACJM – Baruipur	P.S. Case No. 242/21 dt. 19.05.2021, P.S. Bhangore	Pending	U/s 341/325/326/307/34 IPC – Physical assault. Charges have not been framed.
6	Ld. ACJM – Baruipur	P.S. Case No. 236/21 dt. 11.05.2021, P.S. Bhangore	Pending	U/s 147/148/149/341/326/307/506 IPC – Attempt to murder. Charges have not been framed.

(B) Details about cases of conviction for criminal offences NIL

Declaration I, the above-named candidate, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Candidate MD. ABDUL MALEQUE MOLLA

नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीत का खाता खोला

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आखिरकार राजस्थान रॉयल्स को चार विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी पहली जीत दर्ज की। कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में टीम ने मुश्किल हालात से उबरते हुए शानदार वापसी की। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाइट राइडर्स की शुरुआत बेहद खराब रही और 14वें ओवर तक टीम 85 रन पर छह विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में रिंकू सिंह ने जिम्मेदारी संभालते हुए नाबाद 53 रन की शानदार पारी खेली। उनका साथ अनुकूल रॉय ने दिया, जिन्होंने 29 रन बनाकर सातवें विकेट के लिए 76 रन की अटूट साझेदारी निभाई। इस साझेदारी के दम पर टीम ने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले रॉयल्स की ओर से वैभव सूर्यवंशी (46) और यशस्वी जायसवाल (39) ने अच्छी शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 81 रन जोड़े। हालांकि, बीच के ओवरों में वरुण चक्रवर्ती (3 विकेट) और सुनील नारायण (2 विकेट) की स्पिन जोड़ी ने मैच का रुख पलट दिया। राजस्थान की टीम 155 रन तक ही सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करते समय नाइट राइडर्स के शुरुआती बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए। कप्तान अजिंक्य रहाणे और टिम सीफर्ट खाता भी नहीं खोल सके। इसके बावजूद रिंकू सिंह की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी ने टीम को जीत दिला दी। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने सात मैचों में पहली जीत दर्ज कर अंकतालिका में अपना खाता खोला, जबकि राजस्थान रॉयल्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा।

यह पारी मेरे आत्मविश्वास के लिए अहम थी : केकेआर के उप कप्तान रिंकू

कोलकाता: रिंकू सिंह ने रविवार को यहां नाबाद 53 रन की पारी खेलकर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल के तनावपूर्ण मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को इस सत्र की पहली जीत दिलाने के बाद कहा कि 'जोश तो था लेकिन कोई हिचकिचाहट नहीं थी'। जब लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल लग रहा था, तब रिंकू ने संयम और नियंत्रित आक्रामकता का तालमेल बिठाते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया। उन्होंने मैच के बाद कहा, 'कभी-कभी ऐसा होता है जब कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं होतीं तो आप वह जोश महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं अपने शॉट खेलने को लेकर हिचकिचा रहा था या मुझे कोई दुविधा थी। मेरी सोच यही थी कि खेल को आखिर तक ले जाऊं।' इस सत्र में एक बड़ी पारी की तलाश में रहे इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शुरुआत में मिले एक जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और मैच का रुख केकेआर के पक्ष में मोड़ दिया।

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को एक और साल का अनुबंध दिया गया

नयी दिल्ली: अजीत अगरकर सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2027 एकदिवसीय विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक और साल का अनुबंध देने का फैसला किया है। अगरकर की अध्यक्षता में अक्टूबर 2023 से मार्च 2026 के बीच चुनी गई भारतीय टीम चार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और इसमें से तीन में टीम ने खिताब जीता। भारत इस दौरान दो टी20 विश्व कप और एक बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल रहा और यह पहले से ही लगभग तय था कि उनका अनुबंध चौथे साल के लिए बढ़ाया जाएगा। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने पीटीआई को बताया, ''अगरकर ने सेवा विस्तार नहीं मांगा था। एक चयनकर्ता जूनियर या सीनियर चयन समिति में चार साल तक और दोनों समितियों में मिलाकर कुल पांच साल तक काम कर सकता है इसलिए अजीत को नया अनुबंध दिया गया है, उसमें विस्तार नहीं किया गया।'' अगरकर के करीबी सूत्रों ने हमेशा यही कहा कि वह खुद अनुबंध बढ़वाने की मांग करने की जगह फैसला करने वालों को अपनी समिति के प्रदर्शन का आकलन करने देना अधिक पसंद करते हैं। पचास ओवर के विश्व कप से पहले निरंतरता बनाए रखना बोर्ड के इस फैसले के पीछे के मुख्य कारणों में से एक है। अपने कार्यकाल के दौरान समिति ने कई कड़े फैसले किए हैं जिनमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की प्रक्रिया को देखना और सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर करना शामिल है।

दक्षिण अफ्रीका ने भारत को आठ विकेट से हराकर 2-0 की बढ़त बनाई

डरबन: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए भारत महिला क्रिकेट टीम को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में आठ विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली। पहले गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्लो ट्रायोन (22 रन पर तीन विकेट) और तुमी सेखुखुने (तीन विकेट) ने भारतीय बल्लेबाजी को 147 रन पर समेट दिया। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 57 रन की आक्रामक पारी खेली, जबकि पदार्पण कर रही अनुष्का शर्मा ने 28 रन बनाए। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े, लेकिन टीम 12 ओवर में 97/2 से सिमटकर 147 पर ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद दमदार रही। कप्तान लौरा वोल्वार्ट (54) और सुने लुस (57) ने पहले विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी कर मैच एकतरफा बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने तेज रनगति बनाए रखते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। भारतीय टीम की खराब फील्डिंग भी हार का बड़ा कारण बनी, जहां कई आसान कैच छोड़े गए। गेंदबाजी में केवल श्रेयंका पाटिल ही दो विकेट लेकर कुछ असर छोड़ सकीं। दक्षिण अफ्रीका ने 17.1 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ताजमिन ब्रिट्स (20*) और एनेरी डर्कसेन (12*) ने अंत तक टिककर टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने श्रृंखला पर मजबूत पकड़ बना ली है, जबकि भारत को वापसी के लिए अगले मैचों में हर विभाग में सुधार करना होगा।

सीएसके को बड़ा झटका, म्हात्रे का आईपीएल में आगे खेलना संदिग्ध

हैदराबाद: युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को चोटिल होने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मौजूदा सत्र में आगे खेलना संदिग्ध है जो चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए करारा झटका है। सीएसके के सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान 18 वर्षीय म्हात्रे की हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था। इस मैच में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने वाले म्हात्रे काफी असहज नजर आ रहे थे और उसके बाद वह लंबे समय तक क्रीज पर नहीं टिक पाए। सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइक हसी ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, 'उसकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है। अभी मुझे नहीं पता कि चोट कितनी गंभीर है। हम कल या परसों उसका स्कैन करवाएंगे।' ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि चोट की गंभीरता का आकलन करने के लिए म्हात्रे का स्कैन किया जाएगा और उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा यह अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव से उबरने में छह महीने तक का समय लग सकता है। हसी ने कहा, 'दुर्भाग्य से स्थिति काफी खराब दिख रही है। उसका बाहर होना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वह बहुत अच्छी फॉर्म में है।' म्हात्रे ने इस सत्र में अभी तक 177.87 के स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए हैं। हसी ने हालांकि कहा कि यह टीम के अन्य खिलाड़ियों के लिए मौका होगा।

'फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल' के महिला विशेष चरण में शामिल हुईं गीता फोगाट, स्वीटी बूरा

नयी दिल्ली: खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पहल 'फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल' के महिला विशेष चरण में ओलंपियन गीता फोगाट दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 1000 महिलाओं के साथ शामिल हुईं। पूरे देश में एक साथ आयोजित इस विशेष चरण में 2000 से अधिक स्थानों पर लोगों ने हिस्सा लिया जिससे यह 'फिट इंडिया' अभियान के तहत सबसे बड़े फिटनेस आंदोलनों में से एक बन गया। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, महिलाओं ने साइकिल रैलियों और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में एकजुट होकर शारीरिक तंदुरुस्ती और सामूहिक भागीदारी के महत्व को और मजबूत किया। दिल्ली में आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम में पहलवान फोगाट, मुक्केबाज स्वीटी बूरा, जूडो खिलाड़ी और एमटीवी रोडीज के फाइनल तक पहुंची प्रिया शर्मा, 'फिट इंडिया' आइकन मिलिंद सोमन, 'फिट इंडिया' चैंपियन और अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी तथा 'फिट इंडिया' चैंपियन अंकिता कोंवर जैसी खेल जगत की दिग्गज हस्तियां विशेष अतिथियों के रूप में एक साथ शामिल हुईं। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में शहर के प्रमुख लड़कियों के कॉलेजों की छात्राओं, 'माई भारत' के स्वयंसेवकों, भारतीय साइकिल महासंघ के प्रतिनिधियों के अलावा 'योगासन भारत' व 'रोप स्किपिंग' टीम के सदस्यों सहित अन्य लोगों ने भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

प्रियांश और कोनोली के अर्धशतक, पंजाब किंग्स ने एलएसजी को 54 रन से हराया

नयी दिल्ली: मुल्लांपुर : पंजाब किंग्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हराकर अंकतालिका में शीर्ष स्थान बरकरार रखा। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने प्रियांश आर्य (93) और कूपर कोनोली (87) के शानदार अर्धशतकों की बदौलत सात विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 182 रन की तूफानी साझेदारी कर मैच का रुख तय कर दिया। प्रियांश ने 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए नौ छक्के जड़े, जबकि कोनोली ने 46 गेंदों में सात छक्के लगाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए एलएसजी की शुरुआत ठीक रही, लेकिन टीम 20 ओवर में पांच विकेट पर 200 रन ही बना सकी। कप्तान ऋषभ पंत (43), ऐडन मारक्रम (42) और मिचेल मार्श (40) अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। पंजाब के लिए मार्को यानसेन ने दो विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह, विजयकुमार विशाक और युजवेंद्र चहल को एक-एक सफलता मिली। हालांकि पंजाब की फील्डिंग कमजोर रही और कई कैच छूटे, फिर भी टीम ने मैच पर नियंत्रण बनाए रखा। इस जीत के साथ पंजाब ने छह में से पांच मैच जीतकर 11 अंक हासिल कर लिए, जबकि लखनऊ को लगातार तीसरी हार ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

चीन में 'ह्यूमनॉइड रोबोट' ने हाफ मैराथन में इंसानों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा

बीजिंग: चीन की एक कंपनी द्वारा बनाए गए एक 'ह्यूमनॉइड रोबोट' ने रविवार को यहां शौकिया धावकों के साथ हुई एक रेस में 50 मिनट 26 सेकंड के समय के साथ इंसानों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीन की 'शेन्जेन ऑनर स्मार्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड' द्वारा बनाए गए 'ह्यूमनॉइड रोबोट' 'फ्लैश' ने 2026 बीजिंग ई-टाउन हाफ मैराथन में ऑटोनॉमस नेविगेशन श्रेणी में जीत हासिल की। यहां की आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 'फ्लैश' ने इंसानों के 57:20 के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पुरुषों की हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड पिछले महीने पुर्तगाल में लिस्बन हाफ मैराथन में युगांडा के स्टार लंबी दूरी के धावक जैकब किप्लिमो ने बनाया था। चीन, जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील की 100 से ज्यादा टीमों ने इंसानी धावकों के साथ इस दौड़ में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार रोबोट और इंसानी धावकों ने 21 किलोमीटर का एक ही रास्ता तय किया, लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग लेन का इस्तेमाल किया।

भारत, अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों के बीच व्यापार समझौते पर आज से वाशिंगटन में होगी बातचीत

नयी दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर तीन दिन की वार्ता के लिए भारत के लगभग एक दर्जन अधिकारी 20 अप्रैल को वाशिंगटन पहुंचेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि चूंकि अमेरिका में शुल्क ढांचा बदल गया है, इसलिए दोनों पक्ष उस समझौते पर फिर से विचार कर सकते हैं, जिसका मसौदा सात फरवरी को जारी किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए व्यापक शुल्क के खिलाफ अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 24 फरवरी से 150 दिन के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। अधिकारी ने कहा, 'बैठक 20-22 अप्रैल तक वाशिंगटन डीसी में होगी। भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। सीमा शुल्क और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी भारतीय दल का हिस्सा हैं।' इसके अलावा, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा शुरू की गई जांच पर भी इन तीन दिवसीय विचार-विमर्श में चर्चा हो सकती है। भारत ने व्यापार कानून की धारा 301 के तहत इन जांच में लगाए गए आरोपों को कड़ाई से खारिज कर दिया है और जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया है। पुराने ढांचे के अनुसार अमेरिका भारत पर शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हुआ था। उसने रूसी तेल खरीदने के लिए भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क को हटा दिया था और बाकी 25 प्रतिशत को समझौते के तहत घटाकर 18 प्रतिशत करना था। हालांकि, इसके बाद 20 फरवरी को अमेरिकी शीर्ष अदालत ने ट्रंप के जवाबी शुल्क के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने 24 फरवरी से सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क की घोषणा कर दी। इन बदलावों के कारण फरवरी में होने वाली मुख्य वार्ताकारों की बैठक स्थगित कर दी गई थी। अब वे 20 अप्रैल, 2026 को वाशिंगटन में मिल रहे हैं।

दिल्ली सरकार ने तैयार किया सेमीकंडक्टर नीति का मसौदा: मुख्यमंत्री

नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार युवाओं के कौशल विकास और वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक सेमीकंडक्टर नीति तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप यह नीति दिल्ली में एक सेमीकंडक्टर परिवेश विकसित करेगी, जिसमें राज्य की राजधानी में डिजाइन, अनुसंधान और उद्योग विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बयान में कहा गया कि सरकार 'दिल्ली सेमीकंडक्टर नीति' का मसौदा तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य राजधानी को सेमीकंडक्टर डिजाइन, उन्नत शोध एवं विकास और संबंधित गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है और इसके संतुलित एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए सरकार व्यापक नीति ढांचा तैयार कर रही है। इस नीति में कारोबार को सुगम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उद्योग आधारित तंत्र विकसित करने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएंगे। प्रस्तावित नीति पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगी जिसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन और बौद्धिक संपदा विकास, शोध एवं नवाचार, विनिर्माण से जुड़ी गतिविधियां, कौशल विकास, तथा स्टार्टअप और औद्योगिक तंत्र को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि यह नीति सेमीकंडक्टर क्षेत्र के उच्च मूल्य वाले हिस्सों, खासकर डिजाइन, शोध एवं विकास और उन्नत पैकेजिंग में दिल्ली की स्थिति को मजबूत करेगी। यह नीति सेमीकंडक्टर कंपनियों, स्टार्टअप और संबंधित इकाइयों से निवेश आकर्षित करेगी तथा परीक्षण, पैकेजिंग और अन्य सहायक उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा देगी।

रेनो भारत में दो 'प्लेटफॉर्म' के साथ विस्तार के लिए तैयार

चेन्नई: फ्रांस की वाहन कंपनी रेनो भारत में 10 लाख रुपये से कम कीमत के खंड की जरूरत को पूरा करने के लिए दो-प्लेटफॉर्म की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी 2030 तक अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का सात तक विस्तार करने के लिए चार मीटर से लंबी गाड़ियों के लिए एक लचीला ढांचा भी ला रही है। भारत में रेनो समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) स्टीफन डेब्लेज ने कहा कि कंपनी ने पहले अपने सीएमएफए प्लेटफॉर्म पर किड, काइगर और ट्राइबर जैसे मॉडल पेश किए थे। अब वह एक नए आरजीईपी (रेनो ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म) में बदल रही है। इसका मकसद कारखाने में लगने वाले सीएनजी मॉडल, नए पावरट्रेन और अगली पीढ़ी के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ढांचे को लेकर उपभोक्ताओं की उम्मीदों को पूरा करना है। वहीं दूसरी ओर पैमाने और विद्युतीकरण के लिए कंपनी नए आरजीएमपी (रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म) का इस्तेमाल कर रही है, जो भारत में इसकी वृद्धि के अगले चरण को आगे बढ़ाएगा और कंपनी की विद्युतीकरण की राह की नींव रखेगा।

माझी, वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत की पहली 3डी ग्लास चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला रखी

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को भुवनेश्वर में भारत की पहली उन्नत 3डी ग्लास चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला रखी। इस परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री और रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि ओडिशा का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और अब यह केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार और उच्च मूल्य वाले निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, आज भारत की पहली उन्नत 3डी ग्लास चिप पैकेजिंग इकाई की नींव रखकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। यह परियोजना बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी और ओडिशा को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में एक मजबूत केंद्र बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा अब अगली पीढ़ी के उद्योगों का केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को भी मजबूती देगा। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, आज ओडिशा की धरती से भारत ने सेमीकंडक्टर यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि मैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ देश की पहली '3डी ग्लास सब्सट्रेट पैकेजिंग' इकाई के शिलान्यास में शामिल हुआ, जो ओडिशा को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और कृत्रिम मेधा (एआई) के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक औद्योगिक निवेश नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आने वाली तकनीकें कहां विकसित होंगी और यह सुशासन और रणनीतिक दृष्टि का परिणाम है।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2,500 कारीगरों को मिला एआई प्रशिक्षण

नयी दिल्ली: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने रविवार को कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत शिल्पकारों और कारीगरों सहित 2,500 से अधिक लाभार्थियों को उनकी आजीविका और व्यावसायिक क्षमता में सुधार के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) का प्रशिक्षण दिया गया है। एक बयान के अनुसार यह पहल 'सामाजिक भलाई के लिए एआई' के विजन के अनुरूप है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान जोर दिया था और जो दिल्ली घोषणापत्र में भी झलकता है। भारत सरकार के मंत्रालयों में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसका मकसद जमीनी स्तर के कारीगरों को तेजी से विकसित हो रहे एआई परिवेश से जोड़ना है। मंत्रालय का लक्ष्य पारंपरिक शिल्प कौशल में एआई को शामिल करके जमीनी स्तर के उद्यमियों के लिए डिजिटल अंतर को कम करना, उत्पाद के मूल्य और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, कारीगरों को नए बाजारों तक पहुंच प्रदान करना और समावेशी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। प्रतिभागियों को चैटजीपीटी, इंडस और गूगल जेमिनी जैसे प्रमुख एआई मंचों से परिचित कराया गया, ताकि वे वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए तकनीक का लाभ उठा सकें।

न्यूज अपडेट

पाकिस्तान 23 अप्रैल तक यूएई का 1.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाएगा

कराची: पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने शनिवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि वह संयुक्त अरब अमीरात से लिए गए 3.5 अरब डॉलर के ऋण में बचे 1.5 अरब डॉलर का भुगतान 23 अप्रैल तक कर देगा। यह घोषणा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से लगभग 1.2 अरब डॉलर की सामान्विक किस्त मिलने की उम्मीद के बीच की है। यह बयान ऐसे समय आया, जब एक दिन पहले पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को दो अरब डॉलर का भुगतान किया था। इससे पहले सऊदी अरब ने तीन अरब डॉलर की सहायता के तहत दो अरब डॉलर पाकिस्तान में जमा किए थे।

सरकार बढ़ा सकती है पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा

नयी दिल्ली: सरकार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक करने पर विचार कर रही है और इस संबंध में विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह कदम बीमा क्षेत्र के अनुरूप होगा, जहां पहले ही 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी जा चुकी है। पिछले वर्ष संसद ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी। सूत्रों के अनुसार, पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन कर पेंशन क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मानसून या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। फिलहाल पेंशन कोष में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है। इसके अलावा, सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधन विधेयक में एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है। वर्तमान में एनपीएस ट्रस्ट की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां वर्ष 2015 के नियमों के तहत निर्धारित हैं, जिन्हें भविष्य में किसी धर्मार्थ ट्रस्ट या कंपनी कानून के तहत लाया जा सकता है।

अदाणी की इकाई ने होटल, रियल एस्टेट क्षेत्र पर केंद्रित तीन कंपनियां बनाईं

नयी दिल्ली: अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की अनुषंगी की अनुषंगी इकाई ने तीन पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों का गठन किया है जो हवाई अड्डा शहर विस्तार रणनीति के तहत होटल और रियल एस्टेट विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगी। अदाणी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड, जो कंपनी की इकाई है, ने अदाणी नवी मुंबई एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड, अदाणी गुवाहाटी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड और अदाणी अहमदाबाद एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड बनाई हैं। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि नई इकाइयां निर्माण समेत रियल एस्टेट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। साथ ही एकीकृत रेस्तरां, बैंकेट और कारोबारी केंद्र वाले होटल भी बनाएंगी। नई गठित इकाइयां अपनी या पट्टे वाली संपत्ति के साथ रियल एस्टेट गतिविधियों के कारोबार पर ध्यान देंगी। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि क्या उसकी योजना में उसके परिचालन वाले हवाई अड्डों के आसपास होटल बनाना शामिल है या नहीं। प्रत्येक अनुषंगी का गठन 10 लाख रुपये की चुकता पूंजी के साथ किया गया है।

फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में भारतीय हथकरघा बुनाई का प्रदर्शन

नयी दिल्ली: एक अनूठी पहल के तहत शनिवार को भुवनेश्वर में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में भारतीय हथकरघा को समकालीन वैश्विक डिजाइनों के साथ पेश किया गया। इसे 'विश्व सूत्र - दुनिया के लिए भारत की बुनाई' संग्रह के तहत प्रदर्शित किया गया। यह पहल भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के हथकरघा विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की अगुवाई में की गई।

वर्ष 11, पूर्णांक 3568 अंक 034 RNI No WBHIN/2016/66788, सर्वांग प्रकाशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सरोज राय द्वारा रजि. 17, बालमुकुन्द मक्कर रोड, 2सरा तल्ला, कोलकाता-700 007 से प्रकाशित। एल. एस. पब्लिकेशन्स प्रा. लि. 4, कैनल वेस्ट रोड, कोलकाता-700 015 से मुद्रित। सम्पादक- अनिल कुमार राय (पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी), कॉर्पोरेट आफिस : 230, चित्तरंजन एवेन्यू, कोलकाता-700 006, विज्ञापन एवं प्रसार-9874555256/7044444522, ई-मेल news@samagya.in